राजस्थान विधान सभा

८१वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक १२ अक्टूबर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-११ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १६३१

श्री अध्यक्ष—श्री केसरीसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १६३२

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी के व्यवस्थापक द्वारा जयपुर में प्रदर्शनी

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योगमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी के व्यवस्थापक को जयपुर में प्रदर्शनी के लिये आज्ञा दी गई है?

(ख) यदि हां, तो उक्त आज्ञा कब दी गई?

(ग) उक्त प्रदर्शनी किस तारीख से शुरू होने वाली थी?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त प्रदर्शनी के लिए ग्राउन्ड सरकार द्वारा नहीं दिये जाने की वजह से वह अभी तक चालू नहीं हो सकी है?

(ङ) यदि हां, तो क्यों?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप गृहमन्त्री)—(क) हां।

(ख) आज्ञा पी०डब्ल्यू०डी० पत्र नं० १४०७२ दिनांक १३-६-५४ द्वारा दी गई है।

(ग) प्रदर्शनी के व्यवस्थापक ने प्रथम बार अपने पत्र ता० ६.६.५४ द्वारा सूचित किया था कि प्रदर्शनी ता० २१.८.५४ से शुरू होने वाली थी।

(घ) (ङ) प्रदर्शनी के व्यवस्थापक ने अपने पहले पत्र दिनांक ३१.७.५४ में यह नहीं लिखा कि वे प्रदर्शनी जयपुर में कहां करेंगे? उनके दूसरे पत्र दिनांक ६-८-५४ के प्राप्त होने पर चीफ इन्जीनियर पी०डब्ल्यू०डी० को लिखा गया कि उन्हें प्रदर्शिनी के लिए रामलीला का मैदान दे दिया जावे। उनके तीसरे पत्र दिनांक ६.६.५४ के आने पर पी०डब्ल्यू०डी को लिखा गया कि उन्हें प्रदर्शनी के लिये रामनिवास बाग में प्रदर्शनी का मैदान दे दिया जावे। पी०डब्ल्यू० डिपार्टमेंट ने प्रदर्शनी के मैदान को तीन हफ्ते के लिए देने की आज्ञा दे दी है।

श्री चांदमल मेहता—इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में प्रदर्शनी के सम्बन्ध में इजाजत लेने में कितने महीने लगे?

श्री नरसिंह कछवाहा—करीब दो महीने।

श्री चांदमल मेहता—सरकार औद्योगिक प्रदर्शनियों को एन्करेज करना चाहती है या डिस्करेज करना चाहती है जब कि इस मामले में इस प्रकार देरी की जाती है?

श्री नरसिंह कछवाहा—सरकार एन्करेज करना चाहती है और उनको इजाजत भी दी गई थी। प्रदर्शनी के व्यवस्थापकों ने पहले यह नहीं बताया कि प्रदर्शनी जयपुर में होगी या और जगह, जयपुर में होगी तो रामलीला मैदान में होगी या रामनिवास बाग में?

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह नहीं, मेरा प्रश्न तो यह है कि कितना समय लगा इजाजत मिलने में और आपने फरमाया कि २ महीने लगे। अब मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार इजाजत मिलने में दो महीने लग गये तो सरकार औद्योगिक प्रदर्शनियों को एन्करेज करना चाहती है या डिस्करेज?

श्री अध्यक्ष—जवाब दे दिया न कि पहले उन्होंने स्थान नहीं बताया था कि कहां होगी प्रदर्शिनी रामलीला मैदान में होगी या रामनिवास बाग में?

श्री चांदमल मेहता—पर्मिशन चाहने का सवाल था और जगह का जहां तक सवाल है पी. डब्लू. डी. की तरफ से स्वीकृति दी जाती है। मेरा प्रश्न यह कि इजाजत मिलने में जो दो महीने का समय लग गया, इसका क्या कारण है?

श्री नरसिंह कछवाहा—इजाजत तो उनको मिल गई थी, पर उन्होंने यह नहीं बताया था कि जयपुर में होगी या किस जगह होगी? इसलिए उनसे पत्र व्यवहार करके पूछा गया और इस तरह यह देर हुई?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जमीन के सम्बन्ध में आदेश होने के बावजूद भी इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से उनको इसकी इजाज़त नहीं मिली और हुक्म होने पर भी पी. डब्ल्यू. डी. ने इसकी जमीन नहीं दी?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने बताया कि २ महीने का समय, उन्होंने स्थान नहीं बताया था, उसकी बाबत पत्र व्यवहार करने में लग गया, बस और कोई बात नहीं है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—क्या सरकार को यह ख्याल था कि जयपुर के बाहर भी प्रदर्शिनी करेंगे!

श्री नरसिंह कछवाहा—स्थान के सम्बन्ध में पूछताछ करने में समय लग गया।

श्री जसवन्त सिंह—मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें मन्जूरी देते वक्त गवर्नमेंट को क्या ख्याल था कि प्रदर्शिनी कहां करेंगे?

श्री अध्यक्ष—पत्र व्यवहार करके एसर्टेन किया स्थान के बारे में, कहा था न।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इजाजत होने पर भी प्रदर्शिनी को बिजली पानी आदि की सुविधा जो दी जानी चाहिये थी, वह नहीं दी गई?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या १६३३

श्री अध्यक्ष—श्री बलवीर सिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १६३४

सन् ५३-५४ में जयपुर डिविजन में गाड़ियां (बस) चलाने के अस्थायी परमिट देना

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.4

[श्री चांदमल मेहता]

(क) ५३ - ५४ के वर्ष में जयपुर डिवीजन में किस किस व्यक्ति को किस किस लाइन पर कितनी कितनी गाडियां चलाने के कितने कितने समय तक के अस्थायी परमिट दिये ?

(ख) उक्त व्यक्तियों में से ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं, जिन्हें अब स्थाई तौर पर गाड़ियां चलाने की आज्ञा दे दी गई है ?

(सूची अनुपलब्ध)

श्री **रामकरण जोशी** (यातायात मंत्री)—(क) इसका उत्तर लिस्ट(ए) में है, जो सदन की मेज पर रख दी है। अस्थाई परमिट अधिक से अधिक ४ माह के लिए दिये जाते हैं।

(क) एवं (ख) के उत्तर अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजे गये।

श्री **अध्यक्ष**—कितनी लंबी लिस्ट है ?

श्री **रामकरण जोशी**—४ पेजेज़ की है।

श्री **अध्यक्ष**—टेबल पर रख दीजियेगा।

श्री **चांदमल मेहता**—माननीय अध्यक्ष, रूल्स के अन्दर यह है कि इस तरह की लिस्ट की कॉपी पहले भेजदी जायगी, ताँकि उसको देखकर सप्लीमेंटरी पूछे जा सकें। माननीय अध्यक्ष, आपने कई मर्तबा आदेश दे दिये हैं, आप फिर आदेश दे दें कि नोटिस रूप में ऐसी लिस्ट दे दी जांय।

श्री **अध्यक्ष**—मुझको पता नहीं था, नहीं तो अनस्टार्ड क्वेश्चन रख दिया जाता और कोई सप्लीमेंटरी पूछ लीजिये।

श्री **चांदमल मेहता**—(ख) का जवाब दे दें तो फिर सप्लीमेंटरी पूछूंगा।

श्री **अध्यक्ष**—(ख) का जवाब दे दीजिये।

श्री **रामकरण जोशी**—(ख) इसका उत्तर लिस्ट 'ख' में है जो सदन की मेज पर रख दी है।

श्री **चांदमल मेहता**—आप नम्बर बता दीजिये।

श्री **रामकरण जोशी**—जयपुर में ४५ जोधपुर में १ व उदयपुर में ३९।

Page No.5

श्री चांदमल मेहता—अस्थाई परमिट देने के लिये आधार क्या है ? क्या इसी आधार पर अस्थाई परमिट दिये जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जैसी आवश्यकता हो आर. टी. ए. के सामने वजूहात रखी जाय जिससे कि परमानेन्ट परमिट मिलने में झंझट या देर होती हो और अगर आर० टी० ओ० जरुरी महसूस करे तो ४ महीने तक का अस्थाई परमिट दे सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन लाइनों पर काफी तादाद में गाड़ियां चलती हैं उन पर भी अस्थाई परमिट दे दिये गये हैं जैसा कि आपकी लिस्ट से मालूम होता है ?

श्री रामकरण जोशी—जहां पर काफी ट्रैफिक होता है, वहां पर आर० पी० टी० ओ. ने यह महसूस किया होगा कि ओवर लोड बसें चलती हैं और उसने जरूरत महसूस की होगी तो अस्थायी परमिट दे दिये। मुझे मालुम नहीं कि कितने परमिट दिये गये।

श्री चांदमल मेहता—अजमेर जयपुर रूट में बहुत बड़ी तादाद में गाडियें चलती हैं, फिर भी प्रतापसिंह को इजाजत देने की बात जो अभी कही गई इसके पीछे क्या धारणा है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि इतने बडे भीड़ भड़ाके में से इस प्रश्न को आप अलग पूछते तो ज्यादा अच्छा होता और उत्तर देने में सहूलियत होती।

श्री चांदमल मेहता—अस्थायी परमिट अधिकतम कितने समय के लिये दिया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—चार महीनों से ज्यादा समय के लिये नहीं दिया जाता।

श्री चांदमल मेहता—चार महीनों के बाद कितनी अवधि बढ़ाई जाती है ?

श्री रामकरण जोशी—चार महीनों के बाद अवधि बढ़ाने की गुंजायश नहीं है क्योंकि अस्थायी परमिट चार महीनों के लिये ही दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—अस्थायी परमिट देने के बाद जब स्थायी परमिट देने का सवाल आता है तो क्या अस्थायी परमिट वालों को प्रायोरिटी [Priority] दी जाती है ?

श्री रामकरण जोशी—यह निर्णय तो परमिट देने वाली कमेटी, जिसमें कुछ सदस्य होते हैं, तै करती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस संबन्ध में कोई ऐसा नियम है कि अस्थायी परमिट वालों को प्रायोरिटी दी जावे ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा कोई नियम नहीं है और न सरकार का कोई आदेश है।

श्री चांदमल मेहता—जो लिस्ट आपने बताई कि यह अस्थायी परमिट वालों की है, क्या आम तौर से स्थायी परमिट देते समय इन्हीं को स्थायी रूप में बदलने का तरीका है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि इसमें कई तरह से मतलब लगाये जा सकते हैं। असली बात तो कमेटी बतावेगी। मैं समझता हूं कि जो चलाना चाहते हैं, वे स्थायी परमिट के लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं और उनको परमिट मिलती होगी।

श्री चांदमल मेहता—जिन लाइनों पर पहले से गाड़ियें चलती हैं, उन लाइनों पर दूसरी गाड़ियां चलाने के लिये टेम्परेरी (temporary) परमिट के लिये प्रार्थना-पत्र मांग कर इजाजत दी जाती है !

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि अस्थायी परमिट के लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं। स्थायी के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे जावेंगे।

श्री चांदमल मेहता—जिन लाइनों पर गाड़ियें पहले से चलती हैं, उन लाइनों पर इस प्रकार के परमिट क्यों दिये जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जिन लाइनों पर गाड़ियें पहले से चलती हैं, वहां पर लोग ऐसी प्रेसिंग डिमान्ड (pressing demand) रखते होंगे कि ट्रेफिक को कोप विद (cope with) करने के लिये जो लाइन चल रही है, वह काफी नहीं है और दूसरी गाड़ियों की जरूरत है, तो और ३, ४ महीने प्रार्थना-पत्र आदि मांगने में लग जाते हैं, तो उसको देखते हुए ३, ४ महीनों के लिये अस्थायी परमिट दे दिया जाता है।

श्री सोहनलाल भटनागर—आर. टी. ओ. खुद इसको मंजूर कर देता है या वह कमेटी में रख देता है और कमेटी उसका निर्णय करती है ?

श्री रामकरण जोशी—आर. टी. ओ. इस बात को देखता है कि जरूरत है या नहीं।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या यह आर. टी. ओ. की रिकमन्डेशन (recommendetion) से होता है या आर. टी ओ. खुद तय कर देता है ?

श्री रामकरण जोशी—इस बात को सभी कमेटी के सदस्य तय करते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या सरकार को यह विदित है कि इस प्रकार के अस्थायी परमिट देने के कारण काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है ?

Page No.7

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं है। अगर कोई ऐसी बात ध्यान में लाई जावेगी, तो अवश्य गौर किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६३५

(प्रश्नकर्ता श्री माधोलाल खानपुरिया की अनुपस्थिति में श्री कंवरलाल जेलिया ने प्रश्न पूछा)

कोटा डिवीजन की पंचायतों व नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार जिन पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं होती है उन्हें सहायता प्रदान करती है?

(ख) यदि यह सही है, तो कोटा डिविजन की बारां, सन्ता, मांगरोल, सागोद, खानपुर डग आदि तहसीलों की पंचायतों व नगरपालिकाओं को सहायता क्यों नहीं दी जाती है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) हां, नगरपालिकाओं को आ आना प्रति व्यक्ति आबादी के अनुसार सहायता दी जाती है। पंचायतों को संकट कालीन अवसरों पर जहां सरकार आवश्यक समझती है, सहायता देती है।

(ख) नगरपालिकाओं को सहायता दी जा चुकी है। पंचायतों को सहायता दिलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि जिन तहसीलों की पंचायतों का जिक्र प्रश्न में किया गया है, वहां की ग्राम पंचायतों में काम करने वाले हरिजनों को १।। साल की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है?

श्री रामकरण जोशी—वहां की पंचायतों ने हरिजनों को स्वतः नौकर नहीं रखा है। उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से नौकर रखा गया था। इसलिये इसका कोई संबन्ध पंचायतों से नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किस तरह से सरकार उनकी तनख्वाह दिलाने की बात को तय करना चाहती है?

श्री रामकरण जोशी—उनको बकाया तनख्वाह मिल जावेगी और आगे जितनी पंचायत की सामर्थ्य होगी, वह उसी के अनुसार कार्य करेगी। यह बकाया तनख्वाह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट से मिल जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट कब मंजूर की गई ?

श्री रामकरण जोशी—यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट आपके सामने रख दी जावेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इसके लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—तनख्वाह देने की जिम्मेदारी सरकार की है, और उनको तनख्वाह मिलेगी।

श्री वेदपाल त्यागी—जिन तहसीलों की पंचायतों को सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन बताया गया है वह कब से विचाराधीन है ?

श्री रामकरण जोशी—इसमें दो प्रश्नों को मिला दिया गया है। पंचायतों से दी जाने वाली सहायता पंचायतों को साल के आखिर में मिल जाती है। दरअसल अलग अलग प्रश्न पूछने चाहिये थे, मगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को मिला कर यह प्रश्न पूछा गया है। पंचायतों ने कभी उन हरिजनों को रखा नहीं और उन पर कोई जबाबदारी नहीं आती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—जब सरकार (बड़ी बड़ी तहसीलों में, जहां ग्राम पंचायतें हैं, ऐसी अव्यवस्था को नहीं रोक सकती तो बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मारफत क्या होगा ?

श्री रामकरण जोशी—तहसील पंचायतों का काम उनके मारफत होगा और जितनी आमदनी होगी उसके अनुसार वे काम करेंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपने अब कोई जरिया तो रखा नहीं।

श्री रामकरण जोशी—वह तो जो आप लोगों ने दिया है वही मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या १९३६

राजस्थान में मिट्टी की रॉयल्टी वसूली का ठेका

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.9

[श्री चांदमल मेहता]

(क) राजस्थान में गिट्टी की रॉयल्टी कलेक्शन का ठेका कहां २ दिया गया है ?

(ख) जिन स्थानों पर ऐसे ठेके नहीं दिये गये हैं, क्या उनकी रॉयल्टी सरकार द्वारा वसूल की जाती है ?

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की रॉयल्टी चालू वर्ष में कहां २ वसूल की गई है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा होने के कारण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

[कृपया परिशिष्ट २ देखिये]

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ में गिट्टी की रॉयल्टी का ठेका नहीं हुआ और अगर हुआ है तो रकम सरकार में जमा क्यों नहीं हुई ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ठेका सब जगह दे दिया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ में ठेका दे दिया गया हैं, तो किसको दिया गया है, और रॉयल्टी कलेक्शन का रूपया कहां जाता है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसका जवाब दे दिया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—स्टेशन मास्टर रॉयल्टी किस तरह से वसूल करता है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह सही है कि स्टेशन मास्टर रॉयल्टी वसूल करता है । पहले जोधपुर में ऐसा रिवाज़ था और वह चला आ रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—इसमें कारण नहीं बताया । सवाल यह है कि जहां तक गिट्टी के कलेक्शन का सवाल है, कलेक्शन करने का अधिकार राजस्थान सरकार को है और राजस्थान सरकार की आमदनी कोई स्टेशन मास्टर वसूल करे, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जोधपुर स्टेशन मास्टर वसूल करता है, तो जोधपुर में गिट्टी की रॉयल्टी जोधपुर स्टेशन मास्टर वसूल करता है, इसका क्या कारण है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इस तरह का रिवाज़ चालू है, इसलिए स्टेशन मास्टर वसूल करता है।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जोधपुर की एक फर्म को इस सिलसिले में ठेका दिया हुआ है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—हमारे पास इसकी सूचना नहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ठेका देने के पहले बाकायदा टेन्डर होते हैं, और फिर ठेका दिया जाता है तो उक्त फर्म को आज से करीब ११ महीने पहले ठेका दिया गया था ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह स्पेसिफिक प्रश्न है और यदि अलग से पूछें तो इसका जवाब दे सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी स्टेशन मास्टर किस कानून के अन्दर वसूल करता है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—आज तक वसूल करते आ रहे हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि जोधपुर स्टेशन मास्टर पहले स्टेट का नौकर था और अब वह भारत सरकार के अधीन है, तो क्या वह अभी भी राजस्थान सरकार का नौकर है ?

श्री अध्यक्ष—Out of courtesy कर देता है।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—Out of courtesy towards whom ?

श्री अध्यक्ष—Towards this House.

श्री लादूराम जोशी—एक ठेकेदार किसानों से १३ वर्ष की पिछली रॉयल्टी ले रहा है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष—अलग सवाल है।

श्री नरसिंह कछवाहा—यह आपने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १९३७

रूपनगर सड़क पर खानों से निकाल कर डाले गए कंकरों की रायल्टी

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) रूपनगर सड़क पर अब तक कितने घन फीट कंकर खानों से निकाल कर डाले गये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कंकरों की रॉयल्टी ठेकेदार को नहीं दी जा रही है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) उक्त कंकर खानों से रॉयल्टी कलेक्शन का ठेका देने के बाद उठाये गये हैं या पहिले ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—(क) इस विषय में इस विभाग को कोई सूचना नहीं है।

(ख) नहीं।

(ग) यह सवाल ही नहीं उठता।

(घ) इसकी इतला इस विभाग को नहीं है। ठेका देने के बाद या इससे पहले भी उठाये जा सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो ठेका रॉयल्टी कलेक्शन का दिया गया है, उसके अन्तर्गत ठेकेदार रॉयल्टी पाने का हक रखता है तो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—वह तो ठेकेदार से सम्बन्धित है। ठेकेदार को चाहिए कि उसका ध्यान रखे। कितना माल वहां से वह उठाता है, यह उसीका काम है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—यह उसी का काम है, इसीलिए यह सवाल पूछा गया है कि उस ठेकेदार को रॉयल्टी नहीं दिलाने का क्या कारण है ? जो कंकर डाले गये हैं सड़क पर, उसकी रॉयल्टी नहीं दिलाने का क्या कारण है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसका 'घ' के अन्दर उत्तर दे दिया गया है। वे कंकर पहले के हैं या बाद के इसका निर्णय कौन करे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि ये ठेकेदार कौन हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ये प्रश्नकर्ता के सगे भाई हैं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री जवानसिंह—क्या यह जानकारी कि व प्रश्नकर्ता के भाई हैं सरकार की ओर से मालूम हुई थी ?

(हंसी)

श्री नरसिंह कछवाहा—हां जी।

श्री जवानसिंह—और इसको भी अथोरिटेटिवली मूव (authoritatively move) किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—As a matter of fact, this office does not know what is the actual position of the questions ? I will request the Hon'ble Member not to advocate the cause of an individual in the House by way of questions.

प्रश्न संख्या १६३८

इन्टर कॉलेज बनाये जाने वाले हाई स्कूल तथा बारां में इन्टर कॉलेज बनाना

श्री लाल बहादुर—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) राजस्थान बनने के बाद कितने हाई स्कूल, इन्टर कॉलेज बनाये गये ?

(ख) उन हाई स्कूलों में दसवीं कक्षा में कितने २ विद्यार्थी थे, जब इन्टर कॉलेज बनाये गये ?

Page No.13

[श्री लाल बहादुर]

(ग) बारां सब डिवीजन के कितने लड़के कोटा में फर्स्ट इयर में पढ़ते हैं ?

(घ) नये बने इन्टर कॉलेज़ में फर्स्ट इयर में कितने लड़के हैं ?

(ड) क्या सरकार बारां में इन्टर कॉलेज़ बनाने का विचार रखती है ?

(च) अगर रखती है तो कब तक और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) राजस्थान बनने के बाद ८ हाई स्कूल इन्टर कॉलेज़ बनाये गये।

(ख) विवरण इस प्रकार है :

	इन्टर कॉलेज़	वर्ष	इन्टर कॉलेज़ बनाते समय १ कक्षा में छात्रों की संख्या।
१	बांसवाडा	१९५०-५१	६०
२	दौसा	१९५१-५२	६३
३	डीडवाना	,,	४२
४	किशनगढ़	,,	४४
५	सरदार शहर	,,	३१
६	भीलवाड़ा	,,	६५
७	टोंक	१९५२-५३	५४
८	सिरोही		६७

(ग) इस समय हर्बर्ट कॉलेज़, कोटा में बारां सब डिविजन के ४० छात्र फर्स्ट इयर में पढ़ते हैं।

(घ) उपरोक्त इन्टर कॉलेज़ों में फर्स्ट इयर के छात्रों की संख्या इस प्रकार है :

१	बांसवाडा	३३
२	दौसा	२४
३	डीडवाना	४१

Page No.14

[श्री भोलानाथ]

४	किशनगढ़	१३
५	सरदार शहर	२१
६	भीलवाडा	८०
७	टोंक	२०
८	सिरोही	१६

(च) और (छ:) का उत्तर निम्न प्रकार है :

अभी इन्टर कॉलेज़ खोलने की कोई योजना नहीं है। इन्टर कॉलेजों के खोलते समय यहां पर भी इन्टर कॉलेज़ खोलने के प्रश्न पर अवश्य विचार किया जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान सरकार ने जितने इन्टर मिडियेट कॉलेज़ खोले हैं वहां के छात्रों की संख्या को देखते हुए खोले हैं। फिर बारां में छात्रों की संख्या अधिक होने पर भी वहां इन्टरमिडियेट कॉलेज़ नहीं खोला गया इसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—छात्रों की संख्या मैंने बतायी थी। इस पर खोलने के समय भी विचार किया गया। और भी कन्सीडरेशन्स (Considerations) थे। पुरानी केपिटेल्स को भी ध्यान में रखा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दौसा कहां की केपिटल थी ?

श्री भोलानाथ—दौसा का केस जरूर एक स्पेसिफिक केस है।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि एवं हंसी)

श्री वेदपाल त्यागी—क्या आप इस की स्पेशिलिटी (Speciality) को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भोलानाथ—अच्छी जगह है।

(हंसी)

श्री वेदपाल त्यागी—क्या बारां से ज्यादा सुन्दर स्थान है ?

श्री भोलानाथ—आप देख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य—डड़ीवाना कैसा स्थान है ?

श्री भोलानाथ—डीडवाना में छात्रों की संख्या ४१ है।

श्री लाल बहादुर—क्या सरकार बारां को अच्छी जगह नहीं मानती ?

श्री भोलानाथ—अच्छी जगह है, इसलिए विचार करेंगे।

श्री लाल बहादुर—अब तक विचार नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ – हो सकता है कि किसी कारण से नहीं खोला गया हो, अब विचार सरकार इस ओर करेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया – ये जयपुर के नजदीक टोंक में तथा दौसा में खोले गये हैं तो फिर बारां में नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ – यहां की संख्या ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए खोल दिये गये।

श्री लाल बहादुर – कोटा के अन्दर दिन और रात कई सिफ्ट्स (shifts) हो रही हैं इतने छात्र हैं कि उनको कॉलेज में बैठने की जगह नहीं है, न पूरा स्टाफ ही है। कोटा से बारां ४५ मील दूर है, जब कि दौसा जयपुर से नजदीक है, तो फिर बारां में नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ – इसलिए ख्याल किया गया कि बारां का भी नम्बर आजाय।

श्री किस्तूरचन्द – क्या माननीय मंत्री जी को अलवर ही ध्यान में रहता है, शाहपुरा क्यों नहीं ध्यान में रहता।

(हंसी)

श्री भोलानाथ – ध्यान है। वह भीलवाड़ा के नजदीक आ गया है।

श्री अध्यक्ष – श्री शिवदानसिंह।

श्री कंवरलाल जेलिया – एक पूरक प्रश्न और है साहब।

(घंटी)

प्रश्न संख्या १६३६

श्री अध्यक्ष—श्री केसरीसिंह, विभाजन संख्या ७५।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १६४०

उदयपुर डिविजन में पुलिस की हिरासत में जेर तजवीज कैदियों को खुराक के लिये दैनिक भत्ता

प्रश्नकर्ता श्री शिवदानसिंह की अनुपस्थिति में श्री जगतसिंह झाला ने प्रश्न उपस्थित किया :—

क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर डिविजन में पुलिस की हिरासत में जेर तज़वीज़ कैदियों को खुराक के लिए दैनिक भत्ता क्या दिया जाता है ?

(ख) क्या वर्तमान में जो भत्ता दिया जाता है वह रियासतों के वक्त में दिये जाने वाले स्केल के अनुसार है ?

(ग) क्या उपरोक्त भत्ते की मात्रा वर्तमान मंहगाई को देखते हुए अपर्याप्त है ?

(घ) क्या सरकार इस स्केल को बढ़ाने के विषय में विचार कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—प्रश्न संख्या १६३६ का उत्तर पढ़ते हुये।
(क) बून्दी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं, २ राजस्थान मोटर्स भीम

(ख) हां, दिया गया था।

(ग) ता० १८-२-५४ से तीन साल के लिए किया गया था।

(घ) जी हां।

श्री वेदपाल त्यागी—एक मर्तबा परमिट देने के बाद कैंसल करने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—कारण तो ज्यादातर केस देखने से मालूम हो सकते हैं , लेकिन इस मामले में अपिलेट बॉडी में अपील करने के बाद उसने उस को केन्सल किया था।

कुं०श्री जसवन्तसिंह—यह किस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—Question asked and suplementaries also asked.

१६४० प्रश्न का जवाब दीजिये, १६३६ का नहीं।

I was confused as to what the matter was ?

Page No.17

श्री रामकरण जोशी—I thought question No 1939 had been asked.

श्री अध्यक्ष—हां साहब, गृह मन्त्री।

श्री नरसिंह कछावाहा (उप मन्त्री गृहविभाग, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में)—(क) उदयपुर डिविजन के पृथक पृथक जिलों में पुलिस की हिरासत में जेर तजवीज़ कैदियों को खुराक के लिये निम्नलिखित दर के अनुसार भत्ता दिया जाता है :

नाम जिला	दर प्रति कैदी प्रति दिवस
१. उदयपुर शहर	आठ आना
उदयपुर देहात	चार आना
२. चितौड़गढ़	चार आना
३. बांसवाड़ा	आठ आना
४. भीलवाड़ा	चार आना
५. डूंगरपुर	चार आना
६. कोटा	चार आना
७. झालावाड़	चार आना
८. बून्दी	आठ आना

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, गवर्नमेंट के विचाराधीन है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय चार आना प्रति व्यक्ति खुराक के लिये काफी समझते हैं ?

श्री नरसिंह कछावाहा—मैंने कहा कि इस स्केल को बढ़ाना सरकार के विचाराधीन है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—अभी जो चार आना दिये जाते हैं क्या वह ठीक है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जी हां।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—कहीं आठ आने कहीं चार आने इस प्रकार की भिन्नता का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—अभी आपने कहा कि सरकार इसे अपर्याप्त मानती है, और इस पर विचार कर रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मन्त्री लोगों को आपकी मदद की जरूरत नहीं, ये पहले से ही काफी मोटे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कहीं आठ आने, कहीं चार आने है, इसका क्या कारण है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—पहले अलग अलग रजवाडों के अन्दर जो कायदा था, उसी के अनुसार भत्ता दिया जाता है। अब यह मालूम हुआ कि यह कम है तो इसको बढ़ाने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पांच छः वर्ष के बाद यह बढ़ाने की इच्छा हुई है।

श्री वेदपाल त्यागी—सरकार के नोटिस में यह बात कब आई कि यह भत्ता अपर्याप्त है

श्री नरसिंह कछवाहा—करीब साल भर से यह विचाराधीन चल रहा है।

श्री वेदपाल त्यागी—चार आना जो एक आदमी के खुराक के लिये अपर्याप्त है तो उनको आधा भूखा रखने की जिम्मेवारी किस पर है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—किसी पर नहीं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—कितने दिन तक और आधे भूखे रहेंगे ?

श्री नरसिंह कछवाहा—हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई थी। अब हम इस बारे में जल्दी ही निर्णय करने वाले हैं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—और कितने दिन तक यह प्रश्न विचाराधीन रखने का सरकार का इरादा है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—केवल महीना भर और।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट की तौर पर इसकी मन्जूरी नहीं ली गई है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—नहीं ली गई है।

कु॰श्री जसवन्तसिंह—सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट जो आने वाली है उसमें क्या इस प्रकार की तजवीज़ है क्या ?

श्री हिम्मतसिंह अटरु—तो क्या यह माना जावे, जब तक रकम नहीं मिलेगी तब तक क्या इसी प्रकार चलता रहेगा। क्या चार आने ही मिलते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६४१

उदयपुर डिविजन में १६४६, ५० तथा ५१ में पुलिस सेवा के अधिकारियों को दिया जाने वाला बकाया टी. ए. तथा डी. ए.

(श्री शिवदानसिंह की अनुपस्थिति में श्री जगतसिंह झाला ने प्रश्न रखा)

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उदयपुर डिविज़न में सन् ४६-५० व ५१ के पुलिस सर्विस के लोगों के टी ए., डी. ए. दिये जाने बाकी है ?

(ख) यदि हां, तो अभी तक नहीं दिये जाने की क्या वजह है ?

(ग) क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र उपरोक्त रकम चुकवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री, गृह विभाग, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में)

(क) जी हां, कुछ पुलिस कर्मचारियों के इन सालों के सफर खर्च बिलों का भुगतान होना बाकी है।

(ख) बड़ा राजस्थान बनते ही उदयपुर का आई. जी. पी. का दफ्तर जयपुर भेज दिया गया तथा सुव्यवस्था न होने से इस साल बिल पास हो कर उसका भुगतान न हो सका। इसके पश्चात् दूसरे साल में सफरखर्च के मद में रकम कम रह गई। इन बिलों के विषय में काफी दिनों आई. जी. पी. दफ्तर एवं महकमा हिसाब के मध्य लिखा पढ़ी होती रही। अन्त में यह बिल टाईम बार्ड (time barred) हो गये तथा इनका भुगतान अभी तक नहीं हो सका।

[श्री नरसिंह कछवाहा]

(ग) इन बिलों पर महकमा हिसाब के एतराजों की पूर्ति कर दी गई है तथा आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् इन बिलों का अब शीघ्र ही भुगतान हो जायगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इन बिलों के भुगतान नहीं होने में किसकी गलती रही है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसका जवाब मैंने (ख) भाग के जवाब में दे दिया है।

श्री जवानसिंह—यह गलती किसकी रही ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने जैसा कि कहा, आई. जी. पी. की बदली हो गई थी और आई जी. पी. का दफ्तर जयपुर भेज दिया गया तथा सुव्यवस्था न होने से इस साल बिल पास होकर उसका भुगतान न हो सका।

श्री जवानसिंह—पांच वर्ष तक भत्ता नहीं मिल सका इसमें किसकी गलती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ए. जी. के ऑफिस में डिले हो जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पांच वर्ष तक किसी को भत्ता नहीं मिले क्या यह गलती में शामिल नहीं है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—कायदे की बाते हैं, देरी हो ही जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शुरूआत में गलती विभाग से हुई थी, क्या इस वजह से ए. जी. ने बिल पास नहीं किया ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह बात नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जिम्मेवारी किसकी समझी जाय कि अनिश्चित समय तक पोस्टपोन करके मुगालते में रखा गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जिम्मेदारी परिस्थितियों की है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या सन् १९५१ के भत्ते बाकी हैं ? कौन कौन से भत्ते मिलने थे वे मिल गये ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—कुल रकम देनी कितनी बाकी रही है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—२६,६६६ रुपये साढ़े सात आने।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी कौनसी परिस्थितियां जिम्मेवार हैं, जिनके कारण बिलों का भुगतान नहीं हो सका?

श्री नरसिंह कछवाहा—इन्टीग्रेशन (integration) आदि की बड़ा राजस्थान बनते ही उदयपुर के आई.जी.पी. का दफ्तर जयपुर भेज दिया गया तथा सुव्यवस्था न होने से इस साल बिल पास होकर उसका भुगतान न हो सका।

श्री हिम्मतसिंह अटरु—उदयपुर डिवीजन के अलावा और भी कहीं के भत्ते बाकी हैं, क्या?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न संख्या १९४२

जयपुर महाराजा कॉलेज होस्टल में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर के महाराजा कॉलेज के होस्टल में कितने विद्यार्थियों के रहने की स्वीकृति दी गई है और अभी होस्टल में कितने विद्यार्थी हैं?

(ख) इन विद्यार्थियों में से ऐसे कितने विद्यार्थी है जो शिड्यूल्ड कास्ट्स (schedule casts) के हैं और होस्टल के अधिकारियों द्वारा भरती किये गये हैं? कृपया नाम भी बतलावें।

(ग) क्या यह सत्य है कि टोंक जिले के दो विद्यार्थियों को जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे, होस्टल के वार्डन ने भरती करने से इसलिये इन्कार कर दिया कि वे दलित वर्ग से थे?

(घ) यदि नहीं, तो क्या उन लड़कों को अब भरती कर लिया गया है?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों नहीं, जब कि होस्टल में कई स्थान रिक्त थे।

(च) भविष्य में इस ओर सरकार की क्या नीति रहेगी? क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों के साथ इसी प्रकार की उदासीनता चलती रहेगी?

Page No.22

श्री भोलानाथ (शिक्षामंत्री)—(क) उक्त होस्टल में १२५ छात्रों तथा १ सहायक वार्डन के रहने का स्थान स्वीकृत है। इस समय होस्टल में १२५ छात्र हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं।

(ङ) इन छात्रों ने जब छात्रालय में भरती होने के लिये दर्खास्त दी तब स्थान रिक्त नहीं थे।

(च) अनुसूचित वर्गों के जब विरुद्ध भेद-भाव की नीति न सरकार की अब है न भविष्य में रहेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या जो दर्खास्तें आई थी वे छात्रों की पूरी भरती होने के पहले आई थी या स्थान पूर्ति होने के बाद ?

श्री भोलानाथ—जिस वक्त दरख्वास्त आई थी उस वक्त स्थान रिक्त नहीं थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जिस समय दरख्वास्तें आई थी उस समय कमरों का अलॉटमेंट बाकी था इस हालत में सारे के सारे स्थान रिक्त गिनने चाहिये थे ?

श्री भोलानाथ—जरा आप मेरे उत्तर को ठीक प्रकार से सुनते तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता ?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कोई रिजर्वेशन (reservation) नहीं किया जाता है ?

श्री भोलानाथ—होस्टल में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अर्जियों पर विचार करते समय शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की जितनी भी अर्जियां आई उनको जान-बूझकर नामन्जूर किया गया, इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कोई छानबीन की है क्या ?

श्री कंवरलाल जेलिया—वार्डन महोदय का रवैया शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के प्रति खराब रहता है, क्या यह माननीय मन्त्रीजी के ध्यान में है !

Page No.23

श्री भोलानाथ—यह स्पष्ट है कि दरख्वास्त ७-६-५४ को आई थी और उसके पहले ही कॉलेज चालू हो गए थे और होस्टल भी जारी हो गया था।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह समझा जाय कि उक्त होस्टल में राजस्थान गवर्नमेंट की आज्ञा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है ?

श्री भोलानाथ—मैंने जैसा कि निवेदन किया, दरख्वास्त ही ७-६-५४ को आई थी, तो उसमें उपेक्षा का सवाल ही नहीं रहा।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है उनके प्रति पक्षपात का इल्जाम लगाना उचित नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—पक्षपात का सवाल नहीं, यह उदासीनता की बात रखो है। जब आपने कहा कि ७-६-५४को दरख्वास्त आई थी उसके पहले हो वेकेन्सीज़ (vacancies) भर गईं थीं, इसलिए मझे यह कहना पड़ा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—अब कितने समय में पूरा हो जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—अब देर नहीं लगेगी। मैंने इसका जवाब दिया है, कि जल्दी ही हो जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—जल्दी जल्दी करते करते तो आठ नो महीने बीत गये अब इसी तरह से और बीतते जावेंगे। आखिर कुछ ठीक समय बतावें कि कितना समय और लगेगा।

श्री रामकरण जोशी—नौ महीने के बाद तो ज्यादा देर लगना सम्भव नहीं होता है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १६४४

ग्राम नोसल (त० रूपनगर) में स्कूल भवन की व्यवस्था

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि ग्राम नोसल (तहसील रूपनगर) में स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं है ?

(ख) क्या किसी व्यक्ति ने उक्त ग्राम में अपने खर्च से स्कूल भवन बना कर भेंट करने के लिए आवेदनपत्र दाखिल किया है ?

(ग) यदि हां, तो किस व्यक्ति ने, किन शर्तों पर स्कूल भवन बनाने की मांग की है ?

(घ) सरकार द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हां, ग्राम नोसल, तहसील रूपनगर में स्कूल के लिए सरकारी बिल्डिंग नहीं है, यह स्कूल इस समय किराये के भवन में चल रहा है ।

(ख) हां । एक व्यक्ति की ओर से उक्त ग्राम में अपने खर्चे से स्कूल के लिए दो पक्के कमरे व उनके आगे एक बरामदा बनवा देने के लिए एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है ।

(ग) यह आवेदन पत्र श्री जयनारायण, मन्त्री, ठि० गंगाराम रामकिशन मन्त्री, किशनगढ़ की ओर से प्राप्त हुआ है । उन्होंने विभाग से यह आश्वासन मांगा है कि जब तक यह स्कूल रहे यह उनका मकान बदस्तूर इसके उपयोग में आता रहे । यदि किसी कारणवश सरकार स्कूल की दूसरी इमारत बनवादे अथवा यह स्कूल ही न रहे तो ऐसी हालत में इस इमारत पर मकान मालिक का कब्जा रहेगा ।

(घ) उक्त प्रार्थनापत्र अभी हाल ही में एक माह के अन्दर प्राप्त हुआ है । अतः इस विषय में निरीक्षक, जयपुर के कार्यालय को लिखा गया है कि वह इस पर आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री चांदमल मेहता—क्या जिस वक्त जिस व्यक्ति ने प्रार्थनापत्र दिया उसे आज्ञा दे दी गई कि वह इन शर्तों पर बिल्डिंग बनाना शुरु कर दे ?

श्री भोलानाथ—चूंकि उसने कुछ शर्तें रक्खी हैं, इसलिए शर्तनामे के माफिक जांच करना और फिर उसे आज्ञा देना होता है । जांच करने का काम इन्सपेक्टर का है । इसके बाद जैसी कार्यवाही होगी की जावेगी ।

श्री चांदमल मेहता—अगर कोई व्यक्ति किसी शर्त पर बिल्डिंग बनाकर सरकार को देता है, उस हालत में इसके सम्बन्ध में इजाजत देने में रुकावट क्यों होनी चाहिये ?

श्री भोलानाथ—रुकावट नहीं है, इस बारे में आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

Page No.25

श्री चांदमल मेहता—यह कार्यवाही कब तक खतम होकर संबन्धित व्यक्ति को सूचना दे दी जावेगी ?

श्री भोलानाथ—सम्बन्धित व्यक्ति भी इसके लिए जल्दी करे, और इन्सपेक्टर को हम हिदायत कर देंगे कि वह जल्दी इसकी तकमील करे।

श्री चांदमल मेहता—सम्बन्धित व्यक्ति के लिए जल्दी करने का प्रश्न नहीं है। गांव-वालों ने सम्बन्धित व्यक्ति को तैयार किया है, इसके लिए और उस व्यक्ति ने कुछ शर्तें रखी हैं कि अगर सरकार इसे स्कूल के काम में न ले या अपना अलग भवन बना ले तो इस बिल्डिंग पर उसका हक रहे। फिर इसमें अब विचार करने की क्या बात है ? सरकार उसकी जल्दी ही मन्जूरी क्यों नहीं दे रही है ?

श्री भोलानाथ—विचार करना जरूरी हो जाता है। यहां गांव वालों का सवाल नहीं है, पर देने वाले की इच्छा कैसी है, यह सोचने की बात है। इसमें आफिस की आवश्यक कार्यवाही करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें उसने कुछ शर्तें रखी हैं। और इन पर विचार करना जरूरी होता है।

श्री चांदमल मेहता—उसने शर्तें तो इसलिए रखी हैं कि कल जाकर अगर स्कूल न रहे तो बिल्डिंग जो आज वह बनाकर दे रहा है वह अपने कब्जे में चाहता है। वह यह चाहता है कि सरकार का निर्णय इस बारे में जल्दी से जल्दी हो। तो फिर सरकार उसको इसके लिए जल्दी से जल्दी हिदायत क्यों नहीं दे रही है, इसमें रुकावट फिर क्या है ?

श्री अध्यक्ष—शर्तों पर विचार करने के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। यह जवाब दिया तो है न आपको। नेक्स्ट। श्री हनुवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या १६४५

सरकार द्वारा जैसलमेर जिले में खड़ी का कारखाना खोलना

श्री जवानसिंह (श्री हनवन्तसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में खडी की खानें कितनी और कहां कहां हैं ?

(ख) क्या मुलतानी मिट्टी (मेट) की खानें भी हैं ?

(ग) क्या सरकार खड़ी से सीमेंट बनाने का कोई छोटा-मोटा कारखाना इस जिले में बनवाने का विचार रखती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री, गृह विभाग)—[क] जैसलमेर में खड़ी निम्नलिखित गांवों के पास पाई जाती है:

मोरन, लारका, श्री मोहनगढ़, नचना, मोकमपुर, बरसालपुर, और लूनदी ।

(ख) हां ।

[ग] अभी तो नहीं ।

श्री जवानसिंह—तो कब ?

(हंसी)

श्री नरसिंह कछवाहा—जांच हो रही है इस बात की कि खड़ी के अन्दर इसका कितना परसेन्टेज़ है । यह मालूम होने के बाद में ही इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या इसका सेम्पल (sample) केमिकल एनैलिस्ट (chemical Analyst) के पास भेजा जा चुका है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह मामला प्रोसेस (process) में है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या वह सेम्पल पोस्ट ऑफिस के प्रोसेस में है, या सरकार के विभाग के प्रोसेस में है ?

(हंसी)

श्री नरसिंह कछवाहा—सरकार के विभाग में ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट; १९४६ ।

प्रश्न संख्या १६४६

जैसलमेर जिला व तहसील के भेड़ पालकों को आर्थिक सहायता देना

श्री जवानसिंह—(श्री हनुवन्तसिंह की ओर से) क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री जवान सिंह]

(क) शीप एन्ड ऊल इम्प्रूवमेन्ट (Sheep & Woo. Improvement) महकमे द्वारा जैसलमेर (जिला) व तहसील फलोदी (जिला जोधपुर) में के कितने भेड़ पालकों को मेम्बर बनाया गया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार उन भेड़ पालकों को आर्थिक सहायता देती है ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जो भेड़े खरीद कर नये तरीके से पालने का विचार रखते हों उन्हें, सरकार उत्साहित करती है व आर्थिक सहायता भी देती है ?

(घ) जैसलमेर जिले व तहसील, में सरकारी कितने फार्म है व हर एक में कितनी कितनी भेड़ें हैं ?

(ङ) अगर उत्तर ना में है, तो कब तक रखने का विचार है ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री, गृह विभाग)—

(क) भेड़ व ऊन उन्नति विभाग द्वारा मेम्बर बनाये गये भेड़ पालकों की संख्या निम्न प्रकार है:—

१.	जिला जैसलमेर	२४२
२.	जिला जोधपुर	१२५
३.	तहसील फलोदी	१९

(ख) राजकीय फार्मों से सरकार भेड़ पालकों को अच्छी किस्म से भेड़े आर्थिक सहायता के रूप में देती है और साल में भिन्न भिन्न स्थानों पर की गई भेड़ व ऊन प्रदर्शिनियों में नकद रुपया इनाम देकर उत्साहित करती है। इसके अलावा भिन्न भिन्न स्थानों पर बनाये गये भेड़ पोषण संघों को आर्थिक सहायता देती है, जिससे सामूहिक रूप से भेड़ पालकों को लाभ होता है।

(ग) रुपयों की सहायता तो नहीं दी जाती, परन्तु जो पुरुष भेड़ खरीदने व उनको नये तरीके से पालने के इच्छुक हैं; उनको अच्छी किस्म की भेड़ ठीक मूल्य पर, अच्छे स्थानों पर खरीद कराने का प्रबन्ध किया जाता है, और बाद में वैज्ञानिक पद्धिति द्वारा भेड़ पालने की विधि निशुल्क बतलाई जाती है।

(घ) राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों में राजकीय कार्य निम्न प्रकार है:

[श्री नरसिंह कछवाहा]

जिला	फार्म संख्या	भेड़ संख्या
जयपुर	१	२००
बीकानेर	१	२००

(ङ) प्रत्येक फार्म में ४०० भेड़ें रखने की संख्या निर्धारित की गई है और अच्छी प्रकार की भेड़ें तलाश कर खरीदी जा रही हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"घ" का उत्तर नहीं दिया साहब ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जैसलमेर में फार्म नहीं है।

श्री जवान सिंह—वहां आर्थिक सहायता के अलावा और कोई सहायता दी जाती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—अच्छी नस्ल के जानवर होते हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है।

श्री जवानसिंह—मैं जानवरों की नहीं पूछ रहा हूँ।

वे सदस्य जो बनाये गये हैं उन्हें आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भी और कोई सुविधाएं दी जाती हैं क्या ?

श्री नरसिंह कछवाहा—भेड पोषक जो संघ होते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है।

श्री जवानसिंह—संघ को दी जाती होगी तो दी जाती होगी, पर सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता के अतिरिक्त और कोई सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं क्या ?

श्री नरसिंह कछवाहा—व्यक्तिगत सुविधाएं कोई नहीं मिलती हैं।

सदनसे अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—प्रश्न समाप्त हुए। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्य ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उसके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है:

[श्री अध्यक्ष]

श्री शिवदान सिंह—दिनांक ११ अक्टूबर, ५३ से २० अक्टूबर तक। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य।

राजस्थान कृषि भू-धारणा विधेयक १६५३

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

क्लॉज़ १६७

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, आज सवेरे हम लोगों को जो कार्य सूची मिली है उसमें तो सेल्स टेक्स पर विचार करने का जिक्र है; इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री भोलानाथ—नीचे लिखा है फुट नोट में।

श्री अध्यक्ष—You have raised a question without reading the whole agenda; Shri Badri Prasad Gupta.

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे एक संशोधन रखना है १६६८, तो वह १६७ के लिये जाने के पहले रख दूं, या क्या ?

श्री अध्यक्ष—आपके संशोधन टाइम से नहीं आये इसलिए रिजेक्ट कर दिये गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो सूचना अब मिली है।

श्री अध्यक्ष—कल ही कर दिये गये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हरेक संशोधन पर अलग अलग discussion किया जा रहा था। कल तो कुछ मन्जूर किये गये थे और कुछ रिजेक्ट किये गये थे। वह सदन के वातावरण पर मुनस्सर था।

श्री अध्यक्ष—That is rejected now.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह बात दूसरी है।

श्री वेदपाल त्यागी—इन पर किसी का आब्जेक्शन नहीं है और बहुत समय से यह प्रथा चली आती है, इस टिनेन्सी बिल पर कि ऐन वक्त पर अमेंडमेंट दिये हैं और वह लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—This is a leniency which has been allowed by the Chair, as a matter of fact the rules do not warrant it, If the Hon'ble Members thought such amendments to be so urgent they ought to have moved them earlier. I have consulted the Member incharge of the Bill and he does not agree to this. He rather objects to it and so I have disallowed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No body has raised any objection to my moving the amendment and according to the rules of procedure I can move an amendment without giving notice unless somebody objects.

श्री अध्यक्ष—According to the Rules of Procedure no amendments could be moved at the eleventh hour without the permission of the Chair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No. If it is moved without proper notice any Member may object and then it is within the discretion of the Chair...

श्री अध्यक्ष—Any way.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—I had objected yesterday.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That was yesterday. Now it is today.

श्री अध्यक्ष—It has not been circulated. Members have not got it. So I may it and if any Member has got any objection he may raise it.

Amendment moved by Shri H.K Vyas for the insertion of a new clause 196A is as under:-

"196A(1) Where rent is paid in kind in case of refusal by the land-holder or his agent to accept, the correct share of the produce; or in case of any other dispute, any tenant or group of tenants from the same village collectively may apply to the Tehsildar for determination of the share of the rent;

(2) Such application shall be treated as one for court fee;

[श्री अध्यक्ष]

(3) On receipt of such application the Tehsildar within 48 hours shall himself proceed to the spot or depute some body to proceed to the spot, cause proper division to be made and hand-over the tenant's share to the tenant,

(4) The landholder who himself or through his agent is guilty of such refusal or who causes an unreasonable dispute shall be liable to pay fine not exceeding his entire share of the crop."

This is the whole clause which is desired to be inserted.

कु० श्री जसवन्त सिंह्—On the face of it, it is objectionable. I b it.

श्री अध्यक्ष—So the objection prevails.

We now come to clause 197, Amendment by Shri Badri Prasad Gupta. We take that as moved.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया से) आप इसको मूव करना चाहते हैं ?

मोहनलाल सुखाड़िया—यह बहुत ही टेकनिकल टाइप का है इसके सब क्लॉज [२] की पहली लाइन में 'be' शब्द की जगह शब्द 'lie' कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—We take it as moved. Is it the will of the House ?

[चारों ओर से 'yes' की आवाजें]

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to speak on this clause.

श्री अध्यक्ष—The whole clause or on this amendment ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—As a matter of fact my amendment is for the deletion of this clause. Now I don't want to go for moving it, but will instead speak on the clause, oppose it.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज १६७, को इस बिलमें से हटा देना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। वैसे हम यह देखते हैं कि इसप्रकार की धाराऐ भारत में पास किये जाने वाले कानूनों के लिऐ कोई नई बात नहीं है और इसका समावेश होना लगभग एक सेन्चुअरी (century) पहले से शुरू हुआ है। क्यों इस प्रकार की धाराओं का समावेश कानूनों में हुआ था, इसके इतिहास में जाने की आवश्कता नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस क्लॉज या इस प्रकार के क्लॉज़ेज़ को ईजाद करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह लार्ड मैकाले के पुरस्कर्ताओं को और उसके चलाने वालों को है जिनको इस बात का डर था कि कोई ऐसा कार्य करे कि उस कार्य पर ऐतराज नहीं हो पाये। १९४७ के बाद भी ऐसे क्लाज़ेज़ का ऐसे कानूनों में चालू रहना एक तरह से थोड़ी परेशानी और ताज्जुब की बात गिनी जाय तो कोई ऐतराज नहीं। हकीकत तो यह है कि नए नए आजाद हुए मुल्कों में जहां प्रजातन्त्र की प्रथा जोर पकड़ रही है वहां के विधानों में और कानूनों में इस बात की इजाजत रहती है कि यदि कोई सरकारी अफसर कानून के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करे तो मामूली से मामूली आदमी को उसके खिलाफ शिकायत और उसके खिलाफ मुकद्दमा चलाने का अधिकार होगा। और मेरे माननीय मित्र कभी कभी जो टोटेलिटेरियन (totatilaria n) और Iron curtain का जिक्र करते हैं, मैं उनकी सूचना के लिए बता दूं कि १ अक्टूबर को पास किये गए चीन के विधान में यह धारा मौजूद है।

प्रश्न यह है कि यदि सरकारी अफसर, चाहे वह कोई भी हो, वह इन गुड फेथ (in good faith) बोनाफाइड (bonafide) तरीके से कानून के माहतद कार्रवाई करता है तो उसे डर किस बात का, और यदि कानून में जो उसे अधिकार दर्ज है, उन अधिकारों का दूरूपयोग करता है तो 'गुड फेथ' के नाम पर उसे कोई प्रोटेक्शन मिलने की आवश्यकता नहीं है। कानून ने उसे जो अधिकार दिया है उसके प्रयोग में तो यह रहेगा लेकिन उससे ज्यादा यह मानते हुऐ कि कानून ने यह अधिकार नहीं दिया लेकिन बदनीयती नहीं थी, उस कानून को अमल में लाने के इरादे से यह सब कुछ किया, तो वह जरूरी नहीं है कि उसे प्रोटेक्शन दें, इस प्रकार की क्लॉज़ेज़ का समावेश करने का तात्पर्य यह होता है कि सरकारी अधिकारियों की गैरजिम्मेवाराना प्रवृतियों को हम प्रोत्साहन देते हैं। जिस प्रकार समाज के अलग अलग तात्वों, अलग वर्गों वर्गों, अलग अलग तबकों और अलग अलग हिस्सों के लिए इस कानून में हम लोगों ने इन अधिकारों का समावेश किया है तो एक प्रकार से विधान सभा की ओर से आदेश दिया है कि अपने हकों के लिए होशियार रहो। इस कानून के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सचेत रहो, नहीं तो यह कानून नुकसान देगा और इसके मातहत तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई की जायगी। तो फिर यह एक तबका है जिसका नाम है सरकारी अधिकारी वर्ग, उसको यह आदेश देना चाहिए कि न तो तुम ऊपर वालों की कुछ फिक्र करो, न तुम किसी के इशारे की फिक्र करो, न टेलीफोन की कुछ कद्र करो, न तुम किसी दूसरे प्रलोभन के मातहत कुछ कार्यवाही करने की कोशिश करो।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

न तो दबाव की वजह से, न प्रलोभन की वजह से, और न भ्रष्टचार की वजह से करना है, तुम्हें कानून के अनुसार, निडर होकर काम करना है। इसके विपरीत यदि कानून के विरोध में, उसका दुरुपयोग करके तुम कोई कार्यवाही करोगे तो मामूली से मामूली आदमी को अधिकार रहेगा कि कानून की खिलाफ-वर्जी करने के कारण आकर तुम पर इलजाम लगावे और तुमको कटहरे में अदालत में खड़ा होकर उसका जवाब देना पड़ेगा। उस समय वह इशारा काम नहीं आ सकेगा। इस दिशा में हमको कानून को लेजाना चाहिये। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि धारा १६७ को इस बिल से हटा देना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार मेरे मित्र जो जोधपुर से आये हैं उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। यदि यह डेमोक्रेटिक (Democratic) स्टेट नहीं होती और एक टोटेलिटेरियन (totaliterian) स्टेट होती तो जो आरग्यूमेन्ट्स (arguments) जोधपुर से आनेवाले मित्र ने दिये हैं वे लागू हो जाते। लेकिन जहां डेमोक्रेसीज़ हैं वहां सरविसेज़ को प्रोटेक्ट करना, उनका बचाव करना लाजमी हो जाता है, और इसी कारण से यहां कानून में बचाव किया गया है। मैं माननीय मित्र के दलीलों से ही यहाँ बतलाऊंगा कि अगर कोई अधिकारी निडर होकर सही बात को करे और उनका बचाव नहीं किया जायगा तो हमारे माननीय मित्र ने जो रखा है कि लोग सरविसेज़ को इन्फ्लूएन्स(influence)कर सकते हैं, उनको डीमोरेलाइज(demoralise) कर सकते हैं और जो काम करना चाहते हैं वह आसानी से करा सकते हैं, अपने इन्फ्लूएन्स के कारण वही होगा, बहादुर से बाहदुर अफसर या सेक्रेटरी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि माननीय सदस्य जैसे इन्फ्लूएन्शियल आदमी की बात टाल सके:......

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाउस के उधर बैठनेवाले मित्रों की बात कहते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—उधर बैठनेवाले और इधर बैठनेवाले दोनों का ताल्लुक हो सकता है। यदि उनका बचाव नहीं किया जायगा तो सर्विसेज़ का बचाव नहीं हो सकेगा और पक्षपात हुए बगैर नहीं रहेगा, क्यों कि मावन स्वभावना ही ऐसा है कि एक दूसरे का डर लगा रहता है।

आपका यह कहना था कि मेकॉले ने सरविसेज को प्रोटेक्शन देने की बात कही थी जो अब बहुत पुरानी हो गई है, इसलिये इसे हटाना चाहिये। चाहे मेकॉले ने किया हो या किसी ने किया हो लेकिन ब्रिटिश डेमोक्रेसी आज दुनियां में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है, इस बात को हम मानते है हालांकि हम सेन्चुअरी या डेढ़ सेन्चुअरी तक उनके आधीन रहे हैं। आज भारत के सब से बड़े नेता जो प्रधान मंत्री हैं वे भी महसूस करते हैं कि डेमोक्रेसी में सुन्दर से व्यवस्था करने के लिये और मनुष्य की स्वतंत्रता को पनपानेवाला यदि कोई देश हो सकता है। तो वह ग्रेट ब्रिटेन हो सकता है। ऐसी हालत में यदि सरविसेज को बचाने की कोशिश की गई है

[श्री जसवन्तसिंह]

तो आप ग्रेट ब्रिटेन के कानून को देखें, वहां इसके लिये क्या क्या किया गया है, यह देखें। यह इसलिए किया गया है कि सर्विसेज़ निडर होकर काम करें। किसी की परवाह न करके पक्षपात रहित होकर सब कार्यों को करते रहें। इस ख्याल से छोटे या मोटे जो अफसर हैं, उनको व्यर्थ परेशानी से बचाने के लिये और उनको यह मौका देने के लिये कि वे निडरता से न्याय करें यह प्रोविजन रखा गया है। गवर्नमेन्ट या किसी दूसरे की मर्जी के माफिक काम करेंगे तो तत्परता नहीं दिखा सकेंगे। कोई दबाव या इन्फ्लुएन्स लगाकर काम करना चाहें तो भी उनसे उनको निडर रहना चाहिये। इसलिये यह क्लॉज़ (clause) बहुत आवश्यक है। यदि भारतवर्ष में कम्युनिस्टों का राज्य हो तो ऐसे या किसी तरह के कानून की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्यों कि यदि उनके कहने के माफिक कोई अधिकारी काम नहीं करे या कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश के माफिक कार्य नहीं करे तो उसको नौकरी से बरखास्त ही नहीं किया जायगा बल्कि दूसरे ही दिन उसको दुनिया से ही हटा दिया गया। वहां बड़े बड़े अधिकारियों के लिये भी किसी कानून की जरूरत नहीं है, उनको स्वर्ग का रास्ता आसनी से दिखाया जा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमको डेमोक्रेसी भारत में चलानी है और टोटेलिटेरियेनिज्म (totalitarianism) नहीं लाना है तो इस कानून की बहुत अधिक जरूरत है इसलिये यह सेक्शन जरूर रहना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं आशा नहीं करता था कि इस क्लॉज़ के विरोध में जोधपुर के आने वाले माननीय सदस्य कई बातें कहेंगे। यहां पर इस बिल में हमने यह देखा है कि करीब करीब जितनी भी क्लॉजेज़ इस में हैं उनके अंतर्गत यदि एक अधिकारी कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ ऊपर अपील करने के राइट्स (nights) प्रोवाइड (provide) किये हुए हैं और कई मामले तो रेवेन्यू बोर्ड तक पहुँच सकते हैं और सारे प्रोविजन्स (privisions) में लीगल रेमिडीज (legel remedies) दी हुई हैं। कोई अन्याय नहीं हो, उसके लिये यह व्यवस्था मौजूद है। इसके बाद यह आवश्यक बात है कि कोई अधिकारी इस एक्ट के अंदर जो भी क्लॉजेज़ दी गई हैं उनके आधार पर कोई भी आदमी गुड फेथ में कार्यवाही करता है तो कोर्ट में कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं होना चहिये। उसको यदि प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो कोई भी अधिकारी निश्चित एक्शन लेने में झिझकेगा और वह गलत धारणाओं पर चलता रहेगा और उसका असर एडमिनिस्ट्रेशन (administration) पर एडवर्स (adverse) होगा। मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से डेफिनिट एटिट्यूड (definite attitude) के लिये उनको सुविधा हो और निश्पक्षता के साथ काम हो सके। उसमें यदि कोई गलती है तो उसकी अपील हो सकती है लेकिन उसके एक्शन (action) के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही हो सकती है। यदि यह धारणा और डर बना रहेगा तो कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से काम करने से झिझकेगा।

मेरे मित्र का कहना है कि इसको लार्ड मेकॉले के वक्त शुरू किया गया था-इसलिये वह खराब है। यह दलील देना उचित नहीं है। क्यों कि यह बहुत पुरानी बात है इसलिये इसको

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

नहीं मानना चाहिये, यह ठीक नहीं है। कई बातें ज्यादा पुरानी होते हुए भी ज्यादा फायदेमन्द होती हैं। कई जगह डेमोक्रेसीज़ में अपनी पुरानी बातों को रिवाइज (revise) करने की कोशिश कर रहे हैं। मेकॉले की खराब बातों को हमें छोड़ना है। लेकिन यह कहना कि मेकॉले ने यह बात चलाई है, इसलिये दूसरे कंट्रीज (countries) में ऐसा नहीं है, यह दलील देना गलत है। दूसरे कंट्रीज में भी यह चीज़ मौजूद है। लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां अपील करने की जरूरत ही नहीं है; जो कह दिया वही फाइनल है। लेकिन यहां तो अपील की गुंजायश है। उनके मुकाबले में यह सुन्दर चीज़ है।

माननीय मित्र ने कहा कि इसके रहने से टेलीफोन का असर हो जायगा, यह तो उनका कहने का तरीका रहा है। मैं समझता हूँ कि उनकी दलील को मानना ठीक नहीं होगा। इसे रद्दोबदल करना ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ यह एक बहुत ही अच्छी क्लॉज़ है। आम तौर से चाहे मेकॉले के वक्त में रखी गई हो या दूसरे कंट्रीज में रखी जाती है या नहीं, लेकिन हमारे लिये यह अच्छी क्लॉज़ है। जैसा कि मैंने एक टेक्नीकल शब्द के बारे में कहा है, उसके साथ इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १९७, में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १९८ और १९८ ए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९८, और १९८ ए, विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

Page No.36

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ १९८ और १९८ ए, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १९९, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—I do not want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १९९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९९, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, 198 is omitted ?

श्री अध्यक्ष—Both have been taken. clause 200

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २०० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २०१, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(विराम)

(श्री नाथूराम मिर्धा बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Let it come from the Member in charge.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जो इसमें बद्रीप्रसादजी के नाम से प्रस्तुत किया हुआ अमेंडमेंट है वहां उसमें भाषा को और रूप में पेश करने के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि अमेंडमेंट सर्कुलेटेड (circulated) है व सदन इसे स्वीकार करेगा।

Page No.37

श्री अध्यक्ष—Very fovrmal.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसादजी गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०१ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो अमेंडमेंट पास होने से हो गया।

श्री अध्यक्ष—संशोधित क्लॉज़ २०१ विधेयक का अंग बना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१३१ वां क्लॉज़ हमने पिछली बैठक में स्थगित किया था इसलिये कि विरोधी दल के नेता ने कहा था, कि इसपर और विचार किया जाय। मैं इसका जवाब तो दे चुका हूँ। कल फिर उनसे सिद्धान्त: बात चीत हुई, और उनको इसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—एतराज तो जरूर है, परन्तु वैसा बहुमत नहीं है, इसलिये लाचारी थी।

श्री अध्यक्ष—(श्री सुखाड़िया को आदेश देते हुए) आप पढ़ दीजिये सारी क्लॉज़ को, as amended.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(पढ़ते हुए) "131. Additional provisions for ejectment of khudkasht holder, Ghair khatedar tenants of subtenants... "

श्री अध्यक्ष—have all the members got it ?

('हां' की आवाज)

I did not get it.

श्री जसवन्तसिंह—It was held over only for voting. The reply was given.

Page No.38

श्री अध्यक्ष—So I put it to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३१, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३१, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

कुं श्री जसवन्तसिंह—Congratulations.

श्री अध्यक्ष—we proceed to 39E.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, after 39E the Member from Merta has moved an amendment known as No. 41.

The clause will be 41 or something like that.

श्री नाथूराम मिर्धा—It is in list No. 29.

श्री अध्यक्ष—४१ ए. में नया अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं या सर्कुलेट कर दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, मेरा यह संशोधन ४१८ नं० पर लिस्ट २६ में है, वह बिल्कुल सीधा है और इस प्रकार है:

"After clause 41 insert the following new clause 'Supplemental' :—

"41A. Void transfers- Every transfer, exchange or division made in contravention of the provisions of this chapter shall be void."

कुं० श्री जसवन्तसिंह—If this proposed new clause is not inserted, will the transfers be not void ? If anything is done in contravention of this, will it be not void ? Or will it be valid ?

श्री अध्यक्ष—Legal query.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I think he is right. Even if we do not have it, it will be all right. According to clause 3, all contracts of this nature will be void So we are not keen to have this. We have no objection.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I say this is only superfluous.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I think we need not have this clause. Delete 31A. 31E was also moved. This may not be taken.

श्री अध्यक्ष—39E and 41 both should go ?

(विराम)

(श्री मिर्धा से) Withdraw करिये साहब।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, मुझे यह संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जावे।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Fermission has been granted of withdraw.

श्री माथुर—I withdraw.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Now clause 16.

श्री अध्यक्ष— There are so many 16s; 16C, 16D, 16E, 16F, Which 16 do you refer to ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I think we want time. I would like to have legal opinion taken. We desired to have it yesterday. So I want time. We may take the Schedule now.

श्री अध्यक्ष—According to Clause 143 of our Rules of Procedure schedule is put by the Chair when all the clauses have been considered.

कु० श्री जसवन्तसिंह—May be taken as a special case to save time.

श्री अध्यक्ष—Are the schedules ready? According to the clauses that we have passed, are the schedule ready?

Only the question will be put. The schedule will follow the main clauses. But if the Hon'ble Members want to discuss it we can take the schedule.

But then Clause 143 of the Rules of Procedure must be taken into consiration. We may not violate it.

I think all these amendments must be related to the clauses that we have passed. Then we can take them and pass the final schedule.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—We may take the schedule tomorrow. We may also check up today.

श्री अध्यक्ष—I am ready, just as it is convenient and all these clauses and the schedule we can take tomorrow.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—16th clause; I would like to take it day after tomorrow.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The schedule is subject to amendments under 143.

श्री अध्यक्ष—They are.

But if the Hon'ble Members like I can proceed to the schedule. The amendments are only subject to the clauses that we have passed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir. the wording is very clear. After the clauses have been discussed, The concluding schedule

श्री अध्यक्ष—That is true. But the amendments to the schedule relate to the passing of these things, They will follow the clauses that we have passed. There will be no clause separate from the clauses, I do not think that there can, therefore, be much discussion after we have passed the clauses. As we have passed the clauses, the particular schedule will follow. This is what I meant to say.

We come to the next item on the agenda.

Page No.41

राजस्थान विक्रय-कर विधेयक, १९५४

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move that the Bill to provide for a levy of tax on sales of goods in Rajasthan be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Should we have general discussion first or reference to Select Committee first.

श्री भोलानाथ—इसको सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह माननीय अध्यक्ष से पूछ रहा था।

श्री अध्यक्ष—It is the same thing.

(हंसी)

आपने एमेंडमेंट दिया है। Move that and discusit.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा संशोधन जो आपके पास मौजूद है....

श्री अध्यक्ष—Principles too.

(विराम)

Has it been circulated?

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is not necessary to give notice of such amendments, but as a precaution I am giving.

मेरा संशोधन है कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। मैंने मेम्बरों के नाम भी प्रस्तुत किये है लेकिन अभी उनकी जरूरत नहीं। जब मेरे संशोधन के पास होने की स्थिति आवेगी उस समय...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नाम सुना दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, आकर्षण ही होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नाम मैंने आकर्षित ही रखे हैं। सदस्यों के नाम भी आपको अपने आप मालूम हो जावेंगे। यह बिल, जैसा सदन के सदस्यों को विदित है...

श्री अध्यक्ष—A discussion on this motion or the fact that we pass on to this motion means that it is implied that we agree to the principles.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am quite conscious of all the implcations of what I have written on the piece of paper and I am quite certain that my speeches will be inconsonance with it.

जैसा कि इस सदन को विदित है, यह बिल या इस नाम का बिल सबसे पहले ११ मार्च, १९५४ को सदन में इन्ट्रोड्यूस (introduce) हुआ था और उसके बाद वह एक सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया गया था। मुझे नहीं मालूम कि सिलेक्ट कमेटी ने कोई रिपोर्ट की या नहीं और सिलेक्ट कमेटी ने उस बिल को वापिस लेने को सिफारिश की या नहीं की। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि अलबत्ता मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ने १६ सितम्बर को सदन की अनुमति से वह बिल वापिस ले लिया, और एक नया बिल राजस्थानियों के सामने आया, जिसको हम राजस्थान जनरल सेल्स टैक्स बिल १९५३ नहीं, १९५४ कहते हैं। इस माने में यह बिल नया बिल है और अभी जैसा मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि इसको सिलेक्ट कमेटी में जाने की बात नहीं। यह तो एक राय की बात है, कानूनी बन्धन नहीं। चूंकि यह एक नया बिल है इसलिए प्रश्न यह है कि यह जो नया बिल हमारे सामने आया है, उस पर विचार करते समय हम आज तक इस सदन में हमारे सामने जो कार्यवाहियें हुई हैं और हो रही हैं उनकी तरफ नजर डालना आवश्यक है या नहीं, मेरा ख्याल है कि यह आवश्यक है। जो बिल १९ मार्च १९५४ को सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था, उस बिल में मल्टीपल पॉइन्ट (multiple point) का प्रस्ताव किया गया था। मैं आपका ध्यान सदन की उस दिन की कार्यवाही की तरफ दिलाऊंगा कि जब इस सदन में उस मल्टीपल सेल्स के सिद्धान्त के उसूल की चर्चा की जा रही थी, तब राजस्थान में यह एक गैरवाजिब प्रकार का टैक्स होगा, ऐसी राय सदन में प्रस्तावित की गई थी और माननीय मन्त्री जो इस बिल के इन्चार्ज हैं, उनकी ओर से यह राय प्रस्तावित की गई थी कि राजस्थान के लिए मल्टीपल सेल्स टैक्स बहुत ही मोजूं होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि १६ सितम्बर को उन्होंने अपनी यह भूल स्वीकार कर ली और बिल को वापिस ले लिया और अब यह जो नया बिल हमारे सामने आया है वह मल्टीपल सेल्स टैक्स का बिल नहीं, सिंगल पोइन्ट सेल्स टैक्स का बिल है। मैं सदन का ध्यान उस ओर भी आकर्षित करूं कि जो पहले बिल आया था उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स (statement of objects and reasons) में और कई बातें रही हों, लेकिन एक सेन्टेन्स [sentence] वही था जो इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में मौजूद है और वह यह है :—

"It will replace the inter state transit duties."

पहले जो बिल हमारे सामने आया उसमें कानूनी त्रुटि थी और वह यह थी कि जिन चीजों पर सेल्स टैक्स लगेगा उन पर कोई कस्टम कायम नहीं रहेगा और उसका तात्पर्य यह भी हो सकता था कि बछड़ों की खरीद फरोख्त पर सेल्स टैक्स नहीं है, और अगर वह फिर राजस्थान के बाहर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जावे तो १६ रूपये का कस्टम फिर चालू। माननीय मन्त्री महोदय ने इस बारे में सफाई बराबर दी है। कोमोडिटीज (Commoditis) बांट दी है। Concurrently both the duties, both the texes will not be levied on the same commodity. यह बात तो ठीक थी लेकिन आम तौर पर इन्टरनल स्टेट ड्यूटी (internal state duty) जो बहुत ही बेकार और तकलीफदेह हैं उसको भारत सरकार की एक कमेटी ने जिसके अध्यक्ष श्री कृष्णामाचारी थे, हर साल कम करने की रिकमन्डेशन की थी और राजस्थान सरकार ने उसको मन्जूर किया मगर उसके बावजूद भी उसे कम नहीं किया गया उसको खत्म करना तो दूर रहा "It will replace inter-State transit duties." इस प्रकार की भाषा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स, में है जिसे जैसा मेरा ख्याल है इस बिल के अंग रूप में स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होगा। उस माने में ११ मार्च १९५४ को जो दलीलें दी, उसके लिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन दलीलों की भूल को आज स्वीकार कर रहे हैं, और यूनैनीमसली [unanimonsly] बगैर शर्त के बगैर किसी कन्डीशन के, जो कॉमोडिटीज़ इसमें रखी गई है उनसे साफ जाहिर होता है कि साफ तौर से इस बिल का संबन्ध इन्टर्नल स्टेट ड्यटीज़ से जोड़ा जा रहा है।

ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन पर हमको विचार करना आवश्यक है। वैसे मुझे यह कहना पड़ेगा कि इस मामले में मुझे आभारी होना चाहिए उधर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों का, जिन्होंने बहुत मुमकिन है मैं समय के बारे में भूल कर रहा हूँ, और बहुत मुमकिन है कि सही भी कह रहा हूं, कि पिछले मई मास के अन्त में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक सभा में यह प्रस्ताव मन्जूर कराया कि राजस्थान में यहां रावणनामी बहुसूत्री बिक्रीकर रखने की जरूरत नहीं है, यहां तो सिंगल पॉइन्ट टैक्स ही रखना चाहिए। इस माने में राजस्थान के जनमत ने प्रगति की और जनमत की प्रगति का प्रभाव राजस्थान सरकार की नीति पर भी पड़ा और जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने ११ मार्च को कहा था कि कोई सेल्स टैक्स बिल का विरोध कैसे कर सकता है, यह प्रतिक्रियावादी रूप होगा, वे ही मन्त्री महोदय इसको वापिस लेकर नया बिल लाये हैं और यदि आभार प्रदर्शित करने की स्थिति बनती है तो कुछ अंश में आभार उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के प्रति होना चाहिये और ऐसा भी हो सकता है कि माननोय मन्त्रीजी को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, यदि उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग में उसी भावना को बगैर विरोध किये प्रदर्शित किया है तो उस आभार के बंटवारे का हिस्सा उनको भी मिलाना चाहिये।

लेकिन यह सब कुछ हुआ है। आज जिस रूप में यह बिल हमारे सामने पेश हुआ है, उसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए यह मेरी राय क्यों है, इसके बारे में कुछ सफाई प्रस्तुत कर दूं। मुमकिन है वह समझ में आ जाय।

(राज श्री हिम्मतसिंह द्वारा अध्यक्षीय आसन ग्रहण)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ऐसी अजीब परेशानी है माननीय चेयरमेन, कि राजस्थान सरकार और सेल्ट टेक्स बिल बनाने वाले जो प्रस्ताव पेश करते हैं, उसका पेराग्राफ नम्बर २ का पहला सेन्टेन्स ऐसा ही रखते हैं कि "The Bill is modelled on the pattern of" जो पहले ११ मार्च सन् १६५४ को बिल प्रस्तुत हुआ था, उसमें भी यह लिखा था—

"The Bill is modelled on the pattern of the Hyderabad Genral Sales Tax Bill."

अब तरक्की हुई, अब उन्नति हुई और ठेट दक्षिण से भारत के मध्य में पहुँच गये। अब की बार जो राजस्थान सरकार ने बिल प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है कि "The Bill is modelled on the pattern of the Madhya Bharat Sales Tax Bill." मैं यह चाहता हूं कि...

श्री **भोलानाथ—**भविष्य के बारे में...

श्री **हरिकृष्ण व्यास—**जो हो भविष्य के बारे में सही। कभी तो ओरिजिनिल थिंकिंग (original thinking) की मिसाल पेश करें और ऐसी नौबत पेश न आजाय कि तीसरी बार और नया बिल पेश करने की और स्थिति हो तो "The Bill is modelled on the lines of U. P. Salrs Tax Act."

ऐसी स्थिति पैदा न हो इसीलिए यह सुझाव मैंने दिया है, क्योंकि नकल करने में भी थोडी अकल की आवश्यकता होती है। पहले हैदराबाद की मिसाल लो और उसको करीब वैसा का वैसा मोडल करके रख दिया। उसका विरोध हुआ है और कहीं नई बात मध्यभारत में हुई तो उसके अनुसार यहां भी मध्यभारत की मिसाल रख दी। यह राजस्थान सरकार के इस विभाग के उच्च से उच्चतम अधिकारियों एवं लॉ डिपार्टमेंट (LawDepartment) के उच्च से उच्चतम अधिकारियों के लिए कॉम्प्लीमेंट (compliment) की चीज नहीं है। किन्तु यह तो कमजोरी है जो कि बिल के कई भागों में प्रदर्शित होती है, जिसकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय चेयरमेन, सेल्स टेक्स का एक उसूल है। उस उसूल को मैं नहीं जानता कि कहां तक समझने की कोशिश की गई है? सिंगल पॉइन्ट टैक्स का उसूल यह है कि उसे इस ढंग से लगाया जाय कि वह बिजनेस में एब्जोर्ब (absorb) हो जाय और उसका बोझा कन्यूमर consumer पर न पड़े। मल्टी पॉइन्ट सेल्स टैक्स का बोझा कभी भी कंज्यूमर पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। सिंगल पॉइन्ट सेल्स टैक्स की यह खूबी हो सकती है कि उसको एब्जोर्व किया जा सकता है, बिजनिस में और उसका बोझा कन्जूमर पर न पड़े; ऐसी स्थिति हो सकती है। यह कैसे? वह इस प्रकार कि अब सिंगल पॉइन्ट सेल्स टैक्स को मॉडल करके 'टेक्सेबल टर्न ओवर (taxable turn over) का प्रश्न हो तो उसकी सीमा हम कैसे रखें? उसकी सीमा हम ऐसे रखें कि जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं वे उस सीमा के दरमियान उसके शिकंजे में आ जायें। जिसका नतीजा क्या होगा ? मामूली हैसियत के व्यापारी के उस सीमा से अलग हो जाने की वजह से और अगर वह डाइरेक्टली इम्पोर्ट करता है तो, या बड़े होलसेलर से भी लेता है, तो सिंगल पोइन्ट सेल्स टेक्स का बोझा, चूंकि एक पोइन्ट से हुआ है, इसलिये इस वजह से कम्पीटीशन की स्थिति पैदा हो जायगी और उस कम्पीटीशन की स्थिति में होलसेलर नाम की एक चीज होती है। तो उस होलसेलर की प्रवृत्ति होगी कि वह एब्ज़ोर्ब करले उसको अपने बिजनेस में। जितना पिछड़ा हुआ इलाका होता है, जितना औद्योगिक स्थिति से अथवा वाणिज्य की स्थिति से पिछड़ा हुआ इलाका होता है उसमें उतनी ही सीमा नीची रखनी चाहिये यह उसूल है। लेकिन आपने बिल को कभी हैदराबाद और कभी मध्यभारत के ऊपर मोडल करके करीब करीब एक विचार निश्चित किया है और वह यह है कि चाहे बिल का उसूल कुछ भी हो किन्तु आमदनी का नतीजा क्या होगा, रुपया कितना आयगा ?

श्री भोलानाथ—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) माननीय मन्त्री जी ने इतनी भी कोशिश नहीं की कि वे मेरे सेन्टेन्स को पूरा होने देते। बस इतना ही उतावलापन राजस्थान सरकार करती है कि येन-केन-प्रकारेण हमारे पास रुपया आना चाहिये, वह किसी की भी जेब से आना चाहिये। यह प्रश्न है। गरीबों की जेब से नहीं, यह फिक्र कौन करने बैठे और यह फिक्र न करने का नतीजा यही हुआ है कि मल्टी पोइन्ट सेल्स टेक्स उसूल त्याग दिया और सिंगल पोइन्ट सेल्स टेक्स का उसूल मान लिया लेकिन उस उसूल को मानने के बाद भी घर में लाकर उसका गला घोंट दिया। पहले टेक्सेबल टर्न ओवर की लिमिटेशन, माननीय चेयरमेन, ७५००) रु० थी। उसमें यह बात सही है कि खरीद और फरोख्त दोनों को मिलाकर टर्न-ओवर था, लेकिन इस बार आप देखें तो टेक्सेबल टर्न ओवर की सीमा पांच हजार तक लाकर रख दी गई है। मैन्युफैक्चरर (manufacturer) के लिये पांच हजार और इम्पोर्टर के लिये पांच हजार। शायद एक ही स्थिति में दस हजार रखा गया है, बाकी यह सीमा पांच-पांच हजार की रखी गई है। पहले तो हम सारे के सारे बिल के आधारभूत सिद्धान्त को ही बदल देते हैं। उसके बाद भी जिस सिद्धान्त को हमने कबूल किया हैं उसके मुताबिक ही टेक्स होना चाहिये और यह हालत जब आती है तो माननीय मन्त्रीजी और इस बिल के ड्राफ्ट करने वाले महोदय, जिनका कि इसमें हाथ था, जिन्होंने केवल यही उसूल रखा है कि रुपया आना चाहिये, रुपया आना चाहिये और उन्होंने इस प्रकार की रट लगा कर उस उसूल का परित्याग कर दिया। मेरा विशेष इशारा इस बिल की, जो अभी प्रस्तुत है, क्लॉज ३ की ओर है। वह यह है कि—

"(a) in the case of an importer of goods Rs 5000.

(b) in the case of a manufacturer Rs 5000.

(c) in the cause of any other dealer Rs 10,000.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ये जो चीजें हैं बहुत विचित्र सी चीजें हैं जो कि इस बिल के अन्दर रख दी गई हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय। इसी वजह से मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वे इतना तो ध्यान रखेंगे कि सिंगल पोइन्ट सेल्स टेक्स तभी मन्जूर किया जा सकता है और इस बारे में विरोध कम तभी होगा जब कि वह इस ढंग से लगाया जावे, जिससे इसका बोझा कन्ज्यूमर पर न पड़े। अगर इस टैक्स से कन्ज्यूमर पर बोझा पड़ता है तो इस सिंगल पोइन्ट सेल्स टैक्स का विरोध होगा और वह विरोध वाजिब होगा। सिंगल पोइन्ट सेल्स टेक्स का उसूल मानने के बाद यह कहा जाता है कि हम कस्टम की एवज में यह सेल्स टेक्स ला रहे हैं। ठीक है, किन्तु इसका बोझा सामान्य कन्जूमर पर नहीं पड़ना चाहिये, हमें इस उसूल को मानना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि जब हम इस आदत में मशगूल हो गये हैं कि दूसरी दूसरी रियासतों के मोडल पर हम यहां सेल्स टेक्स लागू करें, तो फिर कम से कम अगर हमें नकल ही करनी है तो किसी तरक्की किये हुए इलाके की ही करनी चाहिये। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि इलाकों की नकल आप क्यों नहीं करते? कम से कम बम्बई में तो मल्टी पोइन्ट सेल्स टेक्स है किन्तु कलकत्ता मद्रास आदि में नहीं। टेक्स के टर्न ओवर की जो सीमा है, वह मद्रास और बम्बई प्रान्त में तीस हजार और बीस हजार रूपये सालाना है। तो हमारे राजस्थान में जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, यह कह कर के किया जा रहा है कि बम्बई-कलकत्ता में व्यापार ज्यादा तरक्की किये हुये हैं, हमारे राजस्थान का व्यापार इतना तरक्की पर नहीं है, इसलिये जब बम्बई, मद्रास में बीस और तीस हजार के व्यापार पर यह एक्जीक्यूट होता है तो हमारे राजस्थान में ५ हजार के ट्रान्जेक्शन पर इसको एक्जीक्यूट किया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी के पास एक ही दलील है और वह दलील है, चूंकि राजस्थान एक पिछडा हुआ इलाका है, चूंकि यहां की वाणिज्य की स्थिति कमजोर है, इसलिये अगर हम टेक्सेबल टर्न ओवर की सीमा बहुत बढ़ाकर रख देते हैं तो आमदनी नहीं होगी। लेकिन अगर यह स्थिति है तो it is an argument in my favour. जिस इलाके की स्थिति इतनी दयनीय हो, जहाँ का वाणिज्य व्यवसाय पिछड़ा हुआ हो, वहां टैक्स का नया बोझा लादकर हम उसको उन्नतिशील नहीं करेंगे, उस इलाके को अधिक गरीबी की ओर लेजायेंगे। इसी वजह से यदि राजस्थान का इलाका पिछडा हुआ है तो आमदनी का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये। वहां के टेक्स के टर्न ओवर की लिमिट बम्बई, मद्रास के मुकाबले ऊंची रखी जानी चाहिए। वह बात नहीं। हुआ यह तो तय कर लिया गया कि हमें तो टैक्स लगाना ही है, आमदनी करनी ही है। तो अगर जो फांसी का फन्दा है वह अगर मोटा हो गया है, जो इधर या उधर बेठनेवाले या सडक पर फिरने वाले किसी आदमी के गले में फिट नहीं बेठता है, तो उसका मतलब यह नहीं कि मेरे जैसे मोटे आदमी के गले में डाल दिया जाय। कोई भी चीज हो वह उसूलों के आधार पर होनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि पहले से आमदनी तय करली जाय कि डेढ़ करोड़ या दो करोड़ रुपये तो लेने ही हैं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसके लिये जो टेक्स के टर्न ओवर की लिमिट लगाई जाय, वह देखकर लगाई जाय और कोई गलती हो तो उसको दूर करने की अवश्यकता है।

इस बिल के अन्दर कितनी लाइट हार्टेडनेस (light-heartedness) बरती है उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसके जो उसूल हैं, वे मिर्जापुरी उसूलों पर खड़े हुए मालूम होते हैं। क्लॉज़ पांच में यह लिखा है :

"The rate of tax shall be 3. 1/8% of the taxable turnover."

इसके अनुसार दो पैसा रूपया मौजू है। इसके लिये स्टेटिस्टिक्स के केलकूलेशन की आवश्यकता नहीं और न करने का इरादा ही मालूम देता है। ऐसा माननीय मन्त्री के हावभाव से नजर आता है। इतना तो सोचना चाहिये कि जब कि यू. पी में सिंगल पोइन्ट नाम का सेल्स टेक्स है, वहां की रेट रुपये के पीछे दो पैसा है। अगर हमारे दिमाग में बड़े बड़े स्टेटिस्टिक्स ध्यान में नहीं आते हैं, तो कम से कम मामूली से मामूली समझदार आदमी को भी यह ख्याल में आना चाहिये कि राजस्थान के अन्दर रेट ऑफ टेक्स का इन्सीडेन्स इतना नहीं हो सकता जितना यू. पी में हो सकता है। तो यह सीधा सादा मामला है। उसूल को समझा जाना चाहिये। लेकिन इसका ख्याल किसने किया है ? टेक्सेशन कमीशन को राजस्थान सरकार और राजस्थान की अलग अलग संस्थाओं ने क्या मेमोरेन्डम दिये हैं ? उसको देखने का किसी ने कष्ट नहीं किया है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को मेमोरेन्डम पेश करके यह कहा है कि हम हमारे यहां ७॥ परसेन्ट टेक्स से रेगुलेराइज करते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि कम्पेरेटिव स्टेन्डर्ड ३ १/८% कैसे लागू किया गया है। एक उसूल जो है वह एक प्रकार से तय शुदा है। लेकिन यहां तो यह हाल है कि जिस उसूल को मान लिया गया है, उसको रबड़ की तरह से फ्लेक्सिबल (flexible) रखा गया है। आज जब कि सेल्स टेक्स का बिल पास करना है तब कम से कम शोर-गुल कम हो, लोगों द्वारा कम विरोध हो, उसके लिये थोड़ी सी पहले शुगर कोटेड डोज़ (sugar coated dose) दी गई है। ३॥ परसेन्ट का प्रोवीजन किया गया है, लेकिन आखिर में इस प्रकार का प्रोवीजन किया गया है :

"Provided further that where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in public interest so to do......"

जिस समय राजस्थान सरकार को यह तसल्ली हो जायगी इसको बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हो जायगी, जैसा कि अभी भी माननीय मन्त्री के हावभाव से प्रतीत होता है कि यह बिल पास करने के पहले ही उनको आवश्यकता प्रतीत हो रही है, तो पास होने की स्थिति में क्या होगा, यह तो अन्दाज लगाया जा सकता है। यदि एक ही उसूल को माना जाता तो दो साल के लिये, यानी सन् १९५६ तक जिन एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ (essential commodities) पर भारत सरकार द्वारा पाबन्दी लगी हुई है, उनको छोड़कर बाकी चीजों के लियेकर की दर १२॥ परसेन्ट तक हो सकती है, यह धारा बिल में नहीं होती :

श्र हरिकृष्ण व्यास]

"The Government can provide that the rate at which the tax payable by a dealer or a casual trader in respect of any goods or class of goods to be specified in the notification shall be such not exceeding 12 1/2% on the taxable turnover as may be specified in the said notification."

यह बिल जो हम पास करने जा रहे हैं, उसमें ३॥ परसेन्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि १२॥ परसेन्ट तक के लिये कर रहे हैं। यह ख्याल माननीय मित्रों को रहना चाहिये और यह खयाल तभी रह पायगा जब कि हम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजें। हर सूबे में हर रियासत में यहां तक कि भारत सरकार में भी मनी बिल (money Bill) इन्ट्रोड्यूस होते हैं। मुझेमालूम नहीं माननीय मन्त्रीजी को इस बात का ख्याल है या नहीं, किन्तु हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय को तो इस बात का मालूम है, वे तो जानते हैं कि हर जगह मनीबिल इन्ट्रोड्यूस होते हैं। जो जो टेक्सेज़ राजस्थान सरकार की मातहत लागू किये गये हैं, उनकी रेट्स नियत करने के लिये वर्षानुवर्ष मनीबिल इन्ट्रोड्यूस होते हैं; उनकी कम्पेरेटिव पोजीशन दी जाती है कि अमुक टैक्स से पिछले वर्ष इतनी आमदनी हुई, अब हमारा एन्टीसिपेशन यह है और इस वजह से यह रेट लगाई जा रही है। भारत सरकार की भी एक्सपोर्ट ड्यूटी साढ़े सात परसेन्ट से इतनी कम हो गई है कि जिसे आप अखबारों आदि में पढ़ते हैं, पर उसने लेजिस्लेशन को कभी इग्नोर नहीं किया। राजस्थान सरकार की यह खासियत है कि लेजिस्लेशन को वह कितनी सीरियसली ले रही है, उसका यह प्रजातन्त्र का नमूना है। हर चीज में वह अपना यह विशेषाधिकार रखती है। आज तो रेट यह लेजिस्लेशन से रख दिया गया है, पर आगे जाकर राज्य सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वह उसमें रद्दोबदल कर सके। क्यों ऐसा अधिकार रहेगा ? राजस्थान की सरकार ऐसी कौनसी तीस मार खां की सरकार है कि वह टैक्सेज़ के बढ़ाने का अधिकार लेती रहे। पार्टी के जोर पर कितनी ही वह नाचे, उसे यह शायद अभिमान होगा कि पार्टी-बहुमत के जोर से जो चाहे वह करा ले, पर वैधानिक उसूल के तौर पर लेजिस्लेचर को कभी भी ऐसा टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को नहीं देना चाहिये। टैक्स की दर वह लेजिस्लेचर खुद मुकर्रर करे। पर बिल हमारे पास आया है; साढ़े तीन परसेन्ट और सात परसेन्ट की बात करना तो अलग रहा, मैं तो यह कहूंगा कि इसके वास्ते तो मैं क्या कहूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है, सरकार का ऐसा इरादा है तो इस बिल को पास करने के बारे में भी हमें बराबर सोचना पड़ेगा और अगर मौका आवेगा तो इसका बराबर विरोध करना पड़ेगा।

हकीकत में बात यह है कि सरकार की इस मामले में क्या पोलिसी होगी, उस पोलिसी का एक नमूना हमारे सामने है। एक भूख लगाकर उसे ललचाने की आदत उसने डाली है और फिर लेजिस्लेशन बनवा कर वह क्या करना चाहते हैं, यह मैं बताना चाहूंगा ? वे गजट में नोटिफिकेशन कराकर टैक्स बढ़ा देंगे। इतना ही नहीं, यह क्लॉज़ चालबाजियों से और बड़ी बड़ी तिकड़मों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की गुंजाइश से भरा पड़ा है। जिन महोदयों ने और जिन महोदयों के गुट्ट ने इसे बनाया है उनको वाकई दाद देना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह (सभापति)—यह क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन तो नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं केवल उतना ही जिक्र कर देना चाहता हूं कि जिससे सरकार के जो इरादे हैं उसे बताने में, उन्हें इल्यूमिनेट करने में आवश्यक हों। मैं क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बहस करना भी इस वक्त नहीं चाहता। वह तो जब वक्त आवेगा तब करूंगा, मैं तो केवल उन बातों की ओर इशारा कर रहा हूं जिससे इस बिल का स्वरूप और प्रिन्सिपल हमारे ख्याल में पूरी तरह से आ जावें और इसीलिये मैं अर्ज कर रहा था कि जिन्होंने इस बिल को डाफ्ट किया है उन्हें इस बात का सर्टीफिकेट देना पड़ेगा कि वे बहुत ही खतरनाक क्लॉजेज़ को इनऑफेन्सिव तरीके से कैसे रख देना, इसमें माहिर हैं। चाहे फिर वे माननीय मन्त्रीजी स्वयं हों या चाहे उनके सलाहकार हों क्योंकि इस तरह से अचानक चुपके से एक अधिकार और ले लिया है।

"The State Government may amend the schedule." और इस बिल की दूसरी जो जान है वह जान है शिड्यूल! अमूमन दूसरे बिलों में शिड्यूल कॉन्सीक्वेन्श्यल होते हैं। हमने यहां जितने क्लॉजेज़ पास कर दिये हैं उनमें से अपने आप निकलने वाला जो भाव होता है वह शिड्यूल ही होता है। पर जहां तक इस सेल्स टेक्स बिल के शिड्यूल का सवाल है वह निराला ही है। इस बिल के दो या सारे महत्वपूर्ण भागों में जिनमें जान अड़ी हुई है उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिल की धड़कन से सम्बन्ध रखने वाला यह शिडयूल है। क्यों? क्योंकि यहां शिड्यूल उन चीज़ों को दर्ज करता है जिनको एक्सेप्शन ग्रान्ट की गई है। तो कोई भी आदमी जब इस सेल्स टेक्स की ओर देखेगा तो यह पता लगाने की अवश्य कोशिश करेगा कि अगर वह ईमानदारी से राजस्थान के डेढ करोड़ नागरिकों की सेवा का उनके लाभ का ख्याल रखता होगा तो, आज सामान्य आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों पर टेक्स का बोझा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और वह सवाल जो है वह है यह कि जो यह तय करता है कि इन चीजों को हमने टेक्स के दायरे से बाहर कर दिया है कि नहीं कर दिया है। अब इस शिडयूल पर बहस तो होगी यह मैं जानता हूँ और इसमें सेकड़ों चीजें ऐसी हैं जो दर्ज नहीं हैं। हैंड स्पन और हैंड वूवन खादी तो जरूर दर्ज है लेकिन मोटा कपड़ा चाहे वह खादी का न हो, कोर्स क्लाथ है, मिडियम है, फाइन और सुपर फाइन को छोड़ दीजिये, पर कोर्स क्लाथ रेजी भी है वह नहीं दर्ज है। और खादी दर्ज है, ठीक है। खादी तो दर्ज होनी ही चाहिये। सस्ती मिले तो, मिलती तो नहीं है सस्ती, पर खैर! पर मामूली आदमी के पहनने का कपड़ा तो दर्ज होना चाहिये। और आप ताज्जुब करेंगे फ्रूट्स जो हैं वे फल तो दर्ज हैं। यह फलों पर पाबन्दी नहीं है, पर अगर फलों से किसी ने दवाई बना ली तो वह एक्सेप्शन है।

"Any medicine prepared from any one of these articles."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मेडीसिन तो एग्जेम्प्ट् हो गई, पर यह फ्रूट्स की दवाई बनाली गई वह नहीं । मुझे हैरानी हो रही है कि आखिर हम चाहते क्या हैं ? मनुष्य के लिए दवाई आवश्यक वस्तुओं में नहीं गिनी गई । मैं तो कहता हूं कि मेडिसन में यह चीज आनी चाहिये । इसके प्रस्ताव तो आवेंगे । पर मुझे ताज्जुब है कि बिल बनाने वाले कितने गम्भीर और सतर्क हैं कि जिन्होंने प्रस्ताव किया है और जिन्होंने फ्रूट्स तो एन्टर किये हैं इसमें पर फलों की अगर दवाई बन जावे तो उसे एन्टर नहीं किया है । और रोजमर्रा काम में आने वाली सैंकड़ों चीजें हैं , घासलेट का तेल और माचिस से लेकर फायरवुड और चार कोल को ले लीजिये , विद्यार्थियों के लिये स्लेट और पेन्सिल को एन्टर किया पर मामूली दवात कलम और पेन्सिल एन्टर्ड नहीं हैं । उनके खयाल से सारे विद्यार्थियों को प्राइमर क्लास के आगे जाना ही नहीं चाहिये । विद्यार्थियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और एक शिडयूल बना दी । ये तो बड़ी खामियां रहीं ।

लेकिन मैं जिस खास चीज़ पर इशारा कर रहा हूँ वह यह है कि इस बिल में एक बहुत बहुत खतरनाक उसूल डाला गया है, जान बूझकर डाला गया है, और वह यह है कि : The State Government may amend the schedule''

यानि अब मामूली आदमी की जो खुराक है, अनाज है, दालें है सीरिअल एण्ड पल्सेज़ हैं, वे इस विधान सभा के मातहत अब नहीं रहेंगे । वे तो लटकते रहेंगे कच्चे धागे पर और कैंची हाथ में रहेगी राजस्थान की सरकार के । वह जिस दिन चाहे इस शिड्यूल को अमेन्ड कर दे ।

एक माननीय सदस्य--क्या आपने इसे अच्छी तरह से देखा है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जी हां, इन पर तो मैंने काफी संशोधन रक्खे हैं, और इतनी अक्ल तो मेरे मित्रों को मुझे देनी चाहिये कि यह अमेन्ड करने का जो राइट सरकार ले रही है वह इसमें से ओमिट करने के लिए है, पर मेरा अमेन्डमेन्ट इसमें एडीशन के लिए है । इसीलिए मैंने कहा है कि: "The State Government, if it wants, may add to the schedule कोई डाल डाल चले तो पात पात चलना भी हमें आता है । अगर केवल इसमें एड करने के लिए लिखा है तो वह स्टेज बाद में आवेगी । पर हकीकत यह है कि इसमें से हटाने का उनका इरादा है, इसीलिये यह अधिकार लिया है और इसका तात्पर्य यह हुआ कि कानून हम बनावें, पर ऐसा बनावें, ऐसा डेलीकेट बनावें कि बाद में सरकार जब चाहे गज़ट में एक नोटिफिकेशन जारी कर दे और मनचाहा अमेण्ड इसे कर दे और इसके माने यह हुए कि असल अधिकार इससेल्स टेक्स के कानून बनाने का राजस्थान सरकार के पास में चला जावे । यह ऐसा डेलीकेट क्लॉज़ है और बड़ा खतरनाक क्लॉज़ है। हमें इसको संशोधित करना पडेगा ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसे देखने से कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई यह सेल्सटेक्स का बिल नहीं बन रहा है बल्कि एक विधान बनाया जा रहा है। दिल्ली में बैठे बैठे विधान सभा ने जरूर एक ऐसा क्लॉज़ मुकर्रर किया था विधान में, पर राजस्थान की सरकार तो इस सेल्स टेक्स बिल में इस प्रकार क्लॉज़ को रखना चाह रही है।

"Power to remove difficulties..,, का अधिकार लिया है इस क्लॉज़ से राजस्थान सरकार ने कि अगर हमारे इस कानून के बावजूद, गलती से, उनकी नासमझी से या और ऐसे ही किसी कारण से कानून में कोई खामी रह गई हो या रह जावे तो इस बात की इस क्लॉज़ के द्वारा गुंजायश रक्खी गई है कि इस प्रकार की अगर कोई डिफिकल्टी आ जावे तो एक हुक्म गजट में शाया कर दिया जावे और इस डिफिकल्टी को रिमूव कर दिया जावे।

अलबत्ता हाई कोर्ट में जब यह सवाल जावेगा तो वह क्या व्यू इसका लेगा, यह कहना तो बहुत मुश्किल है, पर मैं तो इस राय का हूं कि यह पॉवर डेलीगेट करने का जो यह क्लॉज़ है, वह लेजिस्लेचर के अधिकार का है। इस तरह जो विधान सभा का कार्य है लेजिस्लेट करने का उसे हम इस क्लॉज़ के द्वारा राजस्थान सरकार को मानो हम एक थाली में रखकर सौंप रहे हैं कि यह आपको दिया। तो यह गैर कानूनी है, अवैधानिक है। वह तो ऐसा है कि कोई भी डिफिकल्टी सरकार को इसमें आई तो फौरन गजट में हुक्म शाया किया और हल कर लिया। ऐसे तो फिर उन्हें खुली छूट आ जावेगी। राजनैतिक अनिश्चितता के बावजूद भी इतना तो है कि यहां प्रेसीडेन्ट रूल तो नहीं होगा और इस तरह से इसका अनुचित लाभ यह सरकार उठावेगी।

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—वह भी हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हो सकता है तो फिर हम कोई कानून बनावेंगे, उसमें अगर कोई डिफिकल्टी आई तो उसे प्रेसीडेन्ट रिमूव करते जावेंगे। पर जब तक राजस्थान की विधान सभा के सदस्यों में थोड़ी बहुत भी चेतना है, जागृति है, उनको चाहिये कि वे उस डिफिकल्टी को फाइन्ड आउट करें, उसे रिमूव करने के लिए सरकार हम से अधिकार ले, हमें कहे कानून में संशोधन करने के लिए। हम करेंगे उनकी डिफिकल्टी को सोच समझकर इस कानून में संशोधन, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो। लेकिन इस क्लॉज़ के अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार, डिफिकल्टी रिमूव करने का अधिकार जो लेजिस्लेचर का है, उसे सरकार को इस प्रकार से देना अन्यायपूर्ण होगा। इस प्रकार हम अबाउन्ड कर रहे हैं।

और मुझे तो हैरत यह रही कि राजस्थान सरकार को बेफ़र की आदत लग गई है। बम्बई के अन्दर तो लॉट्री और रेसेज़ पर रोक-थाम लगाने के लिए आन्दोलन चल रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो शर्तों के लिए अपने कानूनों के अन्दर गुन्जाइश रखी है कि १०० रु० हारो

श्री हरिकृष्ण व्यास]

या जीतो, मेरी इस बात को मजाक नहीं समझें, जो हाई कोर्ट के सामने जाने का सवाल है कि हाई कोर्ट में कुछ आदमी कानूनी प्वाइन्ट को लेकर जा सकते हैं, इसको तय करने का अधिकार भी विधान सभा को नहीं है। कोई कानूनी प्वाइन्ट हो तो राज्य सरकार चाहे या न चाहे कोई भी नागरिक हाई कोर्ट के पास जा सकता है। वह उसमें बन्धन डालते हैं तो फिर कानून को गैरकानूनी क्यों बनाया जाय ? लेकिन उसमें यह शर्त लगाई है कि अगर कोई हाई कोर्ट के पास जाना चाहता है तो सेल्स टेक्स कमिश्नर के पास १०० रु० जमा करे। अगर वह यह निश्चित करे कि उसका प्वाइन्ट गलत है तो या तो वह अपनी अर्जी वापिस लेता है और अगर हाई कोर्ट के पास जाता है तो शर्त लगाते हैं कि १००) जमा करो और वहां से हार गये तो १०० रु० जब्त हो जायेंगे। मुझे बड़ी परेशानी है कि कानून में हार और जीत की शर्तें लगाई जाती हैं, और कोस्ट का सवाल आता है तो वह हाई कोर्ट तय करेगा। हाई कोर्ट कोई ६ महीने का दूध पीता बच्चा नहीं है कि वह कम कोस्ट का सवाल तय करेगा। आज तक वह तय करता आया है, कर रहा है और करता जायगा। लेकिन १००)रू० की फीस सेल्स टेक्स कमीश्नर के पास जमा करना, किसी कानूनदां व्यक्ति के पास, एडवोकेट जनरल के पास की बात कहें तो बात है, हमारे मौजूदा एडवोकेट जनरल की बात अलग है, लॉ सेक्रेटरी के पास १००) रु० जमा करें जो कि कानून का बनाने वाला है, लेकिन सेल्स टेक्स कमिश्नर कौनसा बड़ा कानूनदां हो गया जिसके पास १००) रु० जमा कराये। राजस्थान सरकार बड़ी बड़ी गलतियां करती हैं, कौन से १००) रु० राजस्थान सरकार जमा करती है। वह पचासों केसेज़ हारती है। अभी की बात है कि एक लड़के को लॉ कॉलेज़ में पर्मीशन नही दी तो वह हाई कोर्ट में गया और वहां से एक तमाचा मिल गया। हाई कोर्ट ने उसको भरती करने का फैसला दिया। वह गलती करते हैं और रोज रोज करते हैं। लेकिन सरकार करे तो कुछ नहीं, एडवोकेट जनरल करे तो कुछ नहीं, और एक मामूली अर्जी करने वाला करे तो १००) रु० जब्त करना, यह केवल अन्याय ही नहीं, विधान के खिलाफ भी है, यह फन्डामेंन्टल राइट्स के खिलाफ है

यदि हम देखें, माननीय चेयरमेन, इसके अन्दर तो हमको यह पता लगेगा कि जल्दी जल्दी में जैसे किसी के मुंह में गरमागरम आलू पूरा का पूरा चला जाय और उसकी गरमी से परेशान होकर वह उसको थूक दे, इसी तरह से यह रावणनामी मल्टीप्वॉइन्ट सेल्स टेक्स बिल गरम आलू की तरह सरकार ने थूक दिया है, लेकिन उसके साथ में मैं जितने दकियानूसी तरीके हैं, खतरनाक प्रोवीज़न्स थे वह सारे के सारे मौजूद हैं। यहां तक कि पुलिस अफसर को यह अधिकार नहीं है कि किसी के घर में घुसकर सर्च ले, लेकिन सेल्स टेक्स इन्सपेक्टर जब चाहे दिन में घर में घुसकर सर्च ले ले, कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी मजिस्ट्रेट का हुक्म लेने की आवश्यकता नहीं और इसका नतीजा यह होगा कि राजस्थान सरकार को शायद डेढ़ करोड़ की आमदनी होगी। मैं नहीं कह सकता कि डेढ़ करोड़ की होगी या नहीं, क्योंकि वसूल करने वाले लोगों की जेबों के अन्दर बड़े बड़े सुराख हो जायेंगे और जितना पानी राजस्थान सरकार के टेन्क में आना चाहिए वह बहने लगेगा दूसरी जगह, लेकिन राजस्थान के लोगों को डेढ़ करोड़ रुपया देना पड़ेगा, तो फिर सेल्स टेक्स

Page No.53

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कमिश्नर और उनके सेल्स टेक्स इन्सपेक्टर की जेबों में भी उतनी की उतनी बड़ी रकम अवश्य डालनी पड़ेगी। उनकी रकम का रास्ता खोलने का अधिकार हम दे रहे हैं कि जब चाहे तब घर में घुसकर सर्च ले ले। इस प्रकार का अधिकार थानेदार को नहीं है, लेकिन सेल्स टेक्स के इन्सपेक्टर को है। यह जो बिल हमारे सामने आया है वह महज इस वजह से कि कस्टम हट रहा है, महज इस वजह से कि अब मल्टी-प्वोइन्ट सेल्स टेक्स के बजाय सिन्गल प्वाइन्ट सेल्स टेक्स लागू है, केवल इन्हीं चीजों से सन्तोष नहीं मान लें। बुनियादी खामियां दूर नहीं हों तो यह सेल्स टेक्स बिल उतना ही खतरनाक साबित होगा जितना कि इससे पहले वाला बिल खतरनाक था। यह खामियां तब दूर होंगी जब कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जायगा।

माननीय सभापति, मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि हम इस उसूल को मानते हैं, सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करें या न करें, लेकिन सेल्स टेक्स के उसूल को मानते हैं। मैं इस बात का साफ दिल से बराबर एलान करता आया हूँ कि जिस सेल्स टेक्स का बोझ सामान्य आदमी के ऊपर नहीं पड़े उस उसूल को मानना ही चाहिये। बोझ उसका एक मामूली आदमी पर नहीं पड़े, फिर चाहे सरकार की जेब हो या और किसी की जेब हो। यह एक प्रश्न है और जब तक इस बात की सफाई नहीं होती है कि यह किसकी जेब से छीना जायगा तब तक उस रुपये के लिए इजाजत देना यह कोई अक्लमन्दी की चीज नहीं हैं। उसूल को मानते हुए भी उस उसूल के नीचे रगड़पट्टी लगाकर, रेती लगाकर घिस घिस कर गोल किया जा रहा है उस चीज की मुखालफत करने के लिए एक मौका चाहिये, उसको ठीक करने के लिए एक मौका चाहिये और वह मौका सिलेक्ट कमेटी के द्वारा ही किया जा सकता है जो कि जल्दी से जल्दी इस बारे में सिफारिश करे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल हमारे सामने आया है। यह बिल ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि जिसमें न सिर्फ सरकार ने कोई अधिकार अपने हाथ में ले लिया है, न सिर्फ मामूली आदमियों की आवश्यकता की चीजें हैं, उनको टेक्स से महरूम नहीं किया गया है। पांच २ हजार जैसी नीचे की टेक्सेबल टर्म रखी गई है, पावर ऑफ सर्च रखी गई है, हाई कोर्ट में जाने के लिए १०० रु० की शर्त रखी गई है, यह सब किया गया है, लेकिन इस पूरे बिल में और भी बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि जानबूझ कर गोल रखा गया है या नहीं रखा गया है, लेकिन शक जरूर होता है कि उस बात को जानबूझ कर गोल रखा गया है। और भी यह है कि लाइसेन्स लेने के लिए आवश्यकता तक इसमें प्रदर्शित कर दी गयी है, लेकिन उस क्लॉज़ में प्रेस्क्राइब शब्द की भरमार है।

"He shall apply to the prescribed person on the prescribed date, on the prescribed form, in the prescribed manner." यह 'प्रेसक्राइब्ड' शब्द बारबार आया है तो वह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

फीस भी 'प्रेस्काइब्ड' शब्द में आ गई है। वह लाइसेन्स फीस कितनी होगी, डीलर्स और दूसरे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, यह अब राज्य सरकार तय करेगी। मगर दूसरी विधान सभाओं द्वारा पास किये हुए बिलों को देखते हुए. उनकी अक्ल को देखते हुए, उनके तरीकों को देखते हुए चलते हैं तो मैं मन्त्री महोदय का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्हें लाइसेन्स फीस में मौका है कि वह नियत कर दें, मगर इसका खयाल रखें कि वह टोबेको डीलर्स लाइसेन्सिंग बिल (Tobacco Dealers Licensing Bill) वाला किस्सा न हो जाय। उसमें राजस्थान सरकार लाइसेन्स से ४ करोड़ पैदा करने का स्वप्न देख रही थी, वह बिल शायद सिलेक्ट कमेटी में पड़ा हुआ है। वह जोश ठंडा हो गया है, ठेले वालों से फीस लेने का जोश ठन्डा हो गया है, लेकिन इसमें लाइसेन्स फीस १०० रु० या २०० रुपया जितना चाहे इस प्रकार से, खास तौर से ऐसी सरकार जिसको सिवाय इसके और कोई खयाल नहीं कि रुपया चाहिए और देती भी अनाप शनाप है, लेकिन जिसमें उतावलापन है उसके हाथ में ऐसा अधिकार हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिये। इस वजह से मैं सिफारिश करूंगा कि यह बिल एक सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाय। इसमें जो जो खामियां हैं उनके बारे में सिलेक्ट कमेटी विचार कर लेगी, एक अच्छे तरीके से और सहूलियत से। हम एक ऐसा बिल पास करने जा रहे हैं जिसका बोझ समान्य नागरिकों पर पड़ेगा। इसको हम अच्छी तरह से सोच-समझकर पास करेंगे तो इसका बोझ सामान्य नागरिकों पर नहीं पड़ेगा, ऐसी मुझे उम्मेद है और इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसे सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मल्टीपल सेल्स बिल की हिमायत करते करते उसको विड्ड्रा कर लिया जब कि आपने यह कहा था कि इस बिल का विरोध करने वाला कोई प्रतिक्रियावादी ही होगा, यह कहते हुए भी उन्होंने खुद ने उसको वापिस ले लिया, उसी तरह से खुला दिमाग रख कर इसके बारे में भी सोचेंगे और इसकी बुनियादी बातों के लिए सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिए राजी हो जायेंगे। नहीं तो मुझे उम्मीद है कि उधर बैठनेवाले माननीय सदस्य भी इसका विरोध करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—माननीय चेयरमेन, अभी मेरे मित्र जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस बिल के मुतल्लिक जो भाषण दिया और जो सुझाव रखा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। (हिअर हिअर)। मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि उन्होने कम से कम इस बात को तो सोचा कि मल्टीपोइन्ट सेल्स टेक्स जिसको लगाने का विचार उनका पहले था उसको अच्छा न समझा और हटा लिया। जब मल्टी-पोइन्ट सेल्स टेक्स बिल इस सदन के सामने आया था उस वक्त हमने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था कि राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त में इस टेक्स को लाना किसी भी प्रकार से जनहित का कार्य नहीं होगा। उस वक्त उनको वह बात अच्छी नहीं महसूस हुई और उन्होंने ख्याल किया कि यदि जनता से टेक्स नहीं लिया जायगा तो जनहित या जनता के फायदे के लिये सरकार कैसे कदम उठायेगी ? उस वक्त मैंने यह भी निवेदन किया था कि या तो सरकार इस टेक्स को, मल्टीपोइन्ट

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

टेक्स को अपने आप ही वापिस ले ले और यदि वापिस नहीं लेगी तो राजस्थान प्रान्त में एक ऐसा आन्दोलन चलेगा जिसके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति होगी जिससे सरकार एक पैसा भी रियलाइज़ नहीं कर सकेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वातावरण को देखते, हुए या दूसरे ऐसे प्रेशर या दबाव सरकार पर पड़े जिसकी वजह से या अक्लमन्द आदमी एक कदम उठाता है तो दूसरा कदम उठाते समय सोचता है दुबारा कि यह कदम ठीक है या नहीं तो मुमकिन है कि आगे कदम बढ़ाते समय उनको ज्ञान आया हो कि पहले का कदम ठीक नहीं था, लेकिन खैर, जो कुछ हुआ हो वे बधाई के पात्र है। उन्होंने जो प्रतिक्रियावादी कदम उठाया था उसको वापिस ले लिया है।

मेरे मित्र श्री एच०के०व्यास.ने एक बहुत लंबा-चौड़ा भाषण दिया और इस बिल के जितने पहलू थे उन पर रोशनी डाली। मैं उन बातों को दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह स्पष्ट है कि सिंगल पोइन्ट कानून होते हुए भी इसमें बहुत कुछ विचारने की आवश्यकता है और राजस्थान की जनता पर इस प्रकार का टेक्स सेल्स टेक्स के नाम से लगाने की तजवीज है, जिससे जनता का हित नहीं होगा और यदि हम अभी इसको पास करदें तो हम उस पर अच्छी तरह से विचार नहीं कर सकेंगे। हम सिलेक्ट कमेटी में अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं।

माननीय चेयरमेन, कहा यह जाता है कि क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी हम हमारे प्रान्त से अब हटा रहे हैं इसलिये हमको इसके बजाय कुछ न कुछ टेक्स लगाना लाजमी है। जहां तक सेल्स टेक्स का सिद्धान्त है इस पर कोई दो विचार नहीं हो सकते, टेक्स लगाना सरकार का काम होता है। उसके बगैर सरकार काम नहीं चला सकती। लेकिन यह देखना है कि जनता पर किस कदर और किस हद तक बोझ डाला जा रहा है और जो बोझ डाला जारहा है उससे होने वाली आमदनी जनता पर खर्च की जा रही है या नहीं या फिजूल खर्ची में रुपये लगाये जारहे हैं। पहले पहल मैं यह निवेदन करूंगा कि कस्टम ड्यूटी आज तक जो राजस्थान की जनता पर लगाई जा रही थी वह भी गैर कानूनी थी। हमारे भारत के संविधान में यह साफ कर दिया गया है, कि कस्टम ड्युटी सिर्फ समुद्र पार से आनेवाली वस्तुओं पर यानी जो वस्तुएं बाहर से भारत में आयेंगी उन पर लगाई जावेगी और उसको केन्द्रीय सरकार लेगी। पहले की भूतपूर्व रियासतें जो स्वतंत्र रियासतें थीं और स्वतंत्र रियासतें होने के कारण उनको कस्टम लगाने का हक था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इस प्रकार का किसी को अधिकार नहीं था कि वह कस्टम ड्यूटी लगावे। फिर भी हमारा संविधान लागू होने के बाद फेडरल फाइनेन्स की जांच करने के लिये एक कृष्णमाचारी कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार ५ वर्ष का समय कस्टम उठाने के लिये उन रियासतों को दिया, जो पार्ट बी की रियासतें कहलाती थीं। उस समय ५ साल के लिये ही कस्टम ड्यूटी लागू रखने की इजाजत दी गई थी। यह हमारी सरकार का उदारता का कदम नहीं है कि वह कस्टम ड्यूटी वापिस ले रही है लेकिन यह हमारा हक है कि १ अप्रेल, १९५५ से ड्यूटी कस्टम चालू नहीं रह सकती। फिडरल फाइनेन्शियल एग्रीमेन्ट के अनुसार यह राजस्थान के साथ तय हुआ था यह शर्त थी, कि ५ साल के अन्दर २ कस्टम डयूटी हटाई जायगी। इन पांच सालों में से पहले साल १/५ भाग कम होगी, दूसरे साल २/५ कम होगी, तीसरे

[कु ० श्री जसवन्तसिंह]

साल ३।५ कम होगी, चौथे साल ४।५ कम होगी और पांचवे साल बिल्कुल हटादी जायगी। लेकिन पिछले चार साल या करीब साढ़े चार साल तक हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं किया और संविधान में जो प्रोविजन रखा हुआ था उसकी अवहेलना करके कस्टम ड्यूटी ज्यों की त्यों चालू रखी। अंत में जब कि ५ साल पूरे होनेवाले हैं और १ अप्रेल १९५५ से उनको कोई हक नहीं रहेगा कि कस्टम ड्यूटी चालू रखें इसलिये मजबूरन १ अप्रेल १९५५ से कस्टम ड्यूटी हटानी पड़ेगी इसलिये मैं उनको कस्टम ड्यूटी हटाने को श्रेय नहीं दूंगा कि वे कस्टम ड्यूटी हटा रहे हैं। लेकिन हमारे संविधान और केन्द्रीय सरकार की ओर से जो दिया जा रहा है कि इसके बाद वे कस्टम ड्यूटी चालू नहीं रख सकते।

अब सवाल यह है कि कस्टम ड्यूटी चली जाने से जो नुकसान होगा उसकी पूर्ति किस तरह करेंगे ? इसलिये इसके बजाय सेल्स टेक्स लगाया जा रहा है। मैंने पहले ही कह दिया था कि सिद्धान्त से सेल्स टेक्स का किसी को विरोध हो नहीं सकता और कोई आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन सिद्धान्त पर मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहूँगा कि वे यह बताये कि कस्टम ड्यूटी रहते हुए भी किस प्रान्त में सेल्स टेक्स लागू है ? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सिद्धान्त के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि आपत्तिजनक भी है। यदि आपको सेल्स टेक्स लगाना है तो आप १ अप्रेल १९५५ तक कोई सेल्स टेक्स नहीं लगा सकते। मैं यह जानता हूँ कि मन्त्री जी यह कहेंगे कि हम सेल्स टेक्स उन चीजों पर लगा रहे हैं जिन पर से कस्टम ड्यूटी हट गई है।

लेकिन सिद्धान्ततः यह बात गलत है, किसी भी रूप में सेल्स टेक्स नहीं लग सकता जब तक कि कस्टम्स ड्यूटी लगती है। और १ अप्रेल, १९५५ तक सरकार कस्टम्स ड्यूटी लगाने का इरादा रखती है तो इस दरम्यान में वह जनता पर सेल्स टेक्स नहीं लगा सकती। जिन चीजों पर सेल्स टेक्स लगता हो उन पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती और जिन चीजों पर कस्टम्स ड्यूटी है उन चीजों पर सेल्स टेक्स नहीं लगाया जा सकता। इसे कस्टम्स ड्यूटी भी कहना गलत है, मैं तो यह कहूंगा कि ये इन्टरनल बेरियर्स हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत में एक कोने से दूसरे कोने में ये ड्यूटियां नहीं लगाई जा सकती हैं। इस दरम्यान में जनता पर सेल्स टेक्स लगायें तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है, क्या हमारी सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि फोरेन देशों से जो चीजें आती हैं और जिन पर केन्द्रीय सरकार कस्टम्स ड्यूटी लेती है वही चीजें राजस्थान में आने से उन पर फिर कस्टम्स ड्यूटी लगाते हैं तो क्या इस प्रकार जनता पर दुगुना कस्टम्स ड्यूटी का बोझा नहीं लगता। बम्बई, कलकत्ता में कस्टम्स ड्यूटी केन्द्रीय सरकार की ओर से लगती है फिर दुबारा उन्हीं चीजों पर कस्टम्स ड्यूटी लगाना कहां तक न्याय संगत कहा जा सकता है ?

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

सिद्धान्ततः यह सेल्स टेक्स लगाना विधान के विरूद्ध है, यह जनता पर दुगुना बोझा लादना है, जो कि जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सिद्धान्ततः जो सेल्स टेक्स लगाने पर आपत्ति है वह यह है कि जब तक कस्टम्स ड्यूटी है, तब तक सेल्स टेक्स लगाना जुल्म है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जुल्म है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या फरमाया माननीय सदस्य ने?

श्री सोहनलाल भटनागर—जुल्म है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जी हां, जुल्म है कि कस्टम्स ड्यूटी भी ली जाती है और सेल्स टेक्स भी लिया जाता हो। १ अप्रेल, १६५५ तक यह कभी लागू नहीं रहना चाहिये।

जो सेल्स टेक्स लाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस पर रोशनी डाली जाय।

जो इसका सब क्लॉज़ (१) है उसमें यह लिखा है कि राजस्थान गजट में आया होते ही यह सेल्स टेक्स लगा दिया जायगा। इस पर सिद्धान्ततः मुझे आपत्ति है। मैं दो चार दफा कह चुका हूं कि यह गलत सिद्धान्त है कि जब तक कस्टम्स ड्यूटी राजस्थान में है, तब तक सेल्स टेक्स लागू नहीं किया जाय। जब तक कस्टम्स ड्यूटी है तब तक सेल्स टेक्स लागू नहीं हो सकता।

दूसरा सिद्धान्त जिस पर गौर करने की आवश्यकता है वह यह है कि इन्सीडेन्स ऑफ टेक्स, कि यह टेक्स किन किन व्यवसायों पर किन किन चीजों पर और किन किन व्यक्तियों पर लगेगा ? इस पर मेरे मित्र ने काफी रोशनी डाल दी है। मैं उनकी दलीलों को दोहराना नहीं चाहता! जो रकम रखी गई है, टेक्सेशन टर्न ऑवर के लिये, व्यवसाय करने वालों के लिये ५,००० की रकम रखी गई है, इम्पोर्टर ऑफ गुड्स और मेन्युफेक्चर के लिये यह रकम इतनी नीची आ गई है कि हरएक साधारण व्यवसायी पर यह लागू होगा। केज्युअल ट्रेडर्स जो कि कोई आरजी ठेला फेरने वाले हैं, उन पर भी लागू होगा। पार्टीशन के बाद जो दुखी शरणार्थी आये हैं और जो दूसरे गरीब केज्युअल ट्रेडर हैं, मामूली आजीविका कमाते हैं, उन पर भी यह सेल्स टेक्स लगाने का तय किया गया है।

हमारे पास ही यू. पी. प्रान्त हैं और पंजाब है, उनके हमारे राजस्थान का कम्पेरिजन कीजिये। माली हालत वहां कैसी है और हमारे यहां की माली हालत कैसी है ? जो उद्योग आदि हमारे यहां और उन प्रान्तों में चलते हैं उनकी हालत क्या है ?

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

मैं सरकार से और मंत्रियों से अर्ज करूंगा कि वे पुरानी राजधानियों में और डिस्ट्रिक्ट्स में जायें और आखें खोल कर देखें तो मालूम होगा कि आज वहां धधां करने वालों की, व्यवसाय करने वालों की क्या हालत हैं । केवल यहीं कुर्सी पर बैठ कर कानून बनाने की बातें करना अलग बात हैं। पर डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर आखों से देखना और बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर देखेगें तो कभी यहां पर सेल्स टेक्स नहीं लगायेगें।

बीकानेर एक फलता फूलता नगर था आज वहां भुकमरी और बेकारी ऐसी जबरदस्त फैल रही हैं कि उसको देखना मुश्किल हो जाता है। वहां जा कर यह दशा देखने की तो मंत्रियों से हम आशा नहीं कर सकते क्योंकि दुर्भाग्य से बीकानेर में ऐसा वातावरण बन गया है कि कोई भी मंत्री पब्लिक मीटिंग कर के अपने विचार व्यक्त करे यह वहां नामुमकिन हो गया है, चीफ मंत्री मुख्य मंत्री से लेकर दूसरे किसी मंत्री का बगैर पुलिस की मदद के शहर में से निकलना मुश्किल हैं।

श्री मथुरा दास माथुर—It does not look well of Bikaner.

श्री जसवन्त सिंह—चूंकि मेरे माननीय मित्र भी पहले मन्त्री रहे हैं अतः उनको अनुभव हैं कि पुलिस के होते हुए भी काला झंडा हाथ में दे कर उन्हें बीकानेर के विद्यार्थियों ने एक प्रोसेशन में निकाला था।

श्री मथुरा दास माथुर—This is the cultured development of Bikaner.

श्री जसवन्त सिंह—हमें खुशी हैं कि उनके साथ जैसा व्यवहार, जैसा बरताव बीकानेर में किया गया था उसके विरुद्ध उन्होंने अपनी पूरी ताकत आजमाई कि हम बीकानेरी क्या कर सकते है, उसको वे महसूस कर रहे हैं।

मुझे अर्ज यह करना है कि यह जो कानून बनाया जा रहा है वह सिर्फ टेबल कुर्सी पर बैठ कर बनाया जा रहा है अगर डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर असली हालत को देखते कि राजस्थान के उद्योग करने वालों की व्यवसाय करने वालों की क्या हालत है, क्या उनकी हालत ऐसी है, क्या वे इतना बड़ा टेक्स देने की स्थिति में हैं ? अगर इस बात पर विचार किया जाता तो यह टेक्स इस सदन के सामने लाने की नौबत ही नहीं आती जब कि पहले से ही कस्टम्स ड्यूटी देते हैं।

इस सदन में तो जो कुछ तय होता है वह पार्टी के बहुमत के आधार पर तय होता है। विरोधी पक्ष की ओर से जो कुछ कहा जायगा उस पर कोई विचार नहीं किया जायगा। सिलेक्ट कमेटी में पार्टी का कोई ख्याल नहीं रहेगा और खुले दिल से इस पर विचार होगा इस लिये मेरी राय में इसे सिलेक्ट कमेटी मे भेज देना चाहिये।

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

एक दूसरी अहम बात जिस पर कि मैं सरकार की तवज्जो दिलाना चाहता हूं वह क्लॉज़ ४ पर है। इसमें यह है कि किन किन चीजों पर यह लागू नहीं होगा ? इस पर सरकार ने कुछ अधिकार अपने हाथों में लेने चाहे हैं, जैसा कि क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ ३ में है कि नोटिफिकेशन के द्वारा किसी गुड्स को या क्लास ऑफ गुड्स को, किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्तियों की क्लॉस को एग्जेम्प्ट करना चाहे तो नोटिफिकेशन के जरिये सरकार को ऐसा करने का अधिकार होगा।

मैं मन्त्रियों से कह दूं कि बहुत बड़ी आशा करते हैं कि यह सदन राजस्थान की इस सरकार को जिसको राजस्थान का हर एक नगर, नागरिक जानता है कि इस प्रकार के पॉवर उनके हाथ में दे दिये गये तो सरकार इन अधिकारों को किस तरह इस्तेमाल में लायगी। तो राजस्थान सरकार इतने ज्यादा अधिकार लेने की आशा रखती है जो अधिकार सदन के हाथ में हैं उन अधिकारों को अपने हाथों में लेकर सरकार यह करना चाहती है कि जिसको चाहा उसको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया। मैं समझता हूं कि सरकार को इतनी बड़ी आशा इस सदन से नहीं करनी चाहिये। मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि सदन इतना बड़ा अधिकार किसी भी हालत में सरकार के हाथ में देने को तैयार नहीं। इसलिये इस पहलू पर विचार करने के लिये इस बिल का सिलेक्ट कमेटी में जाना बहुत जरूरी है।

अब रेट ऑफ टेक्स के मुतल्लिक सरकार बहुत बड़ा अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, और इस विषय पर मेरे मित्र जो जोधपुर से आये है श्री एच. के. व्यास ने सदन के सामने बहुत विस्तार से निवेदन किया है और मैं तो यह कहूंगा कि मान लिया जावे कि रुपये में दो पैसा टेक्स मामूली चीज पर लगाने के लिये तैयार हैं, उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार इसके साथ साथ यह भी चाहती है कि अगर वह चाहे तो कुछ चीजों पर १०० में १२॥ प्रतिशत तक सेल्स टेक्स लगाने का सरकार को अधिकार होना चाहिये यह पॉवर सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार का जो रवैया है उसको देखते हुए अगर इस प्रकार का अधिकार दे दिया जावे तो हमारे राजस्थान प्रान्त का परमात्मा ही मालिक और वही संभालेगा, जिस प्रकार की कहावत है कि चाइना शोप में जहां कांच और चीनी के बर्तन हों वहां पर जैसे हमारे बीकानेर में गोधे और सांड होते हैं उनको दुकान में खुले छोड़ दिया जावे तो शायद ही कोई चीज उस दुकान में बचेगी और सब चकना चूर हो जावेगी, इसी तरह से अगर १२॥ प्रतिशत टेक्स लगाने का अधिकार आज की राजस्थान सरकार को दे दिया जावे तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि राजस्थान प्रान्त को परमात्मा ही संभालेगा। यह एक ऐसा विषय है जिसको हम आसानी से देने के लिये तैयार नहीं हैं और यह एक विधान सभा का अधिकार है जिसको सरकार लेना चाहती है।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

माननीय चेअरमेन, अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान क्लॉज़ ६ की ओर आकर्षित करूंगा। क्लॉज़ ६ के सब-क्लॉज़ (२) के (iii) पर यह लिखा है कि "To produce or cause to be produced such accounts or documents pertaining to the assessment year and to three years preceding as the assessing authority may require." तो इसके माने यह होंगे कि टेक्स लेने वाला अधिकार ३ वर्ष पहले का हिसाब भी देखेगा जिन पर यह टेक्स लगाया जावेगा। यह बात टैक्स लगाने के तीन चार साल के बाद में मुमकिन हो सकती है। लेकिन हमारी सरकार का विचार है कि इसी साल यह लागू किया जावेगा और जो टेक्स लेनेवाला अधिकारी होगा वह सब अभागे टैक्स पेअर की जांच करेगा कि पिछले तीन वर्षों में क्या क्या बिजनेस उन्होंने किया, मैं यह कहूंगा कि उनको क्या मालुम था कि अमुक साल में सेल्स टेक्स आनेवाला है और इस वजह से उनको अपने बिजनेस का हिसाब रखना चाहिये। आपको बहुत से व्योपारी ऐसे मिलेंगे और हो सकते हैं कि उनके पास पूरा हिसाब नहीं हो। जिनके पास हिसाब नहीं होगा उनके साथ टैक्सिंग ओथरेटी ज्यादती कर सकती है और इससे उन लोगों को बहुत परेशान होना पड़ेगा, यह बात भी हो सकती है। इस बात पर भी हमको एतराज करना है कि तीन वर्ष का एकाउन्ट देना होगा, कानून के शुरु होने के दो वर्ष तक यह हिसाब नहीं मांगा जाएगा इस बात पर भी विचार करना होगा।

माननीय चेयर मैन, क्लॉज़ ६ में सब-क्लाज़ ५ में यह लिखा गया है : In determining the tax far the year 1954-55 the assessing authority shall allow a rebate, varying from 20 percent to 40 percent, as may be found necessary, of the tax payable on imported good by a dealer......and so on and so forth." इसके माने यह होंगे कि उस साल में जो टैक्स लगेगी उस पर जो टेक्स लेने वाला अधिकारी हैं दुकानदारों के सामान को देखेंगे कि पिछले साल के का सामान कितना है और अगर उनको यह संतोष हो जावेगा कि यह सामान पुराना है तो उस पर २०प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक रीबेट देंगे। इससे जो भ्रष्टाचार फैलेगा उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर इसके साथ-साथ उन दुकानदारों द्वारा जनता के लोगों को यह रीबेट मिलेगा या नहीं और वे लोग गरीब लोगों को सामान बेचते वक्त रीबेट किस प्रकार देंगे? मैं यह माननीय मन्त्री से जानना चाहूँगा कि इसके लिये आपने क्या सोचा है? अगर दुकानदार टेक्स के अधिकारियों को कुछ पैसे देकर या किसी प्रकार का प्रलोभन देकर रीबेट ले सकते हैं, तो वे सामान भी महंगाई से बेच सकते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो गरीब आदमी हैं जिनको लाभ इसका मिलना चाहिये किसी तरह से नहीं मिलेगा। इस बात पर विचार करना जरूरी है कि किस तरह से इस बात की गारन्टी रहेगी कि जनता के गरीब लोगों को सस्ती चीज मिलेगी।

अब मिस्टर चेयरमेन सर, अगर किसी व्यवसाय से या उद्योग करने वालों पर टेक्स लगा दिया जावेगा और अगर वह गलत लिया गया है तो उसको रिफन्ड का प्रोविजन रखा गया है,

[कुं. श्री जसवन्तसिंह]

कि ज्यादा टेक्स ले लिया गया हो तो वह वापिस दे दिया जावेगा तो मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को और हमारे प्रान्त के हर सदस्य को जो गवर्नमेन्ट के साथ रुपयों का लेन और देन करता है मालूम होगा कि वापिस रुपया लेने में कितनी दिक्कत पेश आती है। यह मैं अपने अनुभव से और साधारण अनुभव से कह सकता हूं कि जो रुपया ज्यादा गवर्नमेन्ट के खजाने में पहुंच गया है उसको वापिस रिफन्ड में जो दिक्कतें और परेशानियां होती हैं वह बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं। मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं, हालांकि इस विषय का यह मामला नहीं है, कि पेन्शन और ग्रेच्युटी का कमाया हुआ रुपया भी उन लोगों को ५-१० साल तक नहीं मिलता। उनको तो क्या, उनके मर जाने के बाद उनके पीछे बाल बच्चों को नहीं मिलता। तो क्या हम उम्मीद करें कि अगर टेक्स सरकार व्यवसाइयों से ज्यादा ले लेगी तो लौटा देगी? उनको २० वर्ष तक भी रुपया वापिस नहीं मिलेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि रिफन्ड के प्रश्न पर समय निश्चित होना चाहिये कि इतने समय में जो रुपया गवर्नमेन्ट ने ज्यादा ले लिया है उसको हाई कोर्ट या कमिश्नर के पास अर्जी देने पर ज्यादा बताया गया है, उसको रिफन्ड कर दिया जावेगा। इस पहलू पर विचार करना बहुत आवश्यक है।

अब एक क्लॉज़, माननीय चेयरमेन, १५ है और १५ के सब क्लॉज़ (५) की ओर मैं माननीय मंत्रीजी की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। वह क्लॉज़ यह कहता है कि "The Commissioner or the authority sanctioning the prosecution may either before or after the institution of proceedings compound any offence."

इसके माने यह हुए कि अगर कोई व्यवसाय करने वाला, या उद्योग करने वाले की गलती हो जाय और प्रोसिक्युशन के लिए कचहरी में जाने तक की नौबत आ जाय तो टेक्सलेने वाले अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उससे वह सुलहनामा कर ले। यह बात सुन्दर तो मालूम होती है और मेरे मित्र जो कस्टम्स के मन्त्री हैं वे जानते हैं कि कस्टम्स और एक्साइज़ में इस तरह का प्रोविजन रखा है किन्तु मैं उन्हीं के अनुभव से जानना चाहूंगा कि इससे कितना भ्रष्टाचार हमारे राजस्थान में फैला हुआ है। तो ये पोवर्स सेल्स टेक्स में फिर दे देंगे, उन्हें कम्पाउन्ड करने का अधिकार दे दिया जायगा तो जब कि दिन दुना और रात चौगुना भ्रष्टाचार फैल रहा है इससे और अधिक गुन्जाइश मिल जायगी; भ्रष्टाचार के फैलने की। इसलिए मैं इस प्रोविजन का भी विरोध करता हूं। सिलेक्ट कमेटी द्वारा इस पर भी विचार करना आवश्यक है।

अब जो क्लॉज़ २१ है उसमें यह है कि हिसाब किताब, बहियें, खातों को कब्जे में कर लेने का अधिकार है, उनके मकानों पर जाकर तलाशी लेने के अधिकार हैं, यह तो नादिरशाही हुक्म से भी एक आगे की तजवीज़ है। इस विषय पर भी मेरे मित्र जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। पुलिस का अफसर भी बिना किसी बड़े अधिकारी के वारन्ट पर पकड़ नहीं सकता, माल जब्त नहीं कर सकता है। जब कि इसमें यह तजवीज़ की गई है कि यदि किसी

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

[कुं. श्री जसवन्तसिंह]

अधिकारी को शंका हो तो वह किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी के यहां और किसी जगह जाकर उसके हिसाब किताब को, बहियां, खाता सब को जब्त कर सकता है, तलाशी ले सकता है। तो वह इस तरह का काम कर सकता है जो कि बड़े से बड़े गुनाह में भी पुलिस को हक नहीं है। अतः इस पर भी दुबारा विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, अब मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान क्लॉज़ २६ की ओर आकर्षित करूंगा जहां पर कि जो कठिनाइयां आती हैं उनको हटाने की तजवीज़ की है। इस पर भी मेरे मित्र एच. के. व्यास ने बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन मैं खुद माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि उनके पास ऐसा कौनसा कानूनी हक है कि जिसके द्वारा वे इस तरह का कदम उठा सकते हैं। और अगर वे यह चाहते हैं कि यह सदन उन्हें इस प्रकार का हक दे दे तो मैं यही कहूँगा कि इसे जनतन्त्रवादी राज्य कहलाने का हक नहीं होगा। यह तो नादिरशाही हो जायगी कि बगैर सदन के सामने आये सरकार को अधिकार हो कि वह चाहे जो कर सके। इसके लिए सोच-विचार करने और सिलेक्ट कमेटी में इस मामले को लाकर पूरी तरह विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है।

अन्त में मैं माननीय उपाध्यक्षजी, शिड्यूल की तरफ भी माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस शिड्यूल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कि टेक्स नहीं लगेगा और बहुत सी ऐसी चीजें भी बतायी गई है, जिन पर कि टेक्स लग सकेगा। इस शिड्यूल में तीन नम्बर की जो चीजे हैं और जिसमें दूध वगैरह भी हैं, जिन पर कि टेक्स नहीं लगेगा, लेकिन खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि घी पर और मक्खन पर यह सेल्स टेक्स लगेगा; ऐसे ही तो शुद्ध दूध, घी और मक्खन राजस्थान में मिलना ही दुश्वार हो गया है और जो नकली चीजें दुनियां भर में मिल सकती हैं वे आज हमारे राजस्थान में भी मिल रही हैं। वेजिटेबल घी जिसकी राजस्थान में आने की मुमानियत है वह सैंकड़ों मन मिलता है और जब चाहें हमारे माननीय मन्त्रीजी खरीद सकते हैं और वह आसानी से उन्हें मिल सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि घी और मक्खन एक ऐसी चीज़ है जो कि साधारण जीवन के लिए आधारभूत है, और जिसकी जरूर आवश्यकता है। मक्खन और घी जैसी स्वच्छ चीजों पर जीवन का आधार है और जो रोजाना इस्तेमाल करने की वस्तुएं हैं, उन पर भी आपके खयाल से सेल्स टेक्स लगाना चाहिए तो इसको भी मैं उचित नहीं समझता।

इसके अलावा भी दूसरी चीजें हैं, बच्चों के लिखने-पढ़ने, खेलने-कूदने की वस्तुएं हैं, दवाइयां हैं। जो पेटेन्ट मेडीसिन्स हैं, जो गरीब आदमी के लिए, वैसे पहले से ही भारी बनी हुई हैं फिर उन पर टेक्स लगाया जाय तो वह उसकी ताकत के बाहर होगा कि वह उनको खरीद सके। आज डाक्टर्स को भी यह मर्ज हो गया है कि वे जो दवाईयां प्रेस्क्राइब करते हैं वे पेटेन्ट मेडीसिन्स ही करते

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

हैं और इन पर और सेल्स टैक्स लगाने से इसका मतलब यह भी होगा कि साधारण लोग उन दवाइयों से भी महरूम रह जांय।

तो ये सब बातें ऐसी हैं इस सेल्स टैक्स बिल में कि जिन पर एक जगह बैठकर इन बातों पर, पहलुओं पर निर्णय करें, और जैसी कि सरकार को जल्दी है कि इसको हम फौरन से पास करें और यह एक्ट बनाकर जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाय, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही ज्यादती होगी और भारतवर्ष के सारे प्रान्तों में से यह चीज राजस्थान प्रान्त में ही होगी, जहां टैक्सों की भरमार है और जहां टैक्सों की भरमार ही नहीं, किन्तु जहां जरूरी और आवश्यक खर्चा होना चाहिये, वहां पर खर्चा करने के लिए हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है। जब कहीं स्कूल खोलने का होता है और माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करते कि फलां फलां जगह स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है तो उनका सीधा जवाब यह मिलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जहां पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है वहां पर पानी की तरह रुपया बहाया जा रहा है जिसके लिए कई एक्ज़ाम्पल्स दी जा सकती हैं। तो मैं यह निवेदन करूं कि इस प्रकार हमारे राजस्थान की जनता जिसकी कमर पहले ही से करों द्वारा झुकी जा रही है और उस पर इतने भारी कर साधारण जीवन को चलाने वाली चीजों पर भी लगाया जा रहा है उसका असर साधारण जनता पर पडेगा, न कि धनाढ्य लोगों पर पड़ेगा और यह कार्यवाही इस सदन में इस बिल के द्वारा पास कराई जा रही है जो कि अनुचित है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूं कि राजस्थान की गरीब जनता के हित में यह ठीक होगा कि इस बिल पर अच्छी तरह से विचार किया जाय और अच्छी तरह से विचार करने के लिए इस बिल को इस समय सदन में न लाकर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वहां पार्टी लेवल पर इस पर विचार न करके एक्रोस दी टेबल सभी मत के माननीय सदस्य वहां इकट्ठे होकर, एक दूसरे को विश्वास में लाकर हम एक मत से इस बिल को इस सदन में लायें तो उचित होगा और कुछ समय में यह आशा की जा सकती है कि १ अप्रेल, १९५५ पहुंच जायगा, जब कि कस्टम ड्यूटी मजबूरन हटानी पड़ेगी और हमारा जो पवित्र संविधान है उसकी भी अवहेलना नहीं होगी और हम एक स्वस्थ परम्परा भी कायम कर सकेंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय उपाध्यक्ष...

श्री उपाध्यक्ष—श्री मथुरादास माथुर।

श्री माथुरादास माथुर—मैं जो प्रस्ताव जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है उसके विरोध में विचार उपस्थित करना चाहता हूं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हियर, हियर।

श्री मथुरादास माथुर—साथ में मुझे खेद है कि विरोधी दल के नेता के विचारों का भी विरोध हो जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—खेद क्यों ?

श्री मथुरादास माथुर—जो दलीलें उस ओर से अभी तक रखी गई हैं, इस बिल को सदन में रखने के लिए कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना बहुत ही जरूरी है, उन दलीलों को हमने गौर से सुना है।

जो बातें कही गई हैं उसमें से हो सकता है कि कुछ पॉइन्ट्स ऐसे हों जो गौर तलब हों। यह बिल एक बहुत छोटा सा बिल है, इसमें सिर्फ २६ क्लॉज़ेज़ हैं और इस बिल के ऊपर पहले सिलेक्ट कमेटी में काफी चर्चा हो चुकी है और उसके बाद में वह बिल वापिस ले लिया गया और माननीय मन्त्री महोदय ने दुबारा यह बिल सदन के सामने रखा है। इस बिल पर, वैसे इस देश में और दूसरे प्रान्तों में, जहां पर इस तरह के बिल लागू हो गये हैं, वहां अखबारों में और दूसरे जरिये से इसकी काफी चर्चायें हो चुकी हैं, उन सब के तजुर्बे को ध्यान में रखकर इस बिल को सदन में लाया गया है, इसलिए मैं सदन के समक्ष साहस से यह कह सकता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर खामख्वाह समय को जाया करने की आवश्यकता नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—केवल यह कहने में साहस ही है या और कोई दलील भी है ?

श्री मथुरादास माथुर—जरा सन्तोष रखिये, दलील भी आपको सुनने को मिल जायगी। खास तौर से इसमें कुछ क्लॉज़ेज़ के बारे में चर्चाएं हुई हैं, उनको जरा समझने में गलती हुई है। मैंने खास तौर से विरोधी दल के नेता के भाषण को ध्यान पूर्वक सुना और अब उनके भाषण का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं इस चीज को शुरू में ही अर्ज कर चुका हूं कि कुछ क्लॉज़ेज़ ऐसे हो सकते हैं जिनको अमेंड करना जरूरी हो सकता है। उनकी चर्चायें सदन में की जा सकती है और सदन में ही उनको तरमीम किया जा सकता है। इसके लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना और इसको लम्बा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा।

सब से पहले जो दलील दी गई है वह यह है कि जो कस्टम ड्यूटी अब तक चालू है यह कानून बन जाने के बाद प्रेसीडेन्ट की असेन्ट आने के बाद, जब यह एक्ट लागू हो जायगा तो यह डुप्लीकेशन ऑफ टेक्सेज़ हो जायेगा जो टेक्सेज़ के सिद्धान्त के खिलाफ है। दलील देनेवाले महाशय ने इधर से जो दलील आने वाली है, उसके बारे में भी शक जाहिर कर दिया था। लेकिन मैं उसको खुलासे के साथ अर्ज करना चाहता हूं। न माननीय मन्त्री का इस प्रकार का इरादा है और न बिल लाने वाली पार्टी का ही ऐसा इरादा है। अब भी दूसरे कानून द्वारा पेट्रोल पर कस्टम लगता था, किन्तु अब उस कस्टम को हटाकर उस पर सेल्स टेक्स लगा दिया है, जो लागू है। ज्यों ही उस पर सेल्स टेक्स लग गया कस्टम ड्यूटी उस पर से हट गई। इसी प्रकार जिन जिन कॉमोडिटीज़ पर सेल्स टेक्स लग जायगा उन पर से कस्टम ड्यूटी हटती जायगी, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही वस्तु पर दो दफा टेक्स लग रहा है।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—कौन से क्लॉज़ में यह बात लिखी हुई है कि सेल्स टेक्स जिस चीज़ पर लग जायगा उस पर कस्टम नहीं लगेगा ?

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह तो साफ है इस बिल में, आप पढ़कर देख लीजिये । यह तो मानी हुई बात है कि जिन चीजों पर सेल्स टेक्स वसूल होगा उन पर कस्टम तो लग ही नहीं सकता । यह जो सिद्धान्त की बात कही गई है वह कोई टेक्सेशन के सिद्धान्त के विरोध में नहीं है, इसका उत्तर यह भी है कि किसी भी वस्तु पर दुहरा टेक्स नहीं लग सकता । इसलिये यह जो शंका है उसको दिमाग से निकाल देनी चाहिये । इसलिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है ।

दूसरी दलील उस ओर से जो रखी गई थी वह क्लॉज़ तीन के सबक्लॉज़ (२) की ओर आकर्षित किया गया, जो केज्युअल ट्रेडर्स के बारे में है। इसके बारे में विरोधी दलके नेता ने काफी जोर दिया है और यह कहा कि जो कोई केज्युअल ट्रेडर्स होगा, जिसका छोटा सा टर्न ऑवर है उसको भी टेक्स देना पड़ेगा । मैं उनसे अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि किन किन इन्ट्रेस्ट को माननीय विरोधी दल के नेता रिप्रेजेन्ट करने जा रहे हैं ? अगर कोई केज्युअल ट्रेडर्स हैं वे तो माल खरीदते हैं किसी इम्पोर्टर से और इम्पोर्टर्स ऑलरेडी टेक्स पे कर चुका होता है, तो उसके लिये यह चीज़ लागू नहीं होगी । यह तो उस पर लागू होती है, जैसे राजस्थान में किसी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और उसमें बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और हजार और दो-दो हजार का माल बेच जाते हैं, जिनका टर्न ऑवर हजार दो हजार है और जो बाहर से आने वाले व्यापारी हैं, जो फॉरिन के बड़े व्यापारी हैं, जो अपने माल को प्रदर्शनी में लाते हैं और बेचते हैं, क्या माननीय विरोधी दल के नेता के ख्याल से उनको इस प्रकार के टेक्स से एक्जेम्प्ट कर दिया जाये, मेरे ख्याल से उनकी मन्शा यह तो नहीं हो सकती । शायद उनको यह वहम है कि कोई लोकल केज्युअल ट्रेडर्स हैं उनके साथ हमें इस डेमोक्रेटिक सेट अप में दर्द रखना लाजमी है । इसलिये उन्होंने यह रन्ज प्रकट किया है । जो व्यापारी इम्पोर्टर से माल खरीद कर बेचता है, जो इम्पोर्टर आलरेडी टेक्स पे कर चुका होता है तो उनसे माल खरीद कर बेचने वाले से टेक्स नहीं लिया जायगा, लेकिन हमारी फॉरिन ट्रेडर्स के साथ किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं होनी चाहिये ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्लॉज़ तीन के सब क्लॉज़ (२) को देखिये :

"Every casual trader shall be liable to pay tax under this Act whatever be his turnover in the previous year;"

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) You see the definition of 'casual trader', and you will come to the conclusion that a casual trader is one who comes and casually trades here. Here local casual traders will have to pay only one tax. It is quite material that those who have already been taxed would not be taxed twice. Therefore they are out of question.

[श्री मथुरादास माथुर]

मेरी यह अर्ज है कि उनको किसी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं होगी। मान लीजिये किसी सिंधी ने किसी व्यापारी से, जिसने ऑलरेडी टेक्स पे कर दिया है, माल लाकर बेचता है तो उसके ऊपर यह टेक्स लागू नहीं होगा। बाहर के जो केज्युअल ट्रेडर्स हैं, उन पर यह लागू होगा। खास बात तो यह है किन्तु समझने के अपने अपने तरीके हैं, उसको कौन रोक सकता है ? इन सब बातों को देखते हुए मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां पर भी वाद-विवाद किया जा सकता है और उसकी सफाई माननीय मंत्री महोदय द्वारा दी जा सकती है तथा और भी इस सम्बन्ध में लीगल एडवाइज़ भी ली जा सकती है। मैं जहां तक समझ पाया हूँ बिल बनाने वालों की मन्शा साफ है, इसलिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप व्हिप इश्यू कर देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) आप यदि कोई रीज़नेबल बात कहेंगे तो उसको जरूर मानेंगे। यह जो कहा गया कि इन्सीडेन्स ऑफ रेट है वह साढ़े बारह परसेन्ट तक की जा सकती है। सरकार को अथोरिटी है इस पर काफी चर्चा हुई है। यह दलील सुनने में जरा भली मालूम लगती है कि हम सरकार को १२॥ परसेन्ट तक रेट्स करने का अधिकार दे रहे हैं। सरकारी बेन्च पर बैठने वाले या सरकार में काम करने वाले कोई भी यह नहीं चाहते कि अनरीज़नेबल इन्सीडेन्स टेक्स लगे। इस तरह से लगातार वे पब्लिक ऑपीनियन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यह अथोरिटी इसलिये रखी गई है कि ऑलरेडी जो कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे घी पर या काम ऑइल जो पहले आता था, इसी तरह की कई चीज़ें हो सकती हैं, जिन पर इन्सीडेन्स आफ टेक्स लग सकता है, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट को हम कम करना चाहते हैं। कुछ कारण हैं कि जिनकी वजह से रोक नहीं सकते, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का सरकार को अधिकार होना चाहिये, वरना इसेन्शियल कॉमोडिटीज़ में जो प्रोहेबिटिव चीजें हैं उन पर रोक लगी रहे इसलिये सरकार को अथोरिटी दी गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—That can be done in the annual Money Bill.

श्री मथुरादास माथुर—एन्युअल मनी बिल के विरोध में नहीं जाता है, इस पर सदन में चर्चा हो सकती है। सिलेक्ट कमेटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मगर जो खतरा आपने बताया जिसके लिए खास तौर से दुबारा गौर किया जा सकता है, पर कहते हैं साढ़े बारह परसेन्ट रिट्रेन्च किया जा रहा है, जुल्म हो रहा है, तो अगर यह खतरा यहां सदन में है तो यह खतरा सिलेक्ट कमेटी में भी है। मुझे तो यह अर्ज करना है कि इसके कारण

Page No.67

[श्री मथुरादास माथुर]

अगर आप सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजने की बात करते हैं तो इसके लिए सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है।

इसके बाद चौथी बात कही गई रिबेट के सिलसिले में। मैं अर्ज करूंगा कि इस सेक्शन को समझने में भी, मैं तो क्या अर्ज करूं, जरूरत से ज्यादा खींचातानी करके समझने की कोशिश की है। सब क्लॉज़ (ε), क्लॉज ५ इस प्रकार है :

" In determining the tax for the year 1954-55 the assessing authority shall allow a rebate, varying from 20 per-cent to 40 per-cent as may be found necessary, of the tax payable on imported goods by a dealer who had in his stock on the day of enforcement of this act, goods imported before that date"- इस सेक्शन की इसलिए जरूरत पड़ गई है क्योंकि यह एक साल भर के लिए है। कभी कभी बहुत से ऐसे ग्राउन्ड्स हो सकते हैं जिन पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी हो तो अब जो कस्टम ड्यूटी दे दी गई उस पर कस्टम के अलावा सेल्स टेक्स भी देना पड़े, अगर यह कानून इसके बिना लागू कर दिया तो? इसलिये यह क्लॉज़ रक्खा है।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—फिर ऐसी हालत में तो पूरा रिबेट मिलना चाहिये?

श्री मथुरादास माथुर—इसके लिए बीस से ४० पर्सेन्ट रक्खा तो है। यह पर्सेन्टेज बढ़ाने का सवाल आवेगा।

अभी कस्टम ड्यूटी के इन्सेसेन्ट में और सेल्स टेक्स के इन्सेसेन्ट में फर्क है, पूरा माफ कर दिया जावे यह तो सम्भव नहीं। इसके लिए तो ऑथोरिटी जो हैं वे ही अपना डिस्क्रीशन यूज़ करेंगे कि किस तरह से यह एडजस्ट कर दिया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आपको याद होना चाहिए कि कस्टम ड्यूटी सेल्स टेक्स से ज्यादा है।

श्री मथुरादास माथुर—ज्यादा नहीं है, कहीं कम भी है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अगर ज्यादा है तो वापिस पेमेन्ट किया जावे और टेक्स दुबारा चार्ज न किया जावे।

श्री मथुरादास माथुर—पर जहां पर कस्टम ड्यूटी का इन्सेसेन्ट कम है तो इसके लिए वेराइन्ग २० से ४० रक्खा जाता है।

[श्री मथुरादास माथुर]

फिर आप कहते हैं कि करप्शन इससे फैल जावेगा। तो यह तो केवल इस साल का मामला है कस्टम ड्यूटी का मामला है, अगले साल तो रहेगा नहीं। इसलिए यह रीज़नेबल है। अब इसके लिए सिलेक्ट कमेटी क्या करेगी इसमें ? यह बतलाइये आप।

कु० श्री जसवन्तसिंह—वह आपको समझावेगी।

श्री मथुरादास माथुर—मैं तो समझता हूं, पर लोग जान-बूझ कर नहीं समझना चाहते और इसको लम्बा करना चाहते हैं इसलिए मैं समझाने को खड़ा हुआ हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह यह बतावेगी कि एक भी कॉमोडिटी ऐसी नहीं है जिसमें कस्टम की रेट इससे कम हो।

श्री मथुरादास माथुर—मुमकिन है, उनको (श्री हरिकृष्ण व्यास) सिलेक्ट कमेटी में मेम्बर रक्खें भी नहीं। इसलिए उनकी दलीलें तो इस सदन में ही सुननी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं कहता हूं कि......

श्री हरिकृष्ण व्यास—इतनी घबराहट पहले महसूस नहीं होती थी (मेरे वहां रहने से सिलेक्ट कमेटी में) अब महसूस होने लगी है।

श्री हिम्मतसिंह—उन्होंने अपना नाम अपने आप रख दिया है।

श्री मथुरादास माथुर—वे तो शायद अपना नाम बहुत ज्यादा रख सकते हैं, पर संभव है सदन उसे स्वीकार न करे।

फिर जो दलीलें दी गईं वे कम्पाउन्डिंग ऑफेन्सेज़ के बारे में दी गईं। यह तो ठीक है कि कमिश्नर को ऑर्थारिटी है तो उसको अधिकार देना बहुत जरूरी है। इसके बाद में करप्शन की बातें करने लगे तो इसके लिए तो मैं कह दूं कि यह तो सोशियल ईविल है। धीरे धीरे हटेगा। (हंसी) यह तो विरोधी दल के नेता, मन्त्री या चीफ मन्त्री रहे थे वे भी अपना तजुर्बा सही तरीके से बतावें तो यह परसेन्टेज़ तो चलता ही रहा है, बीस से ४० पर्सेन्ट तक।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह तो अब कितना है और पहले कितना था आप जनता से पूछिये।

श्री मथुरादास माथुर—जनता को तो बहुत बार पूछा गया है। मैं आप से ही पूछ रहा हूं, इसलिए कम्पाउन्डिंग का जो क्लॉज़ है वह रक्खा जावे, यह समझ में नहीं आया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—करप्शन के मामले में अपने दिल से ही पूछ लें तो जरूर अच्छा हो।

श्री मथुरादास माथुर—मैं यह तो आपसे पूछ सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझसे तो खुले आम पूछ सकते हैं।

श्री मथुरा दास माथुर—इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिये, यह भी समझ में नहीं आया और उस सम्बन्ध में जितनी भी दलीलें दी गई हैं मेरी समझ में नहीं आतीं।

अब इसके बाद में एक क्लॉज़ २६ की तरफ ध्यान खींचा गया, जो पॉवर टू रिमूव डिफिकल्टीज़ (power to remove difficulties,) के बारे में है। यह धारा मेरी भी समझ में नहीं आई।

श्री अवनी कुमार मुकर्जी—हां, एक बात तो समझ में आई।

श्री मथुरादास माथुर—क्योंकि यह कुछ अनहोना सेक्शन है। मुमकिन है कि हिन्दुस्तान की किसी असेम्बली में ऐसा सेक्शन पास किया गया हो क्योंकि मैंने वैस पढ़ा नहीं है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—इसके लिये तो कम से कम जाना चाहिये सिलेक्ट कमेटी में यह बिल।

श्री मथुरादास माथुर—इसके लिये तो दिलासा देता हूँ कि इसका फैसला यहीं कर लेंगे। सिलेक्ट कमेटी में इसका क्या फैसला होने वाला है, हमने बड़े बड़े दरबारों में भी देखा है कि टिनेन्सी बिल सिलेक्ट कमेटी में गया और महीनों हमने वहां डिस्कस किया और वही सदन में जब आया तो चीज दूसरी निकली। तो इन बड़े दरबारों की जरूरत नहीं है। इसलिये विरोधी दल के नेता और मैं और जोधपुर से आने वाले सदस्य भी सभी इस बात से सहमत होंगे कि इस सदन को ही सिलेक्ट कमेटी समझ कर इसको पास कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैंने जो पॉइन्ट्स उठाये हैं उनका खुलासा करने का प्रयत्न किया है और कम से कम थोड़ा बहुत सन्तोष तो सबको हो गया होगा। इसलिये इसका यहीं फैसला कर लिया जावे यह मेरी राय है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में कुछ कहूंगा।

अभी सेल्स टेक्स के बारे में चीफ व्हिप साहब ने जो फरमाया है उसमें सबसे पहले उन्होंने यह कहा है कि यह सिलेक्ट कमेटी में नहीं जाना चाहिये और ऐसा कह कर वे अपने ही पक्ष के बारे में कह गये हैं। गौर से सुन कर और गौर से समझ कर और मनन करके विचार उन्होंने नहीं किया है इस पर।

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

वास्तव में बात क्या है ? यह जो सेल्स टेक्स लादा जा रहा है, उसके साथ में अभी यह कस्टम ड्यूटी भी गवर्नमेन्ट वसूल कर रही है। इसलिये जब तक कि यह कस्टम ड्यूटी रहती है, यह सेल्स टेक्स हमारे सामने नहीं आना चाहिये।

और इसके बाद में आपने (श्री मथुरादास ने) जो कहा है कि इसके सिलेक्ट कमेटी में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर पहले ही सिलेक्ट कमेटी ने वाद-विवाद कर लिया है और अखबारों में भी और जगह जगह इस पर बहस हो चुकी है, पर अखबारों में और इधर उधर बहस होने से कोई फायदा नहीं, जब तक कि सदन के सदस्यों के यह समझ में नहीं आवेगा। सो यह आपने बताया कि अखबारों वगैरह में आ गया है, वह काफी नहीं हैं, इसलिये मेरा यह समर्थन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना बहुत जरूरी है।

फिर आपने यह कहा है कि सेल्स टेक्स जिस चीज पर लगाया जाता है उसके ऊपर से कस्टम उठता है। उसका एक उदाहरण देता हूं कि पेट्रोल के ऊपर जब सेल्स टेक्स लगा तो कस्टम उठा दिया, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं निकाली। जिस जगह पहले जहां कस्टम लगता है तो वह अजमेर से बर के रास्ते से सैंकड़ों गेलन पेट्रोल आ जाता है क्योंकि कस्टम तो है नहीं। पहले वह कस्टम से छूट नहीं सकता था...

श्री मथुरादास माथर—आपको यह जानकारी कैसे है ?

(हंसी)

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—मतलब यह है कि जल्दबाजी से गवर्नमेन्ट को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिये जल्दबाजी न करके सबको एक साथ लें तो ज्यादा अच्छा रहे।

फिर आपने यह दलील दी कि सिलेक्ट कमेटी को नहीं जाकर सदन में, इस पर सोचा जाय, मैं कहना चाहता हूं कि सदन में जितना होता हैं कि आपकी तरफ से व्हिप आ जाता है चाहे बात वाजिब हो या गैर वाजिब। इस पर विचार नहीं करना चाहते हैं। जो सरकार चाहती है वह चीज़ पास होती है। सदन में जो जनता की आवाज़ है, मेरे ख्याल से, उसको नहीं सुना जायगा। इसलिये मेरा कहना है कि अगर सिलेक्ट कमेटी में नहीं जायगा और सीधा ही पास कर दिया जायगा तो जनता में एक बड़ा विरोध फैलेगा और जगह जगह सरकार की मुखालफत की जायगी। सरकार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस लिये सरकार को चाहिये कि वह इस सेल्स टेक्स बिल को पहले सिलेक्ट कमेटी में पास करे। पहले वाला बिल सिलेक्ट कमेटी में गया लेकिन २-३ दिन में तय नहीं हो सकता है...

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह बिल तो गया।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—वह बिल तो गया और दूसरा हमारे सामने आया है, तो इसको भी सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए जहां कि आपस में मिलजुल कर इस बिल की शुद्धि कर लेनी चाहिए, फिर हमारे सामने आये और पास हो जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

जैसा कि आपने कहा कि ठेले वालों पर टेक्स लगेगा, आपने कहा कि गांव वालों पर टेक्स लगेगा तो वह कैसे लगेगा, वहां और यहां ठेले वालों पर क्या जांच होगी? तो वह ठेले वालों को समझना होगा कि सेल्स टेक्स कैसे लगेगा। ठेले वाले शहर में बेचने आयेंगे तो आप उनकी जांच कैसे करेंगे? उन पर किस तरह से टेक्स लगायेंगे?

हरेक वर्ष के हिसाब के बारे में पूछता हूं कि बड़े बड़े व्यापारियों के पास ३ वर्ष का तो क्या २० वर्ष का हिसाब मिल जायगा, लेकिन छोटे-छोटे व्यापारियों के पास हिसाब नहीं मिलेगा, तो सरकार अभी से नोटिस निकाल दे कि सेल्स टेक्स लागू होने वाला है, अगर उसमें आपसे हिसाब की जांच होगी तो पुराने हिसाब किसी के पास हैं या नहीं उसकी जांच कैसे होगी?

पुराना माल है उस पर सेल्स टेक्स वसूल होगा, तो ४० परसेन्ट की रिबेट मिलेगी। वह किस तरह से मिलेगी? किस तरह से जांच होगी? उसके अन्दर भ्रष्टाचार के लिए काफी रास्ता खोल दिया है, कि जिसको चाहें उतना देदें। किसके पास कितना स्टाक है इस बात की जांच करना है तो वह उसके बिलों से करना है और बिलों से जांच करके बिलों के हिसाब से सेल्स टेक्स लगायेंगे तो पहले के माल पर रिबेट मिलने की क्लॉज़ होनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो अब मैं, क्योंकि घंटी बज रही है इस बिल को, जैसा कि हमारे मि० एच. के. व्यास ने प्रस्ताव रखा है कि सिलेक्ट कमेटी में पेश किया जाय, उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी न करके इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सेल्स टेक्स के नाम से सदन के सामने आया है और उसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के संबंध में एक प्रस्ताव है और दूसरी ओर उनका विरोध किया गया है, मैं उनके ऊपर अपने विचार जाहिर करना चाहूँगा।

सर्व प्रथम तो मैं उसूलन सेल्स टेक्स लाना ही गलत मानता हूँ। (हियर,हियर) मैं ही गलत नहीं मानता हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति के भाषण की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जिसे माननीय मन्त्री महोदय भी एक नेता मानते हैं। इसी वर्ष एक प्रतिनिधियों का

[श्री चांदमल मेहता]

सम्मेलन हुआ, व्यापारियों और दूसरी क्लास के व्यक्तियों का दिल्ली में, और उस के अध्यक्ष थे श्री एस. के० पाटिल जो बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और श्री एस० के० पाटिल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह कहा है कि उस तरह से सेल्स टेक्स प्रान्तों में अलग अलग तारीख में लागू करना एक तरह से उद्योग और व्यवसायों को खत्म करना है, इसको बन्द किया जाय । यह इस तरह के टेक्स लगाना आवश्यक है तो सभी प्रान्तों में एक ही तरह का टेक्स लगायें । जो टेक्स लगायें वह सारे प्रान्तों में एक सा लगायें । वह सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो । इस तरह का रिजोल्यूशन पास किया गया और उस सम्मेलन के ठहराव के माफिक एक डेपुटेशन हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मंत्रीयों से मिला । सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मन्त्रीयों ने यह अश्वासन दिया कि कर जांच आयोग जब अपनी रिपोर्ट देगा तब इस पर अवश्य विचार किया जायगा । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जब हिन्दुस्तान के सारे हिस्सों से यह आवाज़ उठ रही है कि सेल्स टेक्स लगाना गलत है उस लन और हमारे नेतागण भी यह अश्वासन देते हैं कि कर जांच कमीशन की रिपोर्ट सामने आयेगी, तब उस पर विचार किया जायगा । कर जांच कमीशन की रिपोर्ट में अधिक दिन नहीं है , वह इसी महीने में आने वाली है । तो मैं यह मानूंगा कि उसका फैसला होने के पहले इस तरह का टेक्स लगाना एक तरह से गलत है ।

अब दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि यदि मंत्री महोदय यह आवश्यक मानते हैं कि यह टेक्स लगाया जाय तो टैक्स लगाने के पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि उस टेक्स का क्या असर होगा । व्यापारियों पर क्या असर होगा, उद्योगों पर क्या असर होगा, आम उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा ? उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए टेक्स लगाने की बात सोचनी पड़ेगी । यह सोचा जाय कि आमदनी को थोड़ा बढ़ाना है तो जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया है उनकी ओर खयाल करना चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि एक आदमी के पास मुर्गी थी और वह मुर्गी रोज एक सोने का अन्डा देती थी, एक मर्तबा वह आदमी लालच में आगया और कहा कि सारे अन्डों को एक साथ निकाल लें और मुर्गी को मार दिया अण्डे निकालने के लिए, लेकिन एक भी अन्डा नही निकला और उसको बहुत पछताना पडा । उसी तरह से इस टेक्स को लागू, उन चीजों पर विचार किये बगैर अगर, करेंगे तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वह पछतावा करना पड़ेगा जो पछतावा मुर्गी के मारने पर उसको हुआ था ।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—पछताना केवल मंत्रीजी को ही नहीं पड़ेगा हम सब की यह मुश्किल है ।

श्री चांदमल मेहता—हां तो...

श्री मथुरादास माथुर—सब मुर्गों को पछताना पड़ेगा ।

श्री चांदमल मेहता—हां तो उपाध्यक्ष महोदय, ...

कु० श्री जसवन्तसिंह—उनको दूसरी मुर्गीयां मिल जायेंगी।

श्री चांदमल मेहता—जब इस बिल के ऊपर डीड़वाने से आने वाले माननीय सदस्य उन चीज़ों का जवाब दे रहे थे तो जो दलील दी गई कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के खिलाफ थे तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ ('हियर' 'हियर' विरोधी पक्ष की ओर से)। उनकी दलीलों से यह भी लगा कि वह किस हद तक अनुभव रखते हैं व्यापारियों और उद्योगों के बारे में, उनके विचार के मालिक किस हद तक व्यापारियों की कठिनाई दूर हो सकती है।

(हियर-हियर)

जब उसूल के बारे में उनकी दलील मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह दूसरे विषय के बारे में अपनी राय दे दें, लेकिन अगर इस विषय में वह अपनी राय दें, तो धोखा हो सकता है, कि वे इसके बारे में ज्यादा जानते हों। उन्होंने अपनी दलील में यह बतलाने की कोशिश की Importers द्वारा एक मर्तबा टेक्स दे दिया जाने पर Casual Trader पर टेक्स का भार नहीं पड़ेगा। होली का टाइम है तो इस टाइम पर जो आदमी बेकार है वह यह चाहे कि मैं दिल्ली से आतिशबाजी लाकर १० दिन तक बेचकर १० २० रू० कमा लूंगा। वह यह सोचेगा कि दिल्ली जाकर वहां से लाकर बेचूं और दूसरे आदमी को मुनाफा नही देना पड़ेगा, और २०-२५ रूपये कमायेगा, तो सरकार उनके ऊपर भी इस बिल के माफिक टेक्स लगाना चाहती है, ऐसे आदमी पर जो कम से कम अपनी बेरोजगारी को थोड़ी सी आमदनी के जरिये कुछ दिन के लिए दूर करना चाहता है, तो क्या सरकार उस पर टेक्स लगाना चाहती है ? सरदी का महीना आया तो कोई दिल्ली से जहां रेडीमेड कोट सस्ते मिलते हैं १००-२०० और ५०० रु० के लाकर बाजार में उन कोटों को और उसके जरिये से पैसा पैदा करे, तो क्या सरकार यह चाहेगी कि वह उसका एकाउन्ट और हिसाब रखे ? वह बेचारा हिसाब रखना नहीं जानता है तो हिसाब भी रखे और पैसा भी दे। यह सोचने की बात है। इसी प्वाइन्ट को सोचें तो जैसा कि बताया गया है कि इन्हीं प्वाइन्ट पर आवश्यक हो जाता है कि सिलेक्ट कमेटी में एक एक धारा पर विचार हो। राजस्थान में और और जगह यहां जयपुर को ले-लीजिये कि यहां राखी अच्छी बनती है तो यहां का कोई आदमी राखी के दिनों में राखी की दुकान किशन गढ़ में लगायेगा तो टेक्स देगा, क्यों कि उसने राखी के दिनों में इस तरह से दूकान लगाई है ? इसलिए यहां जो केज्युएल ट्रेडर्स के बारे में बात कही गई है वह उनकी पूरी समझ में नहीं आई। केज्युअल ट्रेडर्स पर टेक्स लगाना यह जाहिर करता है कि राजस्थान में हम बेकारी बढ़ाना चाहते हैं। हम राजस्थान में उन आदमियों को दबाना चाहते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने इस बिल को पढ़ा और मैं निश्चित तौर से कहने की स्थिति में हूं कि यह बिल २९ धाराओं का बिल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस २९ धारा के बिल पर कम से कम १०० एमेंडमेंट तो मेरे होंगे (हियर, हियर)। मैं मानता हूँ कि एक भी क्लॉज़ ऐसा नहीं है...

श्री मोतीराम चौधरी—एक क्लॉज़ पर एक ही हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—एक एक धारा पर ३,-४ एमेंडमेंट हो सकते हैं। एक क्लॉज़ पर एक ही एमेंडमेंट हो सकता है। मेरा ख्याल है कि यह कहना बहुत गलत होगा।

जहां तक व्यापारियों और उद्योगों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान उद्योग की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के उद्योगों को हम प्रोत्साहन दें, लेकिन जो बिल हमारे सामने आया है वह बताता है कि हम उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं, बल्कि हम उनको खत्म करना चाहते हैं। यदि हम इन उद्योगों को खत्म कर देंगे तो आगे चलकर जो आमदनी मिलने वाली है वह भी नहीं मिलेगी। शायद माननीय मन्त्रीजी के पास उद्योग का पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए उनको यह मालूम नहीं है कि उद्योगों पर क्या क्या टेक्स लगते हैं। उद्योग पहले से ही टेक्सों के बोझ से दबे हुए हैं। उन पर सेल्स टेक्स है, उन पर रॉयल्टी ली जाती है, उन पर और भी कई प्रकार के टेक्स हैं। उन सारे टेक्सों के कायम रहते हुए भी मन्त्रीजी यह चाहते हैं कि जिनकी बिक्री ५ हजार से ज्यादा की हो जाय उन सब पर हम टेक्स लगा दें तो उसका परिणाम यह होगा कि जो उद्योग आज हैं इस पिछड़े हुए राजस्थान में वे सब रहे सहे उद्योग भी शीघ्र खत्म हो जायेंगे। यदि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करेंगे तो सिलेक्ट कमेटी को यह सोचना पड़ेगा कि जो टेक्स मौजूद हैं उनको हटा दें और यदि उनको नहीं हटावें तो किन किन उद्योगों पर आगे जाकर टेक्स लगा सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी हासिल करना आवश्यक होगा। किस किस उद्योग की कैसी स्थिति है यह सारी छानबीन सदन में बैठकर नहीं की जा सकती और यह सिलेक्ट कमेटी में हो सकती है और वहीं पर इन सारी बातों को हम एग्जामिन कर सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी में बैठकर ही हम निश्चित नतीजे पर पहुँच सकते हैं। मैं आगे और कहना चाहता हूँ कि इसका बड़े उद्योगों पर भी असर पड़ेगा। इसके जरिये एक तरह से घरेलू उद्योगों को बिल्कुल ही खत्म करने की बात सोची गई है। आप मेन्यूफेक्चर में मेन्युअल लेबर और एनिमल लेबर को भी शामिल कर लेते हैं। कुछ आदमी अपने हाथ से काम करते हैं और कुछ पशुओं की सहायता से काम करते हैं, जैसे कोई घाणी चलाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे यहां हाथ से और पशुओं से काम नहीं कर सकते। जहां जहां भी सेल्स टेक्स लागू हैं और जो एक्टस बने हैं वहां पर यह ध्यान रखा गया है कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनका विकास करना है और किन किन उद्योगों का विकास किया जा सकता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे टेक्स से उनको एग्जेम्पट किया गया है। यहां पर शिड्यूल में उन चीजों को भी शामिल कर लिया गया है, जिन पर टेक्स लगाने का सरकार को अधिकार नहीं है। यदि आप उन चीजों पर टेक्स लगाते हैं तो आगे चल कर आपको उन्हें एग्जेम्पट करना पड़ेगा, यदि किसी के खिलाफ रिट आ गई तो उनको एग्जेम्पट करना पड़ेगा। असेन्शियल कोमोडिटीज़ पर टेक्स लगाने का राजस्थान सरकार को कोई हक नहीं है, उनको शिड्यूल में दर्ज नहीं किया गया है जैसे कॉटन, कॉटन सीड़। इन पर सरकार को टेक्स लगाने का अधिकार नहीं है लेकिन उनको भी बिक्री कर से मुक्त रखने वाली वस्तुओं के शिड्यूल में दर्ज नहीं किया गया है। यह भी

[श्री चांदमल मेहता]

देखना होगा कि ऐसी कौनसी चीजें हैं जिनके लिये जल्दी से जल्दी सोचा गया है और उनको छोड़ दिया गया है। और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक हैं और जिन पर आम तौर से दूसरे प्रान्तों में रियायत रखी गई है, जैसे मसाले, धाणियां, हल्दी मिर्च आदि जो आम तौर से हर आदमी के लिये मसाले के रूप में काम आती हैं या जिसको छोटा या बड़ा प्रत्येक आदमी इस्तेमाल करता है। ऐसी चीज़ों को दूसरे प्रान्तों में मुक्त रखा गया है। यहां पर यह देखने की कोशिश की गई है कि किस जगह ऐसा एक्ट है जिसके अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती है। उसी की नकल करके यहां भेज दिया है, इसके सिवाय गंभीरता से सोचा गया है ऐसा मैं नहीं मानता।

यह बिल घरेलू उद्योगों को तो बिल्कुल ही खतम करने वाला है ही व्यवसायिक पॉइन्ट से भी ठीक नहीं है। हम उस वक्त यह कानून बनाने जा रहे हैं जब कि रुपये की कीमत सिर्फ दो आना रह गई है। आज के टर्न ऑवर के ऊपर यदि सेल्स टेक्स लगाना चाहते हैं तो यह बहुत हानिकारक है। और वह भी राजस्थान में जो उद्योग व्यवसाय के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रान्त है। राजस्थान के लिये यह एक बहुत ही बड़ा बिल है। हालांकि दिखने में तो यह बहुत ही छोटा दिखता है। इससे एक बात यह होगी कि जितनी तकलीफ सेल्स टेक्स देने से नहीं होगी उससे ज्यादा तकलीफ होगी इस विभाग के कार्य कर्ताओं से। राजस्थान में पान नहीं होता और पान बंगाल, यू. पी., मद्रास आदि से हमारे यहां आता है। यह सभी मान सकते हैं कि पान वाले की बिक्री साल में ५ हजार रुपयों की आसानी से हो सकती है। पानवाले हिसाब किताब रखना नहीं जानते हैं। जब टेक्स देने का सवाल आएगा तब इस विभाग के कर्मचारी उसको हिसाब के लिये तंग करेंगे, तो उसको हिसाब रखने वाला आदमी रखना पड़ेगा। उसके ऊपर टेक्स का भार तो था ही एक आदमी नौकर रखने का एक और भार पड़ गया। कायदे के माफिक उसको हिसाब रखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट यह होगा कि कोई आदमी गरीब है और उसकी मजबूरी की हालत है वह आदमी नहीं रख सकता, तो उसको उस विभाग के लोगों की हाथाजोड़ी करनी पड़ेगी।

जहां तक इस विभाग की आमदनी की बात है, मैं यह मानता हूं कि इससे सरकार को आमदनी होगी। मैं यह भी मानता हूं कि आज राजस्थान की जैसी हालत है, जैसा भ्रष्टाचार आज यहां पर है, यदि वैसा ही हाल जारी रहा तो बहुत सा पैसा कर्मचारियों और अन्य लोगों की जेबों में जायगा और भ्रष्टाचार का अधिक बोल बाला होगा।

मैं चाहता हूँ कि टेक्स लगे, लेकिन टेक्स इस तरह से लगे कि उसका असर साधारण जनता पर न पड़े और उससे अधिकारियों की जेबें न भरें। एक होशियार या चालाक आदमी सही माने में टेक्स अदा नहीं करेगा और उसका फल यह होगा कि राजस्थान के व्यापारियों का नैतिक पतन होगा जब वे देखेंगे कि बहुत बड़े आदमी अपनी होशायारी से टेक्स देने से बच जाते हैं, तो छोटे आदमी भी यह सोचेंगे कि हम भी ऐसा उपाय करें जिससे हमको भी टेक्स नहीं देना पड़े। आखिर में हमारे

[श्री चांदमल मेहता]

व्यापारियों का नैतिक पतन होगा। वह संपति कोई काम को नहीं जो हमारे यहां के लोगों का नैतिक पतन करने वाली हो। नैतिक पतन के लिहाज से भी हमको सोचना होगा कि इससे कितने लोगों का नैतिक पतन हो सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे यह न समझें कि सिलेक्ट कमेटी से कोई बुराई होनेवाली है, बल्कि इससे तो अच्छाई ही हो सकती है। शायद वे यह समझते हों कि इससे देरी लग सकती है। मैं यह कहूंगा कि जब मल्टी पोइन्ट टेक्स का बिल पेश किया गया था, और आज सिंगल पोइन्ट टेक्स का बिल पेश किया गया है। इसके बीच का समय यों ही क्यों गवांया गया? अगर यही बिल पहले आ जाता तो आज तक कभी का तय हो गया होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब आप इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दीजिये और टाइम तय कर दीजिये कि इतने समय में सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करदे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत नम्रता से निवेदन करूंगा कि यह साधारणसा बिल है, छोटासा, २६ क्लॉजिज़ का लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और जनसाधारण पर बहुत बड़ा असर डालनेवाला है। सदन में विचार करने के बजाय इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसकी महत्ता को खोजा जाय, चाहें वह प्रस्ताव विरोधी पक्ष की तरफ से ही आया हो, इसको सिलेक्ट कमेटी में अवश्य भेजा जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, सेलसटेक्स बिल के बारे में बोलते हुए मुझे यह निवेदन करना है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने की बात एक ऐसी तरफ से आई है कि जिससे हमारे कुछ मित्र चमकते हैं। परन्तु अगर वास्तविकता को देखा जाय तो बात यह है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को जरूर रेफर करना चाहिये। जो पहले सिलेक्ट कमेटी बनी थी उसका मैं भी एक सदस्य था। सिलेक्ट कमेटी की ३ चार मीटिंग्स हुई। मोटे तथ्यों पर फैसला हुआ और यह हुआ कि यह जो टेक्स लगाया जाय पहले बिल में जो मल्टी पोइन्ट था उसको बदल कर सिंगल पॉइन्ट कर दिया जावे। यह फैसला होने के बाद मन्त्रीजी सेक्रेटरी महोदय और बाहर से इम्पोर्ट किये हुए अफसरजी, तीनों ने फरमाया कि इसको रीड्राफ्टिंग करने में फालतू-समय जायेगा। सिंगल पॉइन्ट के आधार पर इसे रिड्राफ्टिंग किया गया। फिर मालूम नहीं माननीय मंत्री को डर लगा और उन्होंने समझा कि एक छलांग मार कर हाउस में पहुंच जायं और इस बिल को पास कराले। या दूसरी यह बात हो सकती है कि हमारी सरकार की ढिलमिल नीति है, इसके अनुसार ड्राफ्टिंग में इतना समय लगा दिया होगा कि इसे सीधा सदन में लाना पड़ा। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि अगर माननीय मंत्री ने अपनी योग्यता के ऊपर खड़े हो कर सोचा है कि ड्राफ्ट तो मैंने देख लिया है तो अब सीधा सदन में जाना चाहिये। और अगर उनके स्टाफ ने अकर्मण्यता के कारण इतना समय लगा दिया हो कि मन्त्री महोदय को उसे देखने का समय ही नहीं मिला हो और इसे सीधे सदन में ही लाया गया हो तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना बहुत आवश्यक हो जाता है। जिस तरह पहली मर्तबा सिलेक्ट कमेटी में आपस में मिल कर शोर्ट एण्ड स्वीट तरीकों से मल्टी पॉइन्ट से सिंगल पोइन्ट कर दिया उसी तरह जो इसके अन्दर

[श्री मानसिंह महार]

खामियां होगीं उनको सिलेक्ट कमेटी में आपस में मिल कर बड़ी सहूलियत के साथ दूर कर दिया जायेगा ।

जो मेरे मित्र परवतसर से तशरीफ लाये हैं उन्होंने कई बातें कहीं । जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा, मुझे मालूम नहीं । मैंने उनका भाषण सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा । परवतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं वे उचित हैं ।

मेरे मित्र जो डीडवाने से तशरीफ लाये हैं उन्होंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजने के बारे में तकरीर दी और दलील दी कि टिनेन्सी बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था और वहां सिलेक्ट कमेटी ने जैसा तय किया उससे बिल्कुल भिन्न उस सारे के सारे बिल को उथल पुथल कर दिया गया । मैं मानता हूं कि सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद फिर उस बिल को उथल-पुथल किया गया, पर इस बिल को उथल-पुथल करने वाले वही सदस्य थे जो कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे । कुछ खास वजूहात से शायद सिलेक्ट कमेटी में तो अपने दिली जज़बात को दबा दिया गया था, पर सदन में दिल के गुबार निकाल दिये गये ।

तो सिलेक्ट कमेटी को यह बिल रेफर किया जायगा तो सिलेक्ट कमेटी फिर से इसकी अच्छी तरह से स्टेडी कर सकेगी और इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, और सिलेक्ट कमेटी में अगर किसी प्रकार की बात रह जायगी तो फिर सदन में आने पर उसमें अवश्य रद्दोबदल हो जायगा । इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दलील परवतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने दी है मैं उनका समर्थन करते हुए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक स्टेज की छलांग भर ली हैं और अब शायद अपनी गलती को महसूस करते हुए भी कुबूल करने को तैयार नहीं हैं । गलती नहीं समझें तो ऑवर राइट हो समझ लें । इसे अगर सिलेक्ट कमेटी को रेफर करेंगे तो सदन का समय बचेगा और बिल में जो खामियां होंगी उनको दूर करने में काफी मदद मिलेगी ।

दूसरी बात यह है कि इस बिल को एक ऐसे व्यक्ति ने ड्राफ्ट किया है जो राजस्थान के नहीं हैं, बाहर से आये हैं । वे चाहे किसी भी प्रान्त से आये हों अपने प्रान्त की ही बातों को जान सकते हैं परन्तु यहां की अन्दरूनी बातों को, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि जयपुर की राखी किशनगढ़ में ले जाते हैं, जोधपुर से जयपुर में लाकर बेचते हैं, उनको इन बातों की वाकफियत भी नहीं है ।

इसलिये मेरी तो यही राय है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में फिर से रेफर किया जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मौजूदा समय में भी जयपुर से किशनगढ़ राखी भेजी जा रही है ?

(हंसी)

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किये जाने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मुझे उस वक्त बड़ी हैरानी हो रही थी जब कि डीडवाने से आये हुये माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे थे और विरोध करते हुए जो दलीलें दे रहे थे उनको सुन कर मैं सोच रहा था कि सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के जो सिद्धान्त हैं उनको भुला दिया गया है। सदन सुप्रीम ताकत रखता हैं, सदन को सोवेरिन अथॉरिटी हैं, सिलेक्ट कमेटी में संशोधित कोई बिल हो उसको चाहे जैसे स्वीकार कर सकता है, और सदन चाहें तो स्वीकार कर सकता है और अगर सदन चाहे तो सिलेक्ट कमेटी ने जो संशोधन किये हैं उनको नहीं मानकर और सुधार कर सकता है। सदन में इस तरह विचार होता है कि वहां पर पार्टी व्हिप नहीं होता। वहां पर एक्रोस दी टेबल खुले रूप में विचार रखे जाते हैं। यहां पर एक दफा बोलने के बाद दुबारा बोलने का अधिकार नहीं है। वहां अगर चाहें तो दो चार बार भी बोल सकते हैं, अगर चाहें तो ऑफिसर कन्सर्न्ड को बुला कर उससे पूछ तांछ की जा सकती है और जानकारी हासिल की जा सकती है, और चाहें तो ऑफिसर को एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं, ये सब सहूलियतें यहां नहीं है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि कई बुनियादी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनकी जानकारी करना जरूरी हो तो मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्रीजी को इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उनका यह ख्याल है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर मेरे ख्याल में और उनके ख्यालों में बहुत मतभेद है। हमारे राजस्थान में जबसे हमने प्रजातंत्र का स्वाद चखा है, उस दिन से हमने अपने आपको इस उसूल में पाया है कि टेक्सों का बोझा हमारे ऊपर दिनों दिन लदता ही जा रहा है और इस बिल के द्वारा मैं यह कहूँगा कि वह टेक्स का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जायगा। टेक्स लेने का जो कायदा रखा है और रुपयों पर टेक्स की लिमिट रखी है वह ५००० है। मेन्यूफेक्चर्र के लिये ५००० रुपये का पैदा करना बहुत मामूली बात होती है। अगर वह ५००० रुपये की बिक्री करे तो प्रति दिन में १४ रुपये या १५ रुपये रोज़ की बिक्री होती है। जब उसकी यह रोज़ की बिक्री होती है तो उसे इस बिल की तहत में टेक्स देना जरूरी हो जाता है, भला एक व्यक्ति जो १४ या १५ रुपये रोज़ बाटता है वह उसमें कितना मुनाफा कमायेगा, यह भी हम अन्दाज लगा सकते हैं। इसलिये अगर इस बिल को जिस प्रकार यह है, उसी तरह रहने दिया जावेगा, तो मैं यह कहूंगा कि उसके एक्शनों को किसी तरह से रोकना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि जनता पर इसका कितना बोझा पड़ेगा, इस बात का अन्दाजा लगाना होगा। इसके अतिरिक्त परवतसर से आयें हुए माननीय सदस्य ने कहा कि जो हाथ से चलने वाले उद्योग धन्धे हैं, वे मर जावेंगे। यदि उन पर इस प्रकार का टेक्स लगाया जावेगा तो उनकी मशकिल पड़ जावेगी। बहुत से लोग यह कहते हैं कि यह टेक्स ठेले वालों पर नहीं लगेगा मगर वे इस बिल को गौर से पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि जो सेव बनाकर बेचते हैं, अगर उनकी बिक्री भी १५) रु० रोजाना हो जावे तो उन पर भी यह टेक्स लग जावेगा।

[श्री वेदपाल त्यगी]

यह एक बुनियादी बात है कि टेक्स के लिये टर्न ओवर कितना रखा जाना चाहिये। अगर दूसरे प्रान्तों में देखें तो आपको मलूम होगा कि वहां पर टर्न ऑवर ज्यादा रखा गया है। आप वहां के टर्न ऑवर को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहीं टर्न ऑवर १० हज़ार है, तो कही २०हजार और तीस हजार। हमारे यहां पर ५ हजार और १० हजार रखा गया है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हर एक आदमी को आज वह टेक्स पे करना पड़ेगा। चाहे वह टेक्स पे करने की शक्ति रखता है या नहीं। गरीब लोगों पर भी टेक्स लादा जा रहा है, इसलिये इस पर फिर से विचार करना चाहिये।

दूसरी बुनीयादी बात मैं यह समझता हूं कि कौन कौनसी चीजों पर इसे लागू करना चाहिये, यहां पर शिड्यूल दिया गया है उसमें बहुत सी चीज़े एक्जेम्पट की गई हैं, लेकिन यदि हम दूसरी जगह के शिडयूल्स को देखें तो हमें यह बुनियादी बात मालूम होती है कि जो प्रतिदिन काम में आने वाली चीजें हैं उनसे मुस्तसना रखा गया है। यहां पर यह हमें मिर्च, मसाला, तेल, घी, आदि पर भी टेक्स देना होगा, मोटे कपडे पर टेक्स देना होगा, लकड़ी और कोयले पर टेक्स देना होगा। मैं यह कहूंगा कि इस टेक्स का बोझा उन गरीब आदमियों पर पड़ने वाला है जो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भी अच्छी तरह से नहीं पाल सकते हैं। इसलिये यह एक बहुत बुनियादी सिद्धान्त है कि कौन कौन सी चीज़ों पर टेक्स होना चाहिये और कौन कौनसी चीजों पर टेक्स नहीं होना चाहिये। इसको हम सिलेक्ट कमेटी में डिसकस कर सकते हैं और हमको इस तरह से इसको इग्नोर नहीं करना चाहिये, जैसे कह दिया गया कि इसको नहीं भेजना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने का जो सिद्धान्त है उसको बहुत लाइटली इग्नोर किया जा रहा है, यह बात नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा मेरा यह सिद्धान्त है कि लेजिस्लेचर के पॉवर्स विधान सभा को हैं और इस बिल के द्वारा राजस्थान सरकार डेलिगेशन ऑफ लेजिस्लेचर अपने हाथ में लेना चाहती है, जिसको कभी नहीं दिया जा सकता है और न दिया जाना चाहियें। अभी उन्होंने एक पॉइन्ट बडा लाइटली उठा दिया कि सरकार को यह पॉवर होने चाहियें कि वह दो पैसे से दो आने तक टेक्स बढ़ा सकती है। मगर मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार का अधिकार सरकार को नहीं दिया जा सकता है। दूसरी जगह आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस प्रकार का अधिकार सरकार को नहीं दिया जाता है! जहां पर टेक्सेशन है वहां पर हर साल रेट्स लेजिस्लेचर से एप्रूव कराई जाती हैं, तो फिर क्या कारण है कि हम राजस्थान सरकार को इस प्रकार के अधिकार दे दें, जिससे वह चाहे जिसको एक्जेम्पट कर दे और जिस चीज़ पर चाहे टेक्स लगा दे ? मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत बड़े महत्व की बात है और इस पर विचार करना जरूरी समझता हूं। इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जावे जहां ऐसे लोगों को बुलाया जा सके जो इसकी जानकारी रखते हैं और इसके सिद्धान्तों को ठीक तरह से विवेचन कर सकें। उसके बाद जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आवे उस पर बहस हो। हो सकता है कि माननीय मंत्रीजी के दिमाग में यह बात हो की इससे देर लग जावेगी और देर लगने की वजह से यह मांग जो की जा रही है जरूरी नहीं। टीनेन्सी बिल खत्म हो चुका है

[श्री वेदपाल त्यागी]

लेजिस्लेचर का जलसा है उसको स्थगित करना पड़ेगा। तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में इसको भेज कर उसकी रिपोर्ट के लिये ४-५ दिन का समय नियत कर दें। सिलेक्ट कमेटी से ४-५ दिन के बाद आने पर बहस हो सकेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इसको लाइटली नहीं लें, इस पर पुनः विचार करें। यह एक गंभीर विषय है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। इस बात को मैं निहायत जरूरी समझता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो सेल्स टेक्स बिल आप लोगों के सामने आया है और मि० एच. के. व्यास ने जो सिलेक्ट कमेटी के बारे में प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। यह सेल्स टेक्स यहां राजस्थान में आना ही नहीं चाहिये था क्योंकि आप सेल्स टेक्स भी लगा रहे हैं, ओक्ट्रॉय.ड्यूटी भी लगा रहे हैं, ग्राम पंचायतों में भी टेक्स लगा रहे हैं, म्युनिसिपल टेक्स भी लगा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इस प्रकार टेक्स लगा कर क्या जनता को मारना है ? अगर इस सेल्स टेक्स में आप यह कर देते कि ऑक्ट्राय -ड्यूटी जहां होगी यह टेक्स नहीं लगेगा। जहां ग्राम पंचायातों का टेक्स होगा वहां पर यह टेक्स नहीं लगेगा। आप सेल्स टेक्स लगा रहे हैं, ग्राम पंचायत टेक्स लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टेक्स लगा रहे हैं, आखिर यह तरीका क्या है ? आपको मालूम ही है कि ओक्ट्रॉय ड्यूटी के बारे में जयपुर शहर में १२-१३ दिन की हड़ताल हुई थी और कुछ दिन के बाद ...

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑक्ट्रोय ड्यूटी है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप ये सब टेक्स लगाने वाले हैं, आखिर यह है क्या ? क्या इससे जनता को मारना है ? इन सारी बातों का मतलब क्या है ? हमारे जैसे आदमी पर तो इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं, इसका असर तो आप लोग जो बाल-बच्चे वाले हैं उन पर ही पड़ेगा।

(हंसी)

(घंटी)

और मैं यह कहूँगा कि अगर राजस्थान सरकार अपना फाइनेन्स ही लेना चाहती है तो आपके राजस्थान के जो प्रश्न हैं, एम. एल. ए. हैं, कबिनेट है, पार्लियामेन्ट के मेम्बर बैठे हैं लेकिन जिस समय यहां से जाकर सिन्दरी में खाद बनती है, ५२ करोड़ रुपया चम्बल और भाकरा में खर्च कर रहे हैं, यह शर्म की बात है कि इसमें राजस्थान का नाम निशान नहीं, दूसरे प्रान्तों का नाम है ...

(घंटी)

बोलने दें तो बोलने दें, नहीं तो बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन है उसके बारे में ही आप कहिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं तो आमदनी के जरिये बता रहा था । उस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और टेक्स टेक्स लगा रहे हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सेल्स टेक्स आप लगा रहे हैं, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी है । जब तक यह सिलेक्ट कमेटी में नहीं जावे तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे किसी इन्सपेक्टर को ले लिया गया है । अभी पहले कुछ दिन हुए, जवाहरात वालों को पकड़ने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से लोग आये थे । वे बगैर मेजिस्ट्रेट के वारन्ट से आये, उस वक्त उनको कह दिया कि बाहर निकल जावो । वारन्ट लाते तब आ सकते थे, इसके अन्दर मजिस्ट्रेट का वारन्ट होना चाहिए । वारन्ट दिखाकर इन्स्पेक्टर सामान देख सकता है, पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है ! वारन्ट आदि तो कम से कम होना चाहिए ।

आबादी तो कम से कम रखना चाहिए । पहले वाले सेल्स टेक्स में तो आबादी थी । पांच हजार नहीं थे ।

(हंसी

इसलिए पांच हजार की जो इन्कम रखी है । पांच हजार की इकन्म तो कोई भी कर लेगा ।

कु.० श्री जसवन्तसिंह—इन्कम नही, टर्न ऑवर ।

('बिक्री' ऐसी आवाज)

श्री मुक्तिलाल मोदी—बिक्री साहब, बिक्री । जिसके आठ-नौ बच्चे हैं, वह यह पांच हजार की बिक्री नहीं करेगा तो उनको क्या खिलायेगा और आज-कल हर एक के आठ नौ बच्चे होने लग गये हैं ।

(हंसी)

तो ऐसी हालत में बीस हजार, पच्चीस हजार बिक्री कर रखना चाहिए था । मेरा माननीय मंत्रीजी से और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी में इसको देख लिया जाय और इसके साथ साथ यह भी देख लिया जाय कि दूसरे टैक्सेज़ भी हैं, जैसे ऑक्ट्रोय टेक्स, ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टेक्स, जो कि सारे राजस्थान में लगेंगे और उन सब को देखते हुए फिर यह सेल्स टेक्स बिल आना चाहिए ।

श्री रोशनलाल शर्मा—माननीय उपाध्यक्षजी, १२ बज गये हैं। आगे कल कार्यवाही हो।

श्री उपाध्यक्ष—१२।। बजे का टाइम रखा गया था।

('१२।। बजे तक नहीं साहब, ऐसी आवाज)

कल यह तय पाया था कि १२।। बजे तक मीट करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी—सदन में जोधपुर से आये हुए सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसके बारे में चर्चा चल रही है और उस तरफ के बैठने वाले बहुत से सदस्यों ने उसका समर्थन किया है। मैं इसका विरोध करता हूं।

प्रवर समिति में इस बिल को भेजने के लिए जो प्रस्ताव था उसके पक्ष में बोलते हुए कई सदस्यों ने चर्चाएं की थीं लेकिन कोई मुद्दे की बात नहीं कही कि क्यों इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय?

श्री वेदपाल त्यागी—मुद्दे की बातें तो कही गई थीं, किन्तु आप शायद समझ नहीं पाये होंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं अभी समझा देता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लेरिफिकेशन दें कि ये किसी के सिखाने पर बोल रहे हैं या अपने आप बोल रहे हैं।

(हंसी)

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरे ख्याल से आप पार्टी के कहने से बोल रहे थे, किन्तु मैं तो इस तरह नहीं बोलता। जो सदस्य पार्टी के कहने से बोलते हैं उनके दिमाग में हर दम यही रहता है कि कोई दूसरा भी किसी दूसरे के सिखाने से बोल रहा होगा।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, जिन सदस्य ने इस प्रस्ताव को रखा है उनको जरा पेशेन्स रखना चाहिए, सुनने के लिए कि मैं इसका क्यों विरोध करता हूं? उनके प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरी छोटी स दलील है कि यह एक २९ सेक्शन्स का छोटा सा बिल है और इसमें सिर्फ २९ सेक्शन हैं, यह टिनेन्सी बिल जैसा नही है। जब उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया तो कुछ दिन नहीं लगे किन्तु महीनों लगे और फिर वह लौट कर आया और उसके आने के बाद जो सदस्य सिलेक्ट कमेटी में थे, उनके भी उस सम्बन्ध में संशोधन आये और जो सदस्य नहीं लिये गये थे, सिलेक्ट कमेटी में उन्होंने इस जोश से कि हमें सिलेक्ट कमेटी में नहीं लिया गया, इसलिए अमेंडमेंट रखेंगे और हरएक सदस्य

[श्री मोतीलाल चौधरी]

का अमेंडमेंट आया। माननीय सदस्य जो परबतसर से आये है उन्होंने बताया कि अगर इस बिल में अमेंन्डमेंट आये तो करीब १० अमेन्डमेंट उनके ही आवेंगे और मेरे ख्याल से यदि यह सिलेक्ट कमेटी से भी लौट कर आवे तो भी इतने ही आवेंगे, जैसे कि टिनेन्सी बिल में आये थे। यह इतना छोटासा बिल है और जो दलील सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए दी है वह पांच-छ-सेक्शन्स के लिए दी है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पांच के लिए दी है, यदि इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे तो एक सदस्य ने यहां तक कहा कि विद्रोह हो जायगा।

यह २९ क्लॉज़ेज़ का बिल है और पांच क्लॉजेज़ ऐसी हैं कि जिनके लिए हम मानते हैं कि अमेंन्डमेंट होना चाहिए और उसके लिए हाउस में भी अमेंडमेंट आ सकते हैं और यह अमेन्डमेंट न केवल सिलेक्ट कमेटी में ही भेजने से होगा, क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं कि हाउस फर निर्णय करेगा। उसमें खासकर आपस में मतभेद है, कुछ तो अर्थ का अनर्थ करने से हो गया है। इसको किसी तरह विरोध करके भेजना है, और टाइम टालना है।

परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का विरोध करते हुए कुछ ऐसी बातें कही कि जो कि मैं सोच नहीं रहा था कि कम से कम उनकी तरफ से ऐसी बातें कही जावेगी। सबसे पहले बिल का विरोध किया और सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कहा तो ऑटोमेटिकली समर्थन भी कर लिया उन्होंने हिन्दुस्तान के विशिष्ट कांग्रेसी सदस्य का एक उदाहरण दिया था और उनकी भाषा में, कहा था कि एस. के. पाटिल सेल्स टेक्स के विरोधी थे। वे मल्टीपोइन्क सेल्स टेक्स के विरुद्ध थे।

श्री चांदमल मेहता—यदि माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है तो मैं उनको फिर बता सकता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी—श्री एस० के० पाटिल उस प्रोविन्स के रहने वाले हैं, जिसमें आज नहीं, दस साल पहले से ऑटोक्रेट गवर्नमेंट चल रही थी।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री एस. के. पाटिल बम्बई रहते हैं। वहां ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट मुरारजी की हो सकती है। वैसे वहां तो डेमोक्रेटिक सेट अप है।

श्री मोतीलाल चौधरी—वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही है। सन् १९३५ का एक्ट आने के बाद से बम्बई के अन्दर जनता की सरकार चल रही है, मेरे कहने का मकसद यही था।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—गलत ।

श्री मोतीलाल चौधरी—१६३५ एक्ट के मुताबिक सन् १६३७ से गवर्नमेंट वहां चल रही है। वहां जो स्थितियां टेक्सेज के माने में थीं यहां राजस्थान में तो बहुत हेर फेर होकर यह बिल आ रहा है, ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखा जाय तो उसके अन्दर हमारे यहां यह लिखा है कि:

"It will replace inlet state transit duties".

विरोधी पक्ष के नेता ने कहा था कि कस्टम्स को हटाने के लिए राजस्थान सरकार कोई कोई विशेष कदम नहीं उठा रही है और यह तो विधान के कारण उठा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हैदराबाद गवर्नमेंट के विधान के अनुसार कस्टम्स को हटा देना चाहिए था किन्तु उन्होंने परमिशन ले ली। राजस्थान गवर्नमेंट भी आगे रखना चाहती तो इसको रख सकती थी। किन्तु राजस्थान सरकार के दिमाग में यह बात थी कि कस्टम्स को खत्म करना है और सेल्स टेक्स बिल लाकर उसको रिप्लेस करना है।

जिस समय परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे थे उन्होंने एक मिसाल सोने के अन्डे देने वाली मुर्गी की रखी। उन्होने कहा कि सोने के अन्डे देने वाली मुर्गी को मार देंगे तो राजस्थान का काम चलेगा कैसे, क्योंकि ये ही लोग राजस्थान को टैक्स देते हैं। मेरा उनसे कहना है कि राजस्थान की इन्कम का जो बजट है वह केवल इन्डस्ट्रियलिस्ट का द्वारा दिये जाने वाले टैक्स से ही नहीं बनता है। राजस्थान गवर्नमेंट का बजट उन ६० प्रतिशत लोगों के टैक्स से बनता है जिनको हम सोने की मुर्गी नहीं कह सकते। सोने की मुर्गी जिसको आप कहते हैं वे लोग तो इसको चाहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैंने यह नहीं कहा कि सोने का अन्डा देने वाली मुर्गियां इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—डेढ़ करोड़ इन्सान जो राजस्थान के वासी है वे यहां के सोने का अन्डा देने वाली मुर्गी है।

श्री मोतीलाल चौधरी—डेढ़ करोड़ तो कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—मेरे भाषण को समझने में आपको भूल रह गई है। मैंने तो कहा कि जिस कारोबार के जरिये, जिस उद्योग धन्धे के जरिये हमें चीजें मिल सकती है अगर वह नहीं रही तो, आखिरकार हमारी आमदनी किस पर रहेगी ?

श्री मोतीलाल चौधरी—(अपना भाषण जारी रखते हुए :) मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि कस्टम के उठने से इन्डस्ट्रीज़ बढ़ेंगी। यह सब जानते हैं, कि हिन्दुस्तान के तीन प्रान्तों

[श्री मोतीलाल चौधरी]

के अन्दर कस्टम ड्युटी नहीं हैं। वहां के उद्योग धंधे बढ़े हैं। यह हमेशा से खामी रही है कि राजस्थान के अन्दर उद्योग धंधे क्यों नहीं बढ़ें ? इसका मुख्य कारण है, यहां पर चालू कस्टम। कोई भी नया उद्योग खोलना चाहता है, तो वह पहले यह मांग करता है, कि उसको कस्टम की रियायत होगी या नही ? खासतौर से राजस्थान के व्यापारियों और उद्योगपतियों की यह शिकायत रही है, कि यहां पर कस्टम ड्यूटी लगती है, इसलिये अन्य प्रान्तों के कम्पीटिशन में यहां का माल नहीं ठहर सकता। इसलिये यहां इन्डस्ट्रीज़ आदि नही पनपी और दूसरे हिस्से के अन्दर जहां कस्टम ड्यूटी नहीं लगती वहां इन्डस्ट्रीज़ बहुत बड़े पैमाने पर चलती हैं। यहां कुछ माल मंगाया जाय तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। हमारे यहां एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद कस्टम्स ड्यूटी भी लगती है, इसलिये माल महंगा पड़ता है। मिसाल की तौर पर आप प्लास्टिक के माल को लीजिये। प्लास्टिक गुड्स कच्चा माल है, जो फॉरीन से आता है। दिल्ली में इसके सामान बनने की फैक्ट्री है। अगर यहां वह चालू की जाती है, तो उस पर डबल टेक्स लागू होता है, यहां पर कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ती है। जो इन्डस्ट्रियलिस्ट बिज़नेस करते हैं, वे पहले सरकार से यह मांग करते हैं, कि हमें कस्टम्स ड्यूटी की रियायत दो जाय। अगर कस्टम से मुक्त करते हैं, तो हम इन्डस्ट्रीज़ खोलने के लिये तैयार हैं। अगर वे इन्डस्ट्रीज़ के बारे में जानते तो डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य का विरोध नहीं करते। इससे मालूम होता है, कि इनको व्यापार और इन्डस्ट्रीज़ का ज्ञान नहीं है, यह जो बातें उन्होंने कही हैं, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य के लिये नहीं कहते।

श्री चांदमल मेहता—यह तो आप अपने मन से लगा रहे हैं, मैने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री मोतीलाल चौधरी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह तो इम्प्लाइड था। हमें न केवल राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ और व्यापार को ही बढ़ाना है। अगर कस्टम ड्यूटी हटा दी जायगी तो इसके हटने के बाद में इन्डस्ट्रीज़ डेवलप हो सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी में इसको क्यों न भेजा जाय, इसके बारे में आर्गुमेंट दीजिये। सारे भाषणों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी—खास खास मुद्दे की जो बातें है उन्हीं को बता रहा हूं। एक तो यह भी कहा गया कि केज्युअल ट्रेडर्स के बारे में क्या राय है ? इस क्लॉज़ को अगर वे ध्यान से पढते तो उनको मालूम होता कि जिनका टर्न ऑवर पांच हजार रुपये का नहीं होगा, उनसे टेक्स नहीं लिया जायगा।

दूसरी दलील यह दी कि अगर कोई दिल्ली से १००) रुपये का माल खरीद कर लाता है, और १०० रुपये का माल बेचता है, तो उस १०० रुपये पर तो टेक्स नहीं लगेगा। अगर पांच हजार का माल बेचता है, तो उस पर टेक्स लगेगा।

Page No.86

श्री चांदमल मेहता—आप केज्युअल ट्रेडर्स का मतलब समझे ही नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बिल पढ़ा है क्या आपने ?

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—Fatherless minor है।

श्री उपाध्यक्ष—आप तो सिर्फ यह बतलाइये कि इसको सिलेक्ट कमेटी में क्यों न भेजा जाय ?

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरा यह निवेदन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह छोटा सा बिल है, इस पर हाउस में ही अमेन्डमेंट आ सकते हैं। जिस प्रकार टिनेन्सी बिल जो सिलेक्ट कमेटी में भी गया था, फिर भी हाउस के अन्दर उस पर काफी अमेन्डमेंट आये, उसी प्रकार इस पर भी आ सकते हैं और इसको पास करने में दो-तीन दिन का समय लग सकता है। मेरा यह मानना है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हाउस में ही इसको रखा जाना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, हमें सिलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई मोहब्बत नहीं। जो सिलेक्ट कमेटी को सुविधायें हैं वे हमें यहां मिल जाय तो हम इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना कभी पसन्द नहीं करेंगे। हाउस ही सिलेक्ट कमेटी के रूप में कार्य करे। अगर सिलेक्ट कमेटी की तमाम सुविधायें हाउस को दे दी जावें जैसे हरेक आदमी को, चाहे वह किसी भी पार्टी का मेम्बर हो उस पर पार्टी व्हिप इश्यू न किया जावे; no whip will be issued, स्वतंत्रता से अपने अपने विचार रखने दिये जावें। दूसरा यह कि किसी पर बोलने के लिये टाइम को पाबन्दी न हो एक आदमी चाहे तो दस दफा, बीस दफा भी बोल सकता है, तो ऐसी हालत में सारा हाउस सिलेक्ट कमेटी के रूप में कार्य कर सकता है जैसा कि इंगलेन्ड की पार्लियामेंट में हुआ करता है। ऐसा होने पर हमें कोई एतराज नहीं होगा। The whole House may set as a Select Committee अगर इस तरह पेश करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह अवश्य सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होना चाहिये।

यह कहना कि यह छोटा सा बिल है; केवल २९ सेक्शन्स ही हैं, यह कोई सिलेक्ट कमेटी में जाने की दलील नहीं। एक और दो क्लॉज़ेज़ ही ऐसी हो सकती हैं जो बहुत महत्व की हों, जैसे टिनेन्सी बिल का क्लॉज़ १६ है जिसको सिलेक्ट कमेटी ने मन्जूर कर दिया फिर भी वह हाउस में बहस के लिये आया और उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका, वह अभी तक पेन्डिंग पड़ा हुआ है। एक एक क्लॉज़ भी काफी अहमियत रखने वाला होता है।

सिलेक्ट कमेटीज़ में पार्टीज़ के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ को भी हम एग्जामिन कर सकते हैं जिनके रिप्रेजेन्टेशन पहले आये थे, और भी कई प्रकार की सुविधायें वहां मिल सकती हैं। इसलिये मैं यह

[श्री गोपीलाल यादव]

समझता हूं कि यह बिल जो बड़े महत्व का है वह अवश्य सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। अगर आप सिलेक्ट कमेटी में नहीं ले जा रहे हैं तो सारा हाउस सिलेक्ट कमेटी के तौर पर इस पर विचार करे। अगर मेरे मित्र माननीय मंत्री महोदय कि इस चीज़ को जानते हैं कि सिलेक्ट कमेटी की क्या अहमियत है, अगर सारी सुविधाये वे हाउस को देने को तैयार हैं, तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर (सुविधायें) नहीं देते है तो कम से कम दो-तीन रोज के लिये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और हमारे माननीय मित्रों ने इस बिल के कई क्लॉज़ेज़ को लेकर कई लीगल इश्यूज़ के बारे में भी कई बातें कही हैं। उनमें से अधिकतर ने यह जाहिर किया है कि यह अवश्य सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके सामने शायद वह नक्शा नहीं है, जैसा कि हमारे अभी यहां है। अभी इस बिल के पहले जो कस्टम ड्यूटी लगी हुई है वह उसके अंतर्गत जो कायदे बने हुए हैं उससे जनता को कितनी तकलीफ का सामना करना पडता है? कहीं नाके पर जाकर देखें कि किस तरह से नाकेदार मुसाफिर के सामन को चिन्दडी-चिन्दडी बिखेर कर देखता है। आखिरकार जब उसको सन्दूक में कुछ नहीं मिलता, तो मुसाफिर को कितनी तकलीफ होती है। अगर आप इस परिस्थिति से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो जब तक आप सेल्स टेक्स बिल को पास नहीं करते है, तब तक वह कस्टम की धांधली बराबर चलती रहेगी।

कु. श्री जसवन्त सिंह—क्या एक्ट के आने के बाद, यह दिक्कत नहीं रहेगी?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कोई दलील नहीं है।

कु. श्री जसवन्त सिंह—१ अप्रेल, ५५ के बाद तो यह कस्टम तो लागू रहेगा ही नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर रखना चाहे तो इसके बाद भी रख सकते है। अभी एक स्टेट को भारत सरकार ने इजाजत दी है। हम भी भारत सरकार से टाइम ले सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके लिये फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश की जरूरत रहती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जब एक स्टेट को इस प्रकार का अधिकार दे दिया तो उसी बिना पर यहां पर भी इजाजत मिल सकती है। लेकिन हम

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

राजस्थान के अन्दर इस कस्टम की तकलीफ को खत्म करना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब कि हम सेल्स टेक्स को यहां लगू कर दें।

और हमारे माननीय मित्र ने इस बारे में मेरे खयाल से जो दलीलें दी कि सेल्स टेक्स भी चालू रहेगा और कस्टम भी लगा रहेगा तो यह उनका कहना दुरुस्त नहीं है। इसमें साफ तौर से यह लिखा है कि This Act will replace the customs duties in Rajasthan, Statement of Objects and Reasons में.........

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—यह बात नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह है, आप निकाल कर देख लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक क्लेरिफिकेशन में यह चाहता हूँ कि यह जो राय दी जा रही है, वह इस कुर्सी की वजह से तो असर नहीं हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर—इसका न असर होता है और न होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है "Page 17-Statement of Objects & Reasons. It will replace inter state transit duties"

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—अगर कल यह एक्ट पास हो तो हम ऐसी आशा करें कि परसों से यह कस्टम ड्यूटी हटा दी जावेगी ? I want an authoritative statement from the Minister.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिस दिन एक्ट पास होकर अमल में आ जावेगा उस दिन से कस्टम हटा दिया जावेगा।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—रिटन में अगर मिनिस्टर महोदय स्टेटमेंट दे सकें तो बड़ा अच्छा हो। यह तो ऐसा हो सकता है कि जिन चीजों पर सेल्स टेक्स लेंगे उनके अतिरिक्त और सब चीजों पर कस्टम बदस्तूर चालू रहेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो है ही। नहीं तो और आप क्या चाहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Statement of Objects and Reasons is neither a part of the Bill nor a part of the legislation.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ताकि आपके दिमाग में वह जम जावे। इसके बाद भी अगर छानबीन नहीं होती है तो फिर बात दूसरी है।

श्री वेदपाल त्यागी—सिलेक्ट कमेटी में अगर रेफर कर दिया जावे तो यह सब साफ हो जावेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें यह सब खतरा इसलिए नहीं होता कि जब सिलेक्ट कमेटी में जावेगा, तब भी आपका मतलब सिर्फ यही है कि इस पर आप जितनी चाहें खुलकर उतनी ही बहस कराली जावे। तो वही बात, वही सहूलियत यहां भी हरेक को मिल सकती है। आप जब चाहें तब उसमें यहां पर भी बोल सकते हैं, संशोधन रख सकते हैं। यह तो एन वक्त पर संशोधन लेने का कन्वेन्शन हमारे यहां है। फिर ऐसी क्या दिक्कत पेश आती है, यह मेरी समझ में नहीं आया ? मुझे तो आशंका यह लगती है कि हमारे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि इसमें बाधा डाली जावे और अड़ंगा डाल कर किसी तरह से इसे लेट (late) किया जावे।

उन्होंने इस बिल को शुरू से अन्त तक तो अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है और बिना पढ़े ही वे कई तरह की शंकाएं उठा रहे हैं। अगर इसे पहले अच्छी तरह से स्टडी कर लें तो इसके बाद इस पर डिस्कशन किया जा सकता है और इसलिये यहां उनको काफी समय मिल सकता है। इस डिस्कशन को आज के बजाय कल से शुरू किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपको मालूम होना चाहिये कि प्रस्तावक ने अपने अमेंडमेंट्स भी पेश कर दिये हैं, अब तक इस पर। बगैर स्टडी किये बोलने वालों की तादाद उधर अधिक है।

श्री मथुरादास माथुर—और उधर तो एक ही है।

(हंसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे ख्याल से तो बहस के वक्त भी अमेन्डमेन्ट दिये जा सकते हैं और इस तरह की हमारी पहले की परम्परा भी है। इसमें ऐतराज नहीं हो सकता किसी को। जो बहुत जरूरी सुझाव हों वे उसी वक्त लिये जा सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी में भी जाने की मंशा यही होती है कि उस पर विचारपूर्वक कुछ कहा जावे और वह यहां भी आप कर सकते हैं। इसलिये मेरा निश्चित मत है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई लाभ नहीं।

पहले जो बिल सदन के सन्मुख रक्खा गया था उसके प्रिन्सिपल पर ही यह बिल तैयार किया गया है। पहले मल्टीपोइन्ट प्रिन्सिपल पर था उसको सिलेक्ट कमेटी ने नहीं माना और इस पर सरकार ने और हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने उसको वापिस लेकर दूसरा सिंगलपोइन्ट सेल्स टैक्स बिल रक्खा है। तो जो उलझनें और कम्प्लीकेशीज़ उस पहले वाले बिल के कारण पैदा हो सकतीं थीं वे सारी की सारी इसमें कतई नहीं हैं।

इसमें तो एक सीधी-सादी बात है और वह यह है कि किसके ऊपर टेक्स लगे, यह बताया गया है। एक तो है इम्पोटर्स् और दूसरे हैं मैनूफेक्चरर्स। ये दो ही कैटेगरीज होती हैं जो इसकी तहत में आती हैं। उनके अन्दर भी फिर पांच हजार से ऊपर की टर्न ओवर साल में होती

है तो उन पर यह टैक्स लगेगा। बहुत सीधी और साफ बात है यह। इसमें अब क्या दिक्कत पेश आ सकती है ? यह मेरी समझ में नहीं आया और फिर किस करण से इससे सिलेक्ट कमेटी में ले जाने की आप बात कह रहे हैं ? केज्युअल ट्रेडर्स पांच सौ रुपये का माल खरीद कर लाया तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो आप यह मान लीजिये कि केज्युअल डीलर रेगुलर डीलर्स पर कितना धक्का पहुँचाता है ? मसलन आप देखिये कि मेला लगता है और उसमें बाहर का आदमी आता है और वह दो हजार, पांच सौ, सात सौ या हजार का माल लेकर आता है तो वह माल लाकर आखिर दस-बीस दिन जितना मेले का समय है टिकता है और माल बेच-बाच कर चला जाता है, तो इससे अगर टैक्स नहीं लिया जावेगा तो जो रेगूलर लोकल डीलर्स हैं उनको बड़ा धक्का लगेगा और वे केज्युअल डीलर्स इन रेगूलर लोकल डीलर्स को धक्का पहुँचा जावेंगे।

श्री चांदमल मेहता—लोकल आदमी अगर लावेगा तो उन पर लगेगा ? जो दस दिन के लिए धन्धा करना चाहेगा उसको यह सुविधा देंगे कि उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा तो वह रेगूलर ट्रेडर्स जो साल भर तक टैक्स देता है तो उनके बजाय, जो बाहर से आता है उसको ज्यादा सुविधाएं आप देते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हर रेगूलर बिजनेसमैन जो स्थानीय है, वे ठेला भी लगाते हैं, छोटी सी दुकान भी लगाते हैं, उनसे कोई उनके बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। वे छोटा छोटा अपना बिजनेस करते हैं और जो केज्युअल डीलर्स होते हैं और कुछ दिन के लिए आते हैं, पन्द्रह-बीस दिन का मेला लगता है उसमें आता है तो वह छोटे डीलर्स को रेगूलर ट्रेडर्स को मार देता है। यह कैसे हो सकता है ?

तो मैं एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जब कि बहस की पूरी सुविधा आपको इस सदन में मिल सकती है और अगर कोई अमेन्डमेन्ट एट दी इलेवन्थ अवर भी आप पेश करना चाहें तो उसकी सहूलियत भी जब मिल सकती है, और जब इस प्रकार की ये सब सहूलियतें हमारे सामने हैं और जिन्होंने इसे पूरा पढ़ रक्खा है वे जानते हैं, कि मश्किल से चार या पांच सैकशन्स ही ऐसे होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस तरह के पूरे ६ सैक्शन्स हैं,

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो मान लीजिये तो उन पर एक नहीं, दो दिन तक बहस कर लीजिये और खत्म करिये। और इसमें ज्यादा ढिलाई करने से डीलर्स पर जो कस्टम का एक बड़ा हौवा है वह लगा रहेगा। तो इस बात को हरेक डीलर टेक्स से कहीं अधिक बोझा मान रहा है, वह बोझा जल्दी से जल्दी मिट जाए; ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिये। अब परबतसर से आने वाले

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

मेरे माननीय सदस्य के दिल में इससे जो डर है, वह उनकी अपनी भावना का प्रतीक है, क्योंकि किशनगढ पर तो आज कस्टम नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—बगैर पूरी तरह से एग्ज़ामिन किये सारे फेक्ट्स को कैसे आप इतनी जल्दी लागू कर सकते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने किशनगढ़ के लिए कैसे कहा ? वे माननीय सदस्य तो परबतसर से आये हैं, किशनगढ़ से आने वाले सदस्य दूसरे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वे असल में किशनगढ़ की ही बात कर रहे हैं और अधिकतर वहीं के बारे में बोलते हैं, वहां के निवासी भी हैं। तो किशनगढ़ पर तो आज कोई टैक्स है नहीं। कस्टम का तो उनके लिये केवल एक हौवा है, पर किशनगढ़ वालों के लिए ही केवल इस टैक्स का भार पडता है, तो इसलिये सेल्स टैक्स नहीं लिया जावे और इसके परिणाम स्वरूप दूसरी जगह के लोगों को कस्टम के बोझे के नीचे दबा रहने दिया जावे तो यह तो बहुत ही अन्याय होगा; उनकी यह दलील देना और उस दलील पर बात करना उसूलन सही नहीं है। सेल्स टैक्स लगाने की बात करते हैं तो इससे आपको दर्द होता है, क्योंकि यह आपको चुभता है; पर और लोग जो कस्टम के बोझ से दबे हुए हैं उनका फिर क्या होगा ?

फिर वैसे भी आज कस्टम से सरकार को आमदनी साढ़े चार करोड़ होती है, और इस सेल्स टैक्स की आमदनी लगभग डेड़-दो करोड़ रूपये गिनी गई है। तो इस हालत में उनकी यह जो दलील हैं, पर्सनली उनको भले ही दर्द होता हो इसलिए करते हैं, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की आम जनता के लिए यह एक बड़ी सहूलियत की चीज होगी।

एक माननीय सदस्य—साहब, साढ़े बारह बज गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इतना दिलचस्प आपका भाषण अब कल सुनना चाहेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—कल आपका भाषण सुनेंगे, तब तक कुछ सोचने का टाइम भी मिलेगा।

एक माननीय सदस्य—वह तो एक-दो मिनट ही बोलना चाहेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अच्छा साहब, मैं तो कल बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल आठ बजे फिर मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही साढ़े बारह बजे, कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१२ अक्टूम्बर, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

१६३१ (४४७/सी. एम.) श्री केसरीसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७५— क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा बरुपन में दो साल पहिले जो डकैती हुई थी उसके माल व मुल्जिम का सरकार क्या अभी तक पूरा पूरा पता लगा सकी है ?

(ख) उस माल में से कितना माल बरामद हुआ ? और कितने डकैत पकड़े गये ?

(ग) क्या इस डकैती के वक्त पुलिस गांव में पहुंच गई थी, और क्या पुलिस और डाकुओं की मुठ भेड़ भी हुई थी ?

(घ) इसमें पुलिस की क्या कारगुजारी रही ?

उत्तर

(क) जी हां, इस डकैती का पूरा २ पता लग गया है ।

(ख) रु० ७, २३१ के लूटे हुए माल में से रु० ३, २३० का माल बरामद हुआ तथा ६ डाकू पकड़े गये ।

(ग) पुलिस फौरन गांव में पहुंची तथा डाकूओं का पीछा करने पर दो मुठ भेड़ हुई ।

(घ) पुलिस ने डाकूओं के मुखिया अगरसिंह को उसके ५ साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया तथा एक को मार दिया । मामला जेर अदालत है ।

प्रश्न

1933 (299/E.M.] Shri Balvir Singh, M.L.A., (Div. No. 7): Will th Minister for Education be please to answer:-

Page No.94

(a) Is the Government aware of this fact that the general education of Thikana Sikar has been taken over by the Government ?

(b) Is the Government aware that a large number of teachers in this Thikana education have been avoided by the Superintendent Education in the matter of their grade promotions ?

(c) Is it a fact that some teachers were appointed in very low scale of pay and their scales of pay have not been revised still, when on the contrary many new appointments have been made by the Thikana and grades revised of persons who were their (i. e of the Superintendent and the Accountant) relatives ?

(d) Is it a fact that the same Superintendent Thikana general education Sikar was appointed on this post irregularly and after appointment he has been given so many times grade promotions ?

(e) Is the Government ready to appoint an enquiry Commission to review all the cases ? If yes, when, and if not, why not ?

उत्तर

(a) Yes.

(b) No.

(c) Grade of some posts and the incumbandents of which possessed higher qualifications and higher experience were revised. The Superintendent and Accountant of the Thikanas have no relations in the empty of Sikar Education Circle.

(d) No.

(e) Not necessary.

प्रश्न

१६३१. (२३५/एल. एल. एम.) श्री केशरीसिंह, एम. एल.ए., डिविजन नम्बर ७५—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बूंदी से देवली तक किस किस की लारियां चलती हैं ?

Page No.95

(ख) क्या यह सही है कि आर. जे. जी. २१४ नम्बर लारी को भी इस लाइन पर चलाने का परमिट दिया गया है ?

(ग) यह परमिट कब और कितने साल के लिये दिया गया है ?

(घ) क्या परमिट बीच में भी केन्सिल किया जा सकता है ?

उत्तर

(क) बूंदी एलेक्ट्रिक सप्लाई कं०

२. राजस्थान मोटर्स भीम.

(ख) हां, १८. २. ५४. से इस परमिट को ३. ६. ५४. से कैंसिल कर दिया गया है।

(ग) ३ साल के लिए दिया गया था।

(घ) जी हां।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ का उत्तर देखिये)

उदयपुर डिवीजन-

(क) गिट्टी की रॉयल्टी कलेक्शन का ठेका किसी भीं जगह नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा रॉयल्टी ठेका वसूल नहीं होता है।

(ग) नहीं।

(घ) सरकार द्वारा आठ रुपये सालाना सालाना टेक्स वसूल होता है। गिट्टी बनाने वालों से।

जयपुर डिविजन

(क) जयपुर डिविजन की कुछ तहसीलों का गिट्टी की रॉयल्टी कलेक्सन का ठेका दिया गया है।

Page No.96

(ख) चूंकि कुल तहसीलों की गिट्टी के रॉयल्टी वसूली का ठेका दे दिया गया है, इसलिये सरकार द्वारा रॉयल्टी वसूली का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) क्योंकि कोई गिट्टी के रॉयल्टी वसूली की जगह खाली नहीं है।

जोधपुर डिविजन

(क) गिट्टी की रॉयल्टी कलेक्शन का ठेका समदड़ी, त० सिवाना में दिया गया है।

(ख) जिन स्थानों पर ऐसे ठेके नहीं दिये गये हैं उनकी रॉयल्टी स्टेशन मास्टर द्वारा वसूल की जाती है।

(ग) चालू वर्ष में रॉयल्टी वसूल नहीं हुई।

(घ) रेलवे ने अपने निजी काम के लिए गिट्टी ले जाने पर रॉयल्टी नहीं दी जिसकी कार्यवाही जारी है।

कोटा डिविजन

(क) कोटा डिविजन में गिट्टी की रॉयल्टी कलेक्शन का ठेका तहसील वाइज़ प्राय: सभी तहसीलों में दिया हुआ है, जिसकी तफसील निम्नलिखित है—

जिला बूंदी—तहसील बूंदी, हिन्डोली, तालेड़ा, केशोराय पाटन, नैनवा।

जिला कोटा—तहसील लाड़पुरा, इन्द्रगढ़, बनवास, सांगोद, खानपुर, चटरु, छीपा, बड़ोद, छबरा, बांरा, किशन गंज, शाहबाद, अन्ता, मांगरोल, दीगोद, इटावा रामगंजमण्डी, चेचट।

जिला झालावाड़—झालरापाटन, असनावर, बकानी, अक्लेरा, मनोहरथाना, गंगधार, डगपिड़ावा, पंचपहाड़।

जिला भरतपुर—भरतपुर, नगर, कांमा, बेर, बयाना, रूपवास, बसेड़ी, बाड़ी, सपेऊ, राजाखेड़ा, डीग, सरमथुरा, गिर्द, धौलपुर।

जिला सवाई माधोपुर—मान्डारेज, हुजूर करोली, मासलपुर, महुआ, नादोती।

कोटा डि० के एरिया के हिस्से—हिन्डौन, टोडाभीम, सपोटरा :

(ख) जिन स्थानों पर ऐसे ठेके नहीं दिये गये हैं उस इलाके में रोड़ बिल्डिंग मेटीरियल नहीं है। यदि होना ज्ञात होता है तो उसके ठेके की कार्यवाही की जाती है, यदि इन्जिनियरों के कामों के लिये मेटेरीयल का उपयोग होता है तो महकमा इंजीनियरी द्वारा रॉयल्टी वसूल करने की कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

(ग) चालू वर्ष में तहसील सिरोज व तहसील लटेरी, जिला कोटा में जहां गिट्टी का ठेका नहीं था और रोड़ बिल्डिंग मेटीरियल निकलना ज्ञात हुआ है महकमा इंजीनियरी कोटा द्वारा उसकी रॉयल्टी वसूल होकर इस विभाग में जमा किये जाने का पत्र व्यवहार हो रहा है, अभी वसूली नहीं हुई है।

(घ) सम्पूर्ण उत्तर प्रश्न (ग) में अंकित है।

बीकानेर डिवीजन

(क) बीकानेर डिविजन में निम्नलिखित जगहों पर गिट्टा की रॉयल्टी वसूली के ठेके दिये गये हैं।

१. बीकानेर तहसील।

२. नाखा।

३. चुरु।

४. सरदार शहर।

५. लुनकरणसर।

६. राजगढ़।

७. गजनेर मगरा।

(ख) जिन स्थानों पर ऐसे ठेके नहीं दिये गये हैं, उस जगह पर सरकार द्वारा वसूल होती है।

(ग) इस प्रकार की रॉयल्टी चालू वर्ष में बीकानेर डिविजन में निम्न स्थानों से वसूल की गई।

१. बीकानेर तहसील की यहां वसूली मार्च, ५४ से, मई, ५४ तक की गई है। उसके बाद इसका ठेका दे दिया गया है।

२. दरबारी मगरा तहसील।

(घ) सम्पूर्ण उत्तर प्रश्न (ग) में अंकित है।

शुद्धि—पत्र

१२ अक्टूबर, १९५४

कृपया पृष्ट संख्या ६६६५ :

(अ) के शीर्ष पर शब्द "रखने" के स्थान पर "रहने" पढ़ें ।

(आ) पर अंकित शीर्षक में शब्द "कृषि भू-वारणा" के स्थान पर शब्द "कृषि भू-धारण" पढ़ें ।